खण्ड-199, अंक-3
शुक्रवार, 4 आश्विन, शक संवत् 1880
(26 सितम्बर, 1958 ई0)

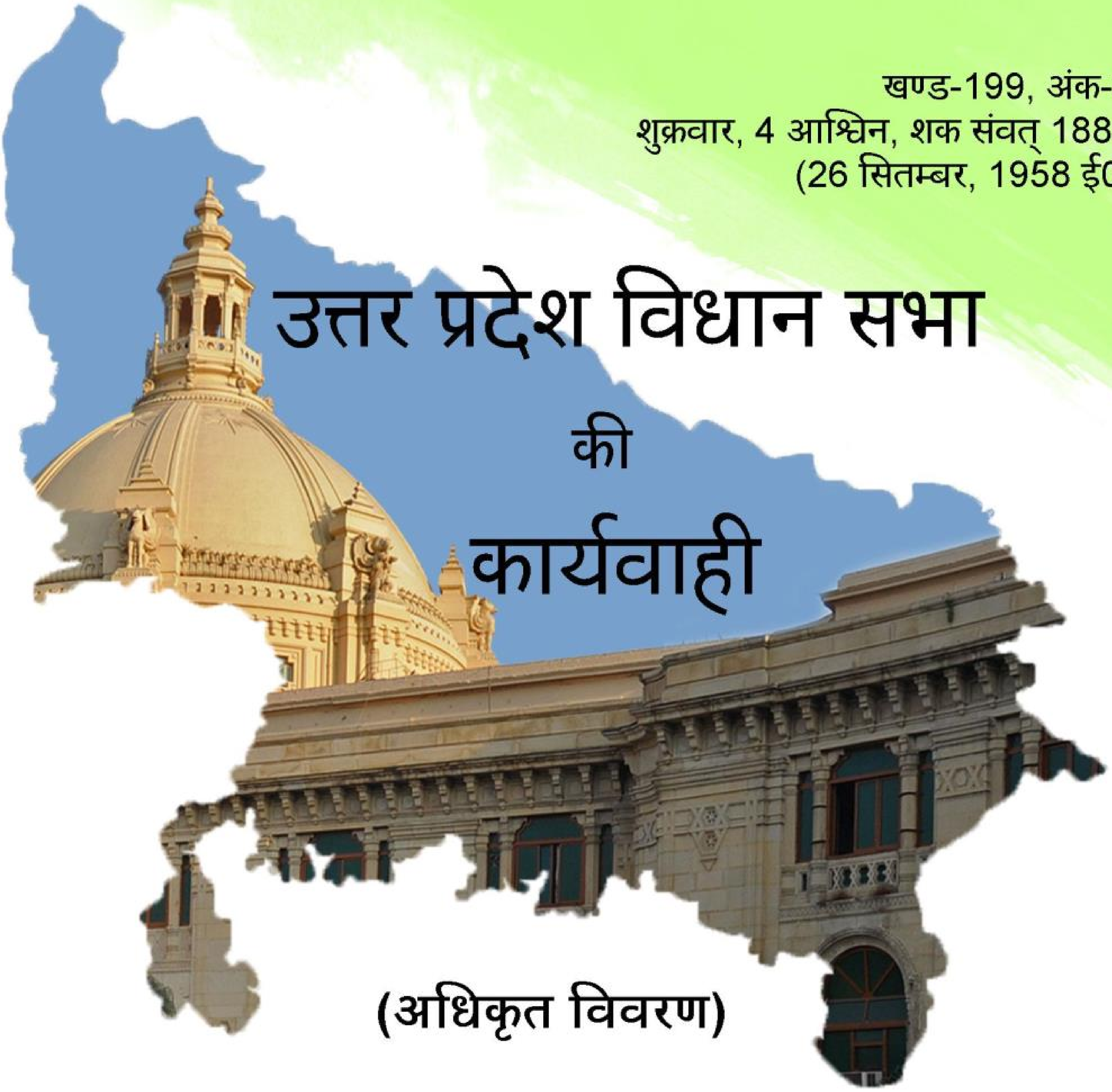

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२४८

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमदबख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री

जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह, विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायण दास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र दत्त, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

राम किंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रज गोपाल सक्सेना, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद , श्री (देवरिया)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवचरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---[सोलहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---[हटा दिया गया ।]

*५---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[हटा दिया गया ।]

राज्य में नवीन स्थानों के विद्युतीकरण की योजना

*६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की सहायता द्वारा प्रदेश में कुछ कस्बों में बिजली लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां। ऐसे स्थानों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८४ पर)

*७---श्री रामचन्द्र विकल---[हटा दिया गया ।]

*८---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।)

बलिया जिले की हरिजन रात्रि पाठशालाओं के सम्बन्ध में जानकारी

*९---श्री जगन्नाथ चौधरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में इस समय कुल कितनी हरिजन रात्रि पाठशालायें चल रही हैं और कहां-कहां ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---हरिजन कल्याण विभाग कोई रात्रि पाठशाला नहीं चलाता।

*१०---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---[हटा दिया गया ।]

*११---श्री भजनलाल---[२५ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत हटाया जा चुका है ।]

*१२-१३---श्री मदन पांडेय---[हटा दिये गये ।]

जवां अस्पताल, जिला अलीगढ़ में कुछ समय डाक्टर का न रहना

*१४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के जवां अस्पताल में डाक्टर का स्थान कितने महीने से रिक्त है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जवां अस्पताल, जिला अलीगढ़ में तारीख २६ मई, १९५८ से २७ जुलाई, १९५८ तक डाक्टर नहीं था ।

*१५---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के अस्पताल में डाक्टर कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख २७ जुलाई, १९५८ से डाक्टर काम कर रहा है ।

*१६--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--[आठवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ११० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१७--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[हटा दिया गया ।]

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में हरिजन व पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती

*१८--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में इस वर्ष कितने छात्र प्रविष्ट हुये हैं, उनमें कितने हरिजन व कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर में इस वर्ष ८३ छात्र प्रविष्ट हुए । उनमें से एक हरिजन तथा ९ पिछड़ी जाति के थे ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने हरिजनों की दरख्वास्तें आयी थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सिर्फ एक हरिजन छात्र आया था । भर्त्ती किया गया । बदकिस्मती यह है कि थोड़े दिन में छोड़कर चला गया ।

*१९-२०--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--[हटा दिये गये ।]

इटावा जिलान्तर्गत हैजे की रोकथाम के काम

*२१--श्री मिहरबानसिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत अप्रैल सन् १९५८ से आज तक कितने ग्रामों में हैजे का प्रकोप हुआ और उससे कितने व्यक्ति मरे ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--इटावा जिले में, अप्रैल सन् १९५८ से अगस्त तक २१ ग्रामों में कालरा तथा गस्ट्रोइन्ट्राटिस का प्रकोप हुआ जिसके कारण कुल ५१ व्यक्ति मरे ।

*२२--श्री मिहरबानसिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस हैजे के प्रकोप को दबाने के लिये स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कालरा तथा गैस्ट्रोइन्ट्राटिस की रोकथाम के लिये निम्न कार्यवाही की गई--

१--२१,४७५ हैजे के टीके लगाये गये ।

२--२,५७९ कुओं में दवा डाली गई ।

३--१९७ घरों को रोग के कीटाणुओं से मुक्त (disinfect) किया गया ।

४--१५ जगहों में डी० डी० टी० छिड़काई गई ।

५--बीमारी के इलाज के लिये उचित प्रबन्ध किया गया तथा इलाज के लिये काफी मात्रा में दवाइयां पहुंचाई गई ।

६--काटेज वार्ड्स बनाकर दूर अलहदा रखकर ऐसे मरीजों का इलाज किया गया ।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त जिले में हैजे का प्रकोप चल रहा था तो कुछ गांवों में सूचना देने पर भी कोई अधिकारी, डाक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं पहुंच सके, ऐसी कोई सूचना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मिहरबानसिंह---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय हैजे का प्रकोप जिले में चल रहा था जिले में उस समय दवाइयों का अभाव था जिसके कारण हैजे के टीके भी आवश्यकतानुसार नहीं लग सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं । दवाइयां काफी तादाद में सप्लाई की गईं ।

*२३-२५---श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---[हटा दिये गये ।]

जापानी ढंग से धान की बोआई तथा खरीफ आन्दोलन पर व्यय

*२६---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में खरीफ आन्दोलन के अन्तर्गत प्रदेश में जापानी ढंग से कितने धान की बुआई की गई ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---[जुलाई के अन्त तक] २,३९,०७६ एकड़ ।

*२७---श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)---इस आन्दोलन में सरकार ने कितना धन व्यय किया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जुलाई के अन्त तक १९,४०० रुपये ।

*२८-३०---श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---[सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

*३१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---[हटा दिया गया ।]

पहाड़ी जिलों में वैज्ञानिक विधियों से शहद उत्पादन के लिए कार्य

*३२---श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों में शहद उत्पादन उद्योग के विकास के लिये क्या कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा----राजकीय मौनपालन केन्द्र, ज्योलीकोट, नैनीताल में आधुनिक व वैज्ञानिक विधियों से शहद उत्पादन के लिये शिक्षा दी जाती है ।

(२) रामनगर, नैनीताल, दुगांवा, जियाघाट स्थानों पर सरकार की ओर से ४ आदर्श व्यवसायी मौनालय चलाये जा रहे हैं ।

(३) मधु मक्खियों के पालने के लिये ज्योलीकोट व रामनगर मौन नर्सरियों से छोटी मौनवंश १५ रुपये व बड़ी मौनवंश २० रुपये में बेची जाती हैं ।

(४) अल्मोड़ा , नैनीताल, शामा, कर्मों, कपकोट तथा पौड़ी गढ़वाल में विकास का कार्य किया जा रहा है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस उद्योग के विकास कार्य में टेहरी-गढ़वाल जिले को क्यों शामिल नहीं किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---छोड़ा किसी को नहीं गया । शामिल धीरे-धीरे सब हो रहे हैं । जहां-जहां मौन पालन के संबंध में लोगों में उत्साह है और काम करना चाहते हैं तो धीरे-धीरे लिये जा रहे हैं । टेहरी गढ़वाल से जब इस प्रकार की कोई बात उठेगी तो जरूर विचार किया जायगा ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---क्या कृषि मंत्री जी को मालूम है कि नाना प्रकार की वन सम्पदा में समृद्धि होने के कारण टेहरी-गढ़वाल जिला शहद उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिये अत्यन्त उपयुक्त इलाका है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस जिले में शहद उद्योग के विकास के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वन-सम्पदा और दूसरी चीजों के संबंध में मुझे कहना नहीं है, वह तो ठीक बात है । लेकिन लोगों में उस संबंध में उत्साह हो और हमें भरोसा हो कि वहां के लोग इस कार्य को उठायेंगे, क्योंकि यह कार्य लोग स्वयं ही करते हैं, तो जरूर विचार किया जायगा ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---यदि मंत्री जी इस बात के लिये हमारे इलाके को प्रोत्साहन देंगे तो वह अवश्य कदम उठायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपकी सूचना है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ट्रेनिंग का कोर्स कितने दिनों का है और कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं तथा उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह ट्रेनिंग ६ हफ्ते और ४ महीने की होती है । इसमें कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। रहने की व्यवस्था होती है और ५० तक शिक्षार्थी एक बार में वहां रखे जाने की सुविधा है, ज्योलीकोट में ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---जो विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं क्या उनको मधुपालन वाले बक्स भी खरीदने से मिल सकते हैं ताकि अपने यहां उसका प्रचार कर सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । जो खरीदते हैं उन्हें जरूर दे दिये जाते हैं, मुफ्त तो मिलते नहीं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि एक आदर्श व्यवसाय मौनालय में औसतन प्रतिवर्ष कितना शहद पैदा होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलग-अलग मौनालय में कितना शहद होता है इसके कोई आंकड़े एकत्रित नहीं हैं, सब कितना हो रहा है इसके भी कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि बड़ डीसन्ट्रेलाइज्ड ढंग पर यह काम चल रहा ह । लेकिन यह जरूर है कि जो शहद इन मौनालयों में पदा हो रहा ह उसमें कुछ फायदा लोगों को हो रहा है, अपने खाने में भी और व्यापार में भी ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अपने यहां जो रबी आन्दोलन चल रहा है और रबी की फसल जो आने वाली है उससे शहद लेने के लिये ऐसे युवकों को ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगे ताकि बड़ी संख्या में ट्रेनिंग पाकर रबी के फूलों से शहद ले सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---काफी दिलचस्प सूचना इस प्रश्न में है । मैं इसकी जानकारी जो विभाग के विशेषज्ञ हैं उनको करा दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---क्या कृषि मंत्री जी को मालूम है कि काश्मीर की अपेक्षा हमारे पर्वतीय जिलों के मौनालयों में प्रतिवर्ष औसतन बहुत कम शहद पैदा होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । वास्तविकता तो यह है कि इस ओर ध्यान प्रदेशीय सरकार का जब पहली बार कांग्रेस सरकार आयी थी १९३८ में तब गया था । फिर बीच में जिन कारणों से सदन अवगत है, इस कार्य में बाधा पड़ी । अब फिर १९४८ के बाद से इस काम को तेजी से शुरू किया गया है और आशा की जाती है कि इसका काफी प्रसार होगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शहद का उत्पादन होता है, ? इसके कुछ आंकड़े हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---मंत्री जी बतायेंगे कि ज्योलीकोट में अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है और कितने रुपये का प्रतिवर्ष शहद उत्पन्न होता है ?

श्री अध्यक्ष---आंकड़ों के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि नहीं बता सकेंगे क्योंकि उनके पास नहीं हैं। आप सिर्फ ज्योलीकोट के बारे में पूछ रहे हैं। तो यह प्रश्न केवल ज्योलीकोट के बारे में तो नहीं है बल्कि सारे पहाड़ी इलाके के लिये है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी---कृषि मंत्री बतायेंगे कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से मौनपालन की शिक्षा प्रदान करने के लिये अन्य पर्वतीय जिलों में वह क्या कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत जितना कार्य हम फैला सकते हैं फैला रहे हैं। वह कार्य शनैः-शनैः सब पर्वतीय इलाकों में फैलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---शहद को शुद्ध करने की, साफ करने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मौनपालन के साथ-साथ शहद को निकालना उसका एक आवश्यक अंग है और उस शहद को ठीक से रखना और साफ करने के काम को हमारे विभागीय कार्यकर्त्ता जो हैं वह करते हैं और लोगों को जो ट्रेनिंग मिलती है मौनपालन केन्द्रों पर उसके द्वारा यह ट्रेनिंग तो मिलती ही है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शहद गढ़वाल या पहाड़ी जिलों से मार्केट में आता ह वह बाहर से, आस्ट्रेलिया से आने वाले शहद के मुकाबले में गन्दा रहता है और इसलिये ग्राहक उसको लेना पसन्द नहीं करते ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्दा तो नहीं होता। यह बात गलत है अगर रंग रूप की बात की जाय तो रंग-रूप का फर्क तो आदमियों तक में होता है आस्ट्रेलिया और हिन्दुस्तान के बीच।

श्री अध्यक्ष---काफी शहद में दिलचस्पी मालम होती है। (श्री मुक्तिनाथ राय से) अब एक आखिरी प्रश्न आप कर लें।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शहद उत्पादन उद्योग का विकास-कार्य पहाड़ी प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किस क्षेत्र में हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह पूरक प्रश्न पैदा नहीं होता। मूल प्रश्न तो पहाड़ी प्रदेश तक सीमित है।

टेहरी-गढ़वाल जिले में घनसाली एलोपैथिक डिस्पेन्सरी न खुल सकना

*३३---**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल की घनसाली एलोपैथिक डिस्पेन्सरी जिसके लिये धन स्वीकृत हो चुका है कब तक तैयार हो जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---घनसाली ग्राम में एलोपैथिक डिस्पेंसरी स्थापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी थी, परन्तु जिलाधीश एवं जिला नियोजन अधिकारी, टेहरी-गढ़वाल ने यह सुझाव दिया कि उक्त डिस्पेन्सरी घनसाली के बजाय धुमेटीधार में स्थापित की जाय। अभी उपरोक्त सुझाव पर विचार हो रहा है।

*३४-३५---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[हटा दिये गये।]

*३६---**श्री गौरीशंकरराय** (जिला बलिया)---[हटा दिया गया।]

*३७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया ।]

*३८-३९—श्री जंगबहादुर वर्मा—[हटा दिये गये ।]

टेहरी-गढ़वाल जिले में मुनि की रेती स्थित कोढ़ियों की बस्ती के लिये अनुदान की मांग

*४०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल में मुनि की रेती स्थित कोढ़ियों की बस्ती को, जिसमें १३० कोढ़ी रहते हैं, कोई 'केपिटेशन' ग्रान्ट दी जाती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं ।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को मालूम है कि केपिटेशन ग्रांट न मिलने के कारण कोढ़ियों की ठीक ढंग से हिफाजत नहीं हो पाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तक समिति का प्रबन्ध अच्छा नहीं था। डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ने अब सिफारिश की है, वह सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को मालूम है कि स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारियों ने टेहरी-गढ़वाल के लिये केपिटेशन ग्रांट की मांग की थी ? यदि हां, तो क्यों न अब तक वह पूर्ण हो सकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विचाराधीन है, जैसा मैंने कहा ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन कोढ़ियों के इलाज के लिये कोई व्यवस्था होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, वह तो होती ही है ।

*४१-४३—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[हटा दिये गये ।]

गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में जानकारी

*४४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला गोरखपुर में सरकार तहसीलवार किन-किन ग्रामों में बिजली लगाने जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—धनाभाव के कारण यह कहना कठिन है कि गोरखपुर के ग्रामों में बिजली इस पंचवर्षीय योजना में पहुंचाई जा सकती है या नहीं और अगर पहुंचेगी तो किन ग्रामों में ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जहां नलकूप लगा है वहां कब तक बिजली लग जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नलकूपों में तो लगना संभव है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर के पावर हाउस से दूसरे जिलों में बिजली दी जाती है तो गोरखपुर जिले के ग्रामों में बिजली क्यों नहीं लगायी जाती ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां ज्यादा जरूरत समझी जाती है वहां दी जाती है ।

*४५-४६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[हटा दिये गये ।]

लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर के आउट डोर वार्ड में राधेश्याम की लाश

*४७--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तारीख १० अगस्त को लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में एक राधेश्याम नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम राधेश्याम था ९ अगस्त की शाम को लगभग सात बजे आउट डोर वार्ड के बरामदे में मरा पाया गया।

श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे मालूम है कि वह अस्पताल पहुंचने भी नहीं पाया और मर गया।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले यह अस्पताल में कैसे देखा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह ९ अगस्त को शाम के ७ बजे अस्पताल के बाहर के बरामदे में मरा पाया गया।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अस्पताल में आया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यही तो पता नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब वह चिकित्सालय में लिया गया तो जीवित था या मरा हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मरी हुई लाश पाई गई। जिन्दा दाखिल नहीं हुआ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि इसको कत्ल किया गया, जहर दिया गया या किसी बीमारी से यह मरा हुआ पाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वह टी० बी० का बीमार था।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राधश्याम की भर्ती न होने के कारण मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह सजेशन गलत है बिलकुल।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कानपुर सेंट्रल वर्कशाप का मजदूर था और उसका हाथ कट गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट यह नहीं कहती है।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या मंत्री जी सूचना देने की कृपा करेंगे कि यह ऐसा चिकित्सालय है जहां मुर्दों का इलाज होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--किसी वैद्यखाने में शायद ऐसा मिल जाय।

नोट--तारांकित प्रश्न ४७ श्री रघुनाथ सहाय यादव ने पूछा।

श्री जगन्नाथ लहरी---जब लावारिस लाश अस्पताल के बाहर के बरामदे में पड़ी हुई थी तो किस तरह से पता चला कि यह लाश राधेश्याम की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बाद को किसी तरह से पता चल गया ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाद में किस सूचना के आधार पर यह मालूम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह इत्तला मेरे पास इस समय नहीं है ।

*४८---श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---[हटा दिया गया ।]

*४९---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---[हटा दिया गया ।]

हमीरपुर और झांसी जिले की एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में अपने जिले के कम्पाउण्डर

*५०---श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में हमीरपुर और झांसी जिले में कितने ऐसे कम्पाउन्डर हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं और वहीं नौकरी करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमीरपुर और झांसी जिलों की सरकारी एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में काम करने वाले क्रमशः १३ और १० कम्पाउन्डर ऐसे हैं जो उन्हीं जिलों के रहने वाले हैं और वहीं नौकरी करते हैं ।

इन जिलों में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों में नियुक्त कोई कम्पाउन्डर उन जिलों के रहने वाले नहीं हैं ।

*५१---श्रीमती बेनीबाई (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि उपर्युक्त अस्पतालों में कार्य करने वाले कम्पाउन्डरों के लिये सरकार की ओर से ऐसे आर्डर दिये गये हैं कि उन कम्पाउन्डरों को जो उसी जिले के निवासी हैं उनको उसी जिले के अस्पतालों में न रक्खा जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

*५२---श्री भुवनेशभूषण शर्मा---[८ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ९८ के अन्तर्गत इसका उत्तर दिया जा चुका है ।]

सहारनपुर जिले के चिलकाना तथा सरसावा कस्बों को बिजली न मिलना

*५३---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला सहारनपुर की तहसील नकुड़ के कस्बा चिलकाना तथा सरसावा में बिजली देने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं । धनाभाव मुख्य कारण है ।

*५४-५५---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[सातवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

केन्द्रीय सरकार से बाग लगाने के लिये सहायता

*५६---श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को केंद्रीय सरकार से बाग लगाने को तकावी के लिये कितना रुपया मिला था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---३६,००,००० रुपये।

*५७---श्री जगदीशप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें से कुछ रुपया व्यपगत (lapse) हो गया? यदि हां, तो कितना?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---८,७९,७३१ रुपया बच रहा।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस रुपये के लैप्स होने का क्या कारण है? प्रार्थना-पत्र कम आये या डिस्बर्समेंट में देर हुई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बागों को बढ़ाने के संबंध में एक योजना के अन्तर्गत दिया गया था और इसमें केंद्रीय सरकार व प्रांतीय सरकार दोनों को मिल कर खर्च करना था। हमारे पास केंद्रीय सरकार से रुपये की स्वीकृति देर में आई जिसके कारण इस रुपये को पूरे तौर से बांट नहीं सके। लेकिन कोशिश चल रही है कि जो रुपया बच गया है वह इस योजना-काल में बांट दिया जाय, लैप्स न होने दिया जाय।

श्री मुहम्मद हुसैन---किन-किन जिलों में कितने-कितने बाग लगाये गये इसका कोई ब्योरा माननीय मंत्री के पास है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। मेरे पास प्रदेश की अलग-अलग जगहों के ब्योरे इस समय मौजूद नहीं हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---उत्तर प्रदेश में इस मद पर कितना रुपया बांटा गया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह रुपया उत्तर प्रदेश में ही बांटा गया। ३६,००,००० रुपया बंटना था और सिर्फ ८,७९,००० रुपया नहीं बंट पाया। शेष रुपया बंट गया।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतलायेगी कि सबसे ज्यादा रुपया किस जिले में दिया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी---जो ८,००,००० रुपया सरकार नहीं बांट सकी उसके लिये प्रार्थना-पत्र नहीं आये थे इस कारण नहीं बांट सके या कोई अन्य कारण था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---८,७९,००० रुपया इस वजह से नहीं बंट सका कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देर से आई। केंद्रीय सरकार व प्रांतीय सरकार में खतोकिताबत चलने के कारण रुपये की मंजूरी देर से आई और उसके बाद बांटने के लिये जो व्यवस्था की गयी उसमें इतनी देर हो गयी थी कि विभाग सारे का सारा रुपया खर्च नहीं कर सका। अब इधर यह कोशिश हो रही है कि ८,७९,००० रुपया मिल जाय और साथ ही यह भी कोशिश हो रही है कि सब प्रार्थना-पत्र आ जायं ताकि रुपये की स्वीकृति यदि देर से भी आये तो बांटने में आसानी हो।

श्री जगन्नाथ लहरी---सैंक्शन देर में आने के कारण जब माननीय मंत्री सारा रुपया बांट नहीं सके तो फिर बांटने के समय केवल पूर्व प्रार्थना-पत्रों पर विचार करेंगे या सब प्रार्थना-पत्रों पर विचार करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आगे-पीछे का सवाल नहीं है। जितने प्रार्थना-पत्र विभाग में हैं सब पर विचार होगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रुपया बांटने के समय उन जिलों का भी ध्यान रखा जायगा जहां रुपया नहीं बंट सका है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ध्यान इस बात की तरफ रखा गया है कि किस जिले में बाग लगाने की ओर लोग तवज्जह करते हैं और किस जिले में इसके लिये लोग रुपया उधार लेने के लिये तैयार हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह रुपया किस विभाग के किस अधिकारी द्वारा बांटा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कृषि विभाग में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर्स हैं उनके पास अर्जियां आती हैं और उनके द्वारा ही यह रुपया बांटा जाता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---इस बाग लगाने में केवल फलदार वृक्ष ही आते हैं या पुष्प-बाटिका भी आती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केवल फलदार वृक्षों से ही संबंध है, पुष्प-बाटिका से नहीं। फूल अगर इस तरह के बागों में लगे हुये हैं तो कोई मनाही भी नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस प्रकार की हिदायत गई थी कि यह बाग लगाने वाली तकावी केवल ३० एकड़ वाले या इससे बड़े किसानों को ही दी जाय और छोटे किसानों को न दी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---छोटे और बड़े का प्रश्न तो इसमें नहीं था। लेकिन इसका ध्यान अवश्य रखा गया चूंकि यह तकावी है और इस पर ४ ३/४ प्रतिशत ब्याज पड़ता है, इसलिये जो बाग लगाया जा रहा है उसका आर्थिक ढांचा ऐसा है या नहीं कि वह पैसा जो तकावी के रूप में दिया है ब्याज के साथ वसूल हो सके। अगर अनइकोनोमिक यूनिट के लिये कोई मांगता है तो वाकई रुपया नहीं दिया जाता है।

विद्युत् वितरण के ठेका के लिये बिजनौर नगरपालिका की प्रार्थना

*५८---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बिजनौर की नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा सरकार के पास ऐसी कोई योजना आई है जिसके द्वारा Hydel Electricity का ठेका, जो कि समाप्त होने को है, उसे देने का प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, अध्यक्ष नगरपालिका बिजनौर ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि बिजनौर में विद्युत् वितरण का ठेका नगरपालिका, बिजनौर को दे दिया जाय। उनको सूचित कर दिया गया था कि फिलहाल बिजनौर व मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट्स एलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९२९ की अवधि बढ़ायी जा रही है। परन्तु सरकार ने अब बिजनौर तथा उक्त लाइसेंस के अधीनस्थ अन्य नगरों में स्वयं बिजली वितरण करने का निश्चय कर लिया है।

*५९---श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---[हटा दिया गया।]

*६०---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[हटा दिया गया।]

---

२८ अगस्त, १९५८ के प्रश्न ४१ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

श्री अध्यक्ष---अब डाक्टर सीताराम अपने एक उत्तर में संशोधन उपस्थित करेंगे।

†नोट---तदनुसार २८ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में शोधन कर दिया गया।

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, २८ अगस्त, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के सम्बन्ध में श्री रामजीलाल सहायक के निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न २ के उत्तर में सही उत्तर इस प्रकार है कि :--

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन वर्ग के कितने सब-रजिस्ट्रार हैं ?	हरिजन वर्ग के सब-रजिस्ट्रार ५ हैं। अभी एक डेढ़ महीना हुआ ४ सब-रजिस्ट्रार पदोन्नति द्वारा रखे गये हैं जिनमें से एक हरिजन वर्ग का है।

आपसे प्रार्थना है कि २८ अगस्त की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष---यह सूचना गिरफ्तारी के बारे में है।

श्री प्रतापसिंह (नैनीताल) की गिरफ्तारी २५ सितम्बर, १९५८ को दफा १५१/१०७ के अन्तर्गत की गयी। श्री जगन्नाथ प्रसाद (लखीमपुर-खीरी) की गिरफ्तारी २५ सितम्बर, १९५८ को दफा ४४७ इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत की गयी।

उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बाबूराम (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना चाहता था कि उपाध्यक्ष महोदय बहुत दिनों से सदन में नहीं आ रहे हैं। कुछ समय पहले नेता सदन ने बताया था कि उनको शायद पद छोड़ देना चाहिए। उसकी जानकारी आप के द्वारा पूछना चाहता था।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इस वक्त मैं कोई खास जानकारी देने की परिस्थिति में तो नहीं हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---यह एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री जगन्नाथ लहरी जी न भेजा है जो मुझे ११ बजकर ५ मिनट पर मिला जो श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के विरुद्ध उनके एक पत्र लेखन से सम्बद्ध है।

हमारे सचिव ने जगन्नाथ लहरी जी को निम्न पत्र लिखा था---

"श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रधान मंत्री, स्वतन्त्र प्रगतिशील धारा सभा दल के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि आप अपने दल सम्बन्धी वस्तु-स्थिति से इस सचिवालय को सूचित करने का कष्ट करें।"

श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का संलग्न-पत्र अंग्रेजी में इस प्रकार था---

"Mr. Jagannath Lahri and Mr. Parmeshwar Din Verma are no more members of the I.P.L.P. Party, and kindly may not be allowed to represent the party on any standing committee or on any committee appointed by you."

श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का पत्र सचिव को प्राप्त होने पर श्री लहरी जी से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या परिस्थिति है। हम अपने दफ्तर में एक फेहरिस्त रखते हैं सदस्यों के बारे में कि कौन-किस पार्टी का सदस्य है। सिर्फ इसी मतलब से वह रक्खी जाती है। इस कारण, अगर कोई सदस्य किसी पार्टी में यदि न रहे तो परिणाम में उसका किसी कमेटी से नाम नहीं कट जाता है और उस कारण से किसी की नामजदगी मैं न करूं, ऐसी बात भी नहीं है। उससे कोई परिणाम नहीं पैदा होता।

यह जो प्रश्न माननीय लहरी जी से पूछा गया इस पर माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है कि "श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने अध्यक्ष से मुझे तथा श्री परमेश्वरदीन वर्मा को अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कमेटियों तथा सदन की स्टैंडिंग कमेटियों में भाग लेने से प्रतिबन्ध लगाने की जो मांग की है वह विशेषाधिकारों की अवहेलना तथा अध्यक्ष के विशेषाधिकारों की प्रत्यक्ष अवहेलना है। अतः मैं मांग करता हूं कि श्री अवधेश प्रताप सिंह के विशेषाधिकार की अवहेलना करने के कारण यह मामला उचित निर्णय के लिए विशेषाधिकार कमेटी को सुपुर्द किया जाय।"

यह मुझे ११ बजकर ५ मिनट पर मिला। इस कारण निश्चित समय के बाद आया। खैर, इस बात का अगर मैं खयाल भी न करूं तो भी विशेषाधिकार का यह प्रश्न नहीं है। प्वाइंट आफ आर्डर का या वैधानिकता का प्रश्न हो सकता है कि क्या इस तरह से कोई सदस्य सुझाव दे सकते हैं? ऐसा सुझाव मेरी समझ में नहीं दिया जा सकता। माननीय अवधेश-प्रताप सिंह को उक्त नियम ही नहीं मालूम है कि पार्टी से सदस्य हटने से ऐसा कोई परिणाम होता ही नहीं है। अगर जानकारी न होते हुए उन्होंने सुझाव भेजा है तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है। यह प्रश्न सुझाव की वैधानिकता का है और माननीय लहरी जी पूछ सकते हैं कि नियम क्या है।

(श्री जगन्नाथ लहरी के खड़े होने पर)

मैं इस पर कह चुका हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--मेरा तो श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर है और वह यह है कि जो अवधेश प्रताप सिंह जी का पत्र है वह पार्टी को रिप्रेजेन्ट करने से रोकने के लिये नहीं है बल्कि "पार्ट" से है :

"Mr. Jagannath Lahri and Mr. Parmeshwar Din Verma are no more members of I. P. L. P. Party and kindly may not be allowed to represent the party on any standing committee or on any committee appointed by you."

श्री अध्यक्ष--असल में हमारे दफ्तर में टाइप करने में वह ग़लती हो गई। उसके लिये मैं खेद प्रदर्शित करता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं। पत्र में "पार्टी" शब्द उन्होंने लिखा था "पार्ट" शब्द नहीं था।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं "पार्ट" वाले शब्द को पार्टी माने लेता हूं लेकिन मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि क्या कोई भी मेम्बर इस विधान सभा के अध्यक्ष को इस बात की आज्ञा दे सकता है या उनसे मांग कर सकता है कि किसी भी सदस्य को इन स्टैंडिंग कमेटीज में या आपके द्वारा नियुक्त कमेटियों म भाग लेने से रोक दिया जाय? क्योंकि आप जो कमेटी बनाते हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो मेम्बर होता है वह उसमें इस सदन के सम्मानित सदस्य होने के नाते लिया जाता है। उसमें किसी पार्टी विशेष का रिज़र्वेशन नहीं होता है। अगर पार्टी विशेष की सीट सुरक्षित उसमें होती तब तो यह मांग की जा सकती है कि फलां व्यक्ति हमारी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेन्ट नहीं कर सकता है जो कि पहले उस पार्टी में था। किन्तु हम सब सदस्य इस सदन के सदस्य होने के नाते उसमें लिये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो पत्र लिखा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस सम्मानित सदन के सदस्यों के अधिकारों की उपेक्षा करके एक नया प्रश्न सदन के सामने उपस्थित नहीं कर दिया है कि पार्टी का सेक्रेटरी जब चाहे तब अध्यक्ष से इस बात की मांग करे कि फलां व्यक्ति को स्टैंडिंग कमेटीज़ या आपके द्वारा नियुक्त कमेटियों को रिप्रेजेन्ट करने से रोक दिया जाय? यह एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का उनका कार्य अधिकारों पर आक्रमण नहीं है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह उनके लिये लिखना उचित नहीं था। अगर कोई गलतफहमी से लिख देता है या गलत बात पर आपत्ति करता है, जैसा कि आपने ही विशेषाधिकार का प्रश्न गलत उठाया, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। उनके सुझाव के विषय में आप मेरा फैसला चाहते थे तो मैंने वह फैसला दे दिया कि वह गलत है। आइन्दा भी यह सवाल नहीं उठेगा। इस तरह से मैं समझता हूं किसी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी के सदस्य के विषय में लिखना कि वह पार्टी में नहीं रहे तो वह किसी कमेटी में नहीं रह सकते, उचित नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते सदन या अध्यक्ष उक्त सदस्य को समिति में रख सकते हैं। आइन्दा ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी--"टू रिप्रेजेन्ट दि पार्ट" उसमें लिखा हुआ था। मैं समझता हूं कि पार्टी के लिये यह प्रश्न उठाना उचित नहीं था।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये तो मैंने कह दिया कि यह दफ्तर में गलती हो गई।

धारा १०७/११७ के अंतर्गत दंडित व्यक्तियों के बंदूकों आदि के लाइसेन्स रद्द न करने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री रघुनाथ सहाय ने दिया है जो कुछ नये प्रकार का है। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं--"उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में दफा १०७ और दफा ११७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत एक दो नहीं सम्भवतः सैकड़ों केस चल रहे हैं। कितने ही केसों में फैसले भी सुना दिये गये हैं। जिन अभियुक्तों को शान्ति भंग करने का अपराधी पाया गया, उनमें से कितने ही असलहा (fire arms) के लाइसेन्सी भी हैं। श्रीमन्, उनके असलहा जो कि अभियुक्त इस समय जेल या हवालात में हैं निश्चित है कि अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं। अतः सैकड़ों (fire arms) को इस प्रकार छूट देना प्रदेश के लिये बहुत बड़ा खतरा है। जिन अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कानून के विरुद्ध अपराधियों को छूट देकर प्रदेश की अपराध स्थिति को और भी भयावह होने की सम्भावना पैदा की है, उनके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही न करके बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ले लिया है। मैं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव करता हूं कि इस समय सदन की कार्यवाही रोककर उपरोक्त परिस्थिति पर विचार किया जाय।"

इस विषय में मैं कामरोको प्रस्ताव उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह बिलकुल ही निश्चित नहीं है। माननीय प्रस्तावक केवल अन्दाजा लगा लेते हैं कि उनकी सब बन्दूकें और तलवारें वगैरह अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं और उनका दुरुपयोग होने वाला है और वहां के अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं कर रहे होंगे। तो सभी चीजें कल्पना से माननीय सदस्य ने लगा ली हैं और अन्दाजा लगा कर कोई बात निश्चित नहीं हुआ करती। दूसरी बात यह है कि अगर यह निश्चित भी होती तो यह विषय ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई कामरोको प्रस्ताव लाया जा सकता क्योंकि यह केवल स्थानीय अधिकारियों की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न था। माननीय सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे और जानकारी हासिल करके सरकार जो उत्तर देती उस पर आध घंटे की बहस मांग सकते थे अगर यह दिखाई देता कि जिलों में नियम के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है या अपराध बढ़ गये हैं। मैं इन कारणों से कि, निश्चित भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, इस प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं।

सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अभिकथित ज्यादती की जांच के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं आदरणीय सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में जब श्री राजनारायण को सदन से बलपूर्वक हटाने के लिये बड़े दुःख के साथ मुझे कार्य-

वाही करनी पड़ी, उसके बाद यहां पर मुझ से उनके दल के साथियों ने आकर सदन के सामने यह शिकायत की थी कि उनके साथ पुलिस द्वारा ज्यादती हुई है और जो शक्ति का उपयोग हुआ है वह अधिक हुआ है और कई अपशब्द उनके खिलाफ कहे गये, इत्यादि शिकायतें थीं। मैंने उनसे कहा था कि यदि आपको शिकायतें हैं तो लिखित आप दे दें, मैं जांच करूंगा। इसके बाद मैंने जांच शुरू कर दी। एक-एक करके मैंने उनकी पार्टी के लोगों को भी, जो चाहते थे कि जांच में आकर अपना बयान दें, बुलाना प्रारम्भ किया। कुछ सदस्यों का, जिन्होंने शिकायत की थी, बयान भी लिया और मैं बहुत गुप्त रीति से उनका बयान लेना चाहता था क्योंकि मैं सत्य को जानना चाहता था और बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते थे कि जो किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन सत्य कहना चाहते थे। मैं इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं हूं कि सदन को बताऊं कि किसने क्या कहा। मैंने इस बात का इस कारण जिक्र किया कि कुछ समय बाद ही कुछ पत्र मेरे पास उनकी पार्टी की तरफ से आये जिनमें लिखा था कि "इस वक्त हमारी पार्टी के लोग जेल में हैं इसलिये यह जांच स्थगित कर दी जाय।" कुछ लोगों ने इस तरह का भी जिक्र किया कि १५ रोज के लिये समय और बढ़ा दिया जाय और उन व्यक्तियों में, उनकी पार्टी के दफ्तर के लोग थे जिन्होंने १५ दिन पश्चात् बयान देने के लिये मुझे सूचना दी। मैंने उनको नोटिस दिया कि वे शीघ्र आ जायं, लेकिन वह देहात चले गये और उन्होंने कहा कि आने के बाद हम गवाही देंगे। लेकिन उनके नेता जो श्री राजनारायण जी हैं, उनका जो तार आया उसमें जो दो प्रकार की मांगें हैं वे परस्पर विरोधी हैं। उस तार से मुझे मालूम होता है कि एक तरफ वह यह कहते हैं कि जब तक हम छूट कर न आयें, आप जांच न प्रारम्भ करें क्योंकि वह एक-तरफा होगी और दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि मैं जांच न करूं। मैं आदरणीय सदन में यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना होने के बाद मुझे जांच करना आवश्यक नहीं था और न कहीं साधारण रीति से जांच होती ही है। लेकिन यदि किसी सदस्य को कोई शिकायत हो तो उसकी शिकायत पर मैं जांच भी कर सकता हूं और यदि यह सदन आज्ञा देगा तो भी ऐसी परिस्थिति में जांच हो सकती है। यही दो अवस्थायें हैं। एक तो अगर सदन बहुमत से निश्चय करता है कि वह ऐसी शिकायतों की जांच चाहता है तो एक कमेटी बैठाकर उसे करा सकता है या अध्यक्ष को सदन कह सकता है कि आप जांच कर लें, या दूसरे, अध्यक्ष स्वयं अपने कर्तव्य में ऐसी जांच कर सकता है। अध्यक्ष को इस बात की खुशी नहीं है कि वह अकारण जांच प्रारम्भ करे क्योंकि उसकी आज्ञा से जो कार्य किया गया है उसमें साधारणतया यह समझा जाता है कि कोई ज्यादती नहीं हुई होगी। लेकिन अगर किसी को शिकायत है तो शिकायत को अध्यक्ष दबा भी नहीं सकता है और जांच करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इसलिये मैंने जांच करने का निश्चय किया था। अध्यक्ष द्वारा जब जांच होती है तो इसी विश्वास पर होती है कि सबका विश्वास उस जांच में है, तभी अध्यक्ष स्वयं जांच करेगा नहीं तो नहीं करेगा। मैंने तो यह समझा था कि जब उनकी पार्टी के लोगों ने मुझसे शिकायत की है तो वे चाहते हैं कि मैं जांच करके उचित कार्यवाही करूं। लेकिन उनके नेता जब ऐसी बात कहते हैं जिसमें मुझे यह शक मालूम होता है कि, वह जांच में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसी स्थिति में मैं जांच को स्थगित करता हूं। जब तक उनके नेता नहीं कहेंगे कि मैं जांच करूं तब तक मैं जांच नहीं करूंगा और मैं अपनी अब तक की जांच का निर्णय भी इस सदन के सामने नहीं सुनाऊंगा। जो कुछ मैंने अब तक बयान लिये या शाम तक जिन लोगों को बुला रखा है उनके बयान जो लिये जायेंगे उन सबको अगर सदन के माननीय सदस्य देखना चाहें तो गुप्त रीति से, इस शर्त के साथ कि उसका वह बाहर जिक्र नहीं करेंगे, देख सकते हैं और घटना के बारे में अपना अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं उक्त जांच को स्थगित करता हूं और जब तक श्री राजनारायण जी सदन में नहीं आते हैं और अपने तार का स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि आया वह मेरे द्वारा जांच चाहते हैं या नहीं, तब तक वह जांच स्थगित रहेगी। जब तक सम्पूर्ण सदन का विश्वास नहीं होगा तब तक मैं जांच करना उचित नहीं समझता हूं।

विधान सभा के लिये अलग से पुलिस फोर्स रखने के प्रश्न पर विचार करने का सुझाव

श्री अध्यक्ष---एक बात इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं। यहां पुलिस के उपयोग पर देश भर में कुछ चर्चा चली, इसी कारण मैं थोड़ी सी इस विषय में जानकारी हासिल करने में लग गया था। आदरणीय सदन में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि कहीं कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी घटना हुई थी। कुछ अखबारों में ऐसा भी लिखा गया कि सदन Sanctum and sanctorium यानी पवित्र जगह है, उसमें पुलिस जैसी शक्ति क्यों कर उपयोग में लाई गई। मैं इस विषय में एक पुस्तक का यह एक पैराग्राफ, सफाई की दृष्टि से नहीं, बल्कि आगे के लिये मेरी जो तजवीज है, उसके सिलसिले में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं नेता सदन से भी इस विषय में बात करूंगा और अन्य पार्टियों के नेता जब फिर से वे सदन में आ जावेंगे तो उनसे भी बात करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी और अव्यवस्था की स्थिति में क्या प्रबन्ध किया जा सकता है और दूसरे देशों में क्या प्रबन्ध होता आया है। मैं इस विषय में ऐसी उचित व्यवस्था करना चाहता हूं जिससे भविष्य में इस तरह की कोई गलतफहमी, शोर या टीका न हो सके। यह एक पैराग्राफ आप कृपा करके सुन लें। यह पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट, इसमें पुलिस इन पार्लियामेंट के हेडिंग के अन्तर्गत निम्न बातें सूचनार्थ दी हैं :--

"The important duties performed by the police in the Parliaments of the Commonwealth are obvious to the most casual visitor, and they have become an indispensable adjunct to the parliamentary system of government. As well as maintaining order and preventing the intrusion of unauthorized persons, they have their part to play in the ceremonial of Parliament and some times, as at Ottawa, where the Royal Canadian Mounted Police are on duty, a very colourful part. A sessional order of the British House of Commons directs that the police shall keep the streets leading to the Houses of Parliament free and open, and that no obstruction shall be permitted to hinder the passage thereto of the Lords or Members of the Commons. The police accordingly give every facility to members and officers of the two Houses to cross the street and approach the Houses of Parliament without interruption, and when necessary hold up the traffic for this purpose. The police maintain order in the lobbies and corridors of the House of Commons, and the only occasion on which they were called into the Chamber for this purpose was in 1901. Twelve Irish Nationalists had been suspended but refused to leave the Chamber, and Speaker Gully eventually sent for a body of police to remove them. Nine of the Irishmen, fiercely resisting to the last, were borne on the shoulders of constables out of the Chamber amidst a tremendous uproar. During the session the House of Commons has an inspector, a sergeant and 28 constables on duty under the control of the Sergeant-at-Arms, the cost being borne by the House of Commons. The Metropolitan Police have performed duty at the Houses of Parliament since the constitution of the Force in 1829."

इससे स्पष्ट है कि जो सबसे पवित्र जगह समझी जाती है---ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसका जिक्र किया गया है---उसमें भी पुलिस का उपयोग सदन के अन्दर किया गया ऐसी परिस्थिति में जबकि लोग वैध आज्ञा होने पर भी सदन छोड़ते नहीं थे। मैंने इस घटना की प्रोसीडिंग्स देखीं और पार्लियामेंट में सबने मिलकर आर्गेनाइज तरीके से एक दूसरे को पकड़ कर के विरोध नहीं किया था। एक-एक करके विरोध किया था और एक-एक करके आज्ञा तोड़ने वाले सदस्य कन्धे पर ले जाये गये, पुलिस द्वारा शक्ति का प्रयोग करके वे सदन के सामने बाहर ले जाये गये। किसी के द्वारा प्रिविलेज का मोशन भी बाद में लाया गया लेकिन

अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न हो सकता है, उसमें प्रिविलेज का मोशन नहीं हो सकता है। मैं भी ऐसी अवस्था में कह सकता हूं कि यह प्रतीत होता है कि पुलिस की शक्ति उपयोग में लाई जा सकती है। लेकिन जिस समय ऐसी गड़बड़ी अचानक हो उस समय क्या साधारण पुलिस फोर्स को तत्काल बुला लिया जाय या स्थायी रूप से सदन के अधिकार में एक ऐसा फोर्स हो जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में है--यानी वहां जैसे मैट्रोपोलिटन पुलिस है और इन्सपेक्टर, सार्जेन्ट और सिपाही रहते हैं, क्या उसी प्रकार यहां भी रहना चाहिये, यह प्रश्न है। अगर ऐसा फोर्स अलग से हो जाय तो पुलिस के उपयोग के संबंध में जो विरोध है उसके खत्म होने की सम्भावना है। मैं चाहता हूं कि नेता सदन, और दूसरी पार्टियों के नेता जब आ जावें, वे भी इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर लें क्योंकि पार्लियामेंटरी पद्धति, जो शान्तिपूर्ण वातावरण में वादविवाद करने की है, उसकी प्रतिष्ठा को हमें कायम रखना है। जनता की भावनाओं के सामने हम अपनी आंखों को बन्द नहीं कर सकते। अगर जनता की यह इच्छा होती है कि बाहर की पुलिस सदन में न लायी जावे तो हम लोगों को यह निश्चय कर ही लेना चाहिये कि, चाहे थोड़ा खर्चा बढ़ भी जाय, हम स्वतंत्र एक ऐसी पुलिस की टुकड़ी अपनी सदन की रख लें जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर ले कि किस तरह से सदस्यों को बाहर ले जाना चाहिये, जब कि ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो तो कम से कम शक्ति का इस्तेमाल करके किस खूबी के साथ सदस्यों को सदन की आज्ञा पर बाहर निकाला जा सकता है। मैं इतना सुझाव इस समय देकर अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रेनिंग का कोई इन्स्टीट्यूशन खोलना, होगा क्योंकि हमारे ट्रेनिंग कालेजों में जो ट्रेनिंग होती है वह तो होती ही है।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो आप सबके ऊपर भार छोड़ा है और मेरा तो अभी अपना कोई ट्रेनिंग के बारे में स्पष्ट विचार भी नहीं है। मैंने उद्धरण में यह भी पढ़ा था कि उक्त टुकड़ी का सदस्यों को बाहर निकालने का ही काम नहीं है, माननीय सदस्यों को बाहर से अन्दर आने में जो दिक्कतें पड़ती हैं उनकी सुविधा के लिये वह टुकड़ी ट्रैफिक को भी रोक सकती है। दोनों प्रकार की बातें वह टुकड़ी करेगी। सिर्फ निकालने का ही सवाल नहीं है, माननीय सदस्यों को हर प्रकार की सहूलियत और सहायता देना भी उनका काम होगा। उसका दूसरा काम यह भी होगा कि अगर ऐसी गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाय तो वे इतने ट्रेन्ड होंगे कि वह अपना काम भी बड़ी आसानी से कर सकें। लोगों का कहना यह है कि बाहर की जो पुलिस है, उसको आम जनता के नियंत्रण करने में कुछ दूसरे प्रकार की ही आदत होती जाती है। हो सकता है उसको उस प्रकार की कोई ट्रेनिंग न देने की वजह से उनके कार्य में लोगों को कुछ रूडनेस मालूम पड़ती हो। चाहे स्वयं कुछ सदस्यगण उनसे भी ज्यादा 'रूड' हो जाते हों लेकिन उसकी परवाह न करके प्रशिक्षित संगठित शक्ति से उम्मीद यह की जाती है कि उन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी हो कि वे ऐसे मौकों पर "रूड" न होने पायें।

सदन से सदस्यों को हटाते समय पुलिस द्वारा अभिकथित ज्यादती की जांच के सम्बन्ध में सूचना---(क्रमागत)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी के तार के संबंध में मेरा निवेदन है कि जब उनको आप में विश्वास नहीं है तब आपने केवल उसको स्थगित कर दिया है। मेरी राय है कि उसको समाप्त ही कर दिया जाय। यदि बाद में वे प्रार्थना-पत्र उस बारे में दें, तब फिर आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष---अगर मैं उसको समाप्त कर दूंगा तो, यदि वे प्रार्थना भी करेंगे तो भी मैं उस जांच को फिर से नहीं करूंगा । जब एक बार कोई चीज समाप्त हो गयी तो वह खतम ही हो जावेगी इसलिये ही मैंने उसको स्थगित किया है कि यदि वे फिर चाहें तो मैं जांच प्रारम्भ करके समाप्त कर सकूं ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---प्रतिपक्षी का एक तार आपके सामने आया है और उससे ऐसा मालूम होता है कि आपके ऊपर उनको विश्वास नहीं है । जब उनको विश्वास नहीं है तो फिर आप क्यों उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं तो विश्वास कर रहा था कि उन्हें जांच पर विश्वास होगा । यदि अविश्वास करता तो मैं क्यों कर जाँच करता ? अगर वे फिर कहेंगे तो जांच कर लूंगा । मैं अविश्वास से नहीं बल्कि विश्वास से कार्य प्रारम्भ कर सकता हूं ।

द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, मैं सबसे पहले इस आदरणीय सदन से इस बात की क्षमा चाहता हूं कि इधर पिछले दो सालों से प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुये । मान्यवर, उसका कारण स्पष्ट है कि सन् १९५५ में जो समिति बनी थी, उसके माननीय सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार की लेकिन पूर्व इसके कि पूरी समिति से यह स्वीकृत होती, तब तक उसका समय समाप्त हो गया । फिर सन् १९५६ के अक्तूबर के महीने में हमारी समिति बनी । श्रीमन्, यह सब की जानकारी है कि अक्तूबर, सन् १९५७ में चुनाव था, उस की हमें चिन्ता लग गयी । यही विशेष कारण रहे जिनकी वजह से यह समिति अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी । फिर भी विलम्ब हुआ ।

यह जो हमारी समिति है उसने सन् १९५५ तक ९ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । सरकार की तरफ से एक ऐसा कायदा बना हुआ है कि जिन बातों में सरकार हमारी सिफारिशों को मान लेती है, वह कमेंट के रूप में हमारे पास भेजती है। उसके बाद विभाग की तरफ से एक लाइसेन आफिसर आता है और उसका विचार-विनिमय हमारे साथ होता है । उसके बाद जिस निश्चय पर हम लोग पहुंचते हैं, उसका इसमें समावेश कर दिया जाता है । मैंने जो प्रतिवेदन आप के सामने पेश किया है, वह हमारी पहली रिपोर्ट के सम्बन्ध में है । उस सम्बन्ध में सरकार ने जो बातें मानी हैं अथवा नहीं मानी हैं तथा विचार-विनिमय करने के बाद समिति जिस निश्चय पर पहुंची है, उनको उसमें रख कर हमने हाउस के सामने पेश किया है । श्रीमन्, मुझे दो एक बात आप के द्वारा इस सदन से और सरकार से कहनी है । जो हमारे पास कमेंट्स आये उनको पढ़ कर मुझे ऐसा लगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो टिप्पणी भेजी गयी, बहुत कुछ वैसी की वैसी हमारे पास भेज दी गयी । मैं आपके द्वारा बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि कई महीने तक विचार-विनिमय करने के बाद विभागीय कर्मचारी ने कोई केस उस प्रकार का पेश करें और फिर उनकी टिप्पणी आ जाय, तो मुझे ऐसा लगा कि वही काम हमको फिर दोबारा करना पड़ता है । मैं यह समझता हूं कि यदि सरकार भी उनकी टिप्पणियों से सहमत हो तो होना यह चाहिये कि जो उसकी भाषा हो उससे यह महसूस हो कि यह जो टिप्पणी है सरकार की तरफ से आयी है, विभाग की तरफ से नहीं आयी है । एक बात मुझे यही कहनी थी ।

दूसरी बात यह है जिसका मुझे दुख भी है, मैं यह महसूस करता हूं कि आंकड़ों के मामले में हमारे विभाग बावजूद इसके कि टिप्पणी. . . .

*छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि आप इससे अधिक ब्योरे में न जायं।

श्री नवलकिशोर--- मैं एक मिनट में कहता हूं। मैं केवल यह ध्यान आकर्षित करना चाहता था और यहां कई बार यह बात आ चुकी है, मुझे ऐसा लगा और अनुभव भी हुआ कि विभाग से जितनी बार आंकड़े मांगे गये उतनी बार भिन्न-भिन्न आंकड़े मिले। हो सकता है कि इसका कोई कारण हो, तो मैं चाहता हूं कि उस तरफ भी कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिये। और सब चीजें चूंकि इसके अन्दर दी हुई हैं, इसलिये मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, आपने इस समिति के कार्य में जो इतना इंटरेस्ट लिया और हमारा पथप्रदर्शन किया उसके लिये मैं स्वयं आप का बड़ा आभारी हूं और समिति की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ सार्वजनिक विभाग के कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया और परिश्रम किया, उसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे समिति के जो कर्मचारी हैं या उससे सम्बन्धित जितने कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस कार्य के अन्दर सहयोग दिया, मैं यह चाहता हूं कि उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करूं। और उसके बाद जो प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन है उसे इस हाउस के सामने पेश करता हूं।

सोन नदी की बाढ़ से सम्बन्धित २२ सितम्बर, १९५८ के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में सूचना

*स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---श्रीमन्, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री जगन्नाथ लहरी ने दिया था उसमें सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जांच करा ली जायगी, तो जांच का परिणाम आ गया है, अगर आप की आज्ञा हो तो उनको बतला दूं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, बतला दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव--- अध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ लहरी ने २२ तारीख के अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव द्वारा यह कहा था कि अछनेरा नगर को राजस्थान से पानी छोड़ा जाता है। मैंने उत्तर दिया था कि इसकी जांच करा ली जायगी और सूचना आने पर सूचना दे दी जायगी। मैंने अभियन्ता सिंचाई विभाग और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इसकी जांच करायी तो यह पता चला है कि दरअसल मथुरा जिले में एक नाला ३२ मील लम्बा है, उस नाले से ही उसमें पानी ज्यादा आ गया था जिससे अछनेरा में ज्यादा पानी हो गया। ११ तारीख को भी मथुरा जिले में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो यह कहना कि राजस्थान से पानी छोड़ा गया, उस जांच से मालूम हुआ कि यह बात सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---राजस्थान से नाले में पानी नहीं आता है?

श्री रामस्वरूप यादव--- जी नहीं।

**उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---मैं अब एक बात कहना चाहता हूं। कल माननीय जगन्नाथ लहरी का एक संशोधन आया, उसमें यह था कि "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**२४ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

†२५ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय।" तो जनमत जानने के लिये कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक जो कौंसिल से पारित होकर आता है, उसके सम्बन्ध में नहीं लाया जा सकता। नियम के अनुसार सिर्फ दो प्रकार के प्रस्ताव आ सकते हैं। एक यह कि विधेयक रेफर किया जाय सेलेक्ट कमेटी को, दूसरा यह कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो, ये प्रस्ताव तो आ सकते हैं, लेकिन संशोधन का प्रस्ताव जनमत जानने के लिये नहीं लाया जाता। इसलिये मैं उक्त प्रस्ताव पर सदन में राय नहीं लूंगा। इतना मैं बता देता हूं।

अब माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय, पर विचार जारी होगा। माननीय रामेश्वर प्रसाद जी कल भाषण दे रहे थे।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि लोकतंत्रवादी व्यवस्था की शक्ति और इसका विकास उस राष्ट्र की सम्पूर्ण आय और उसके वितरण से संबंधित होती है। इस दृष्टि से जब हम भारतवर्ष के बारे में देखते हैं तो यह पाते हैं कि हमारे देश में केवल कृषि ही एक ऐसी मुख्य सम्पत्ति है जो कि यहां की आय का साधन है और यही किसी व्यक्ति की हैसियत का मापदंड हो सकती है। इसी सिद्धांत के तहत में और हमारे यहां जो लोकतंत्र चल रहा है उसको सफल बनाने के हेतु यह जो प्रदेशीय सरकार है इसने अपने विगत वर्षों में भूमि-व्यवस्था के प्रश्न को हल करने के लिये सबसे पहला कदम उठाया है और इसे सबसे पहला स्थान दिया है। इस प्रदेश या देश में भूमि-व्यवस्था का प्रश्न आज का नहीं है बल्कि जब यहां ब्रिटिशर्स शासन करते थे, विदेशी हुकूमत थी, तब से हमारे यहां के सर्वमान्य नेता समय-समय पर इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार करते रहे हैं। उनका यह दृष्टिकोण था कि सबसे प्रथम वह इसी भूमि-व्यवस्था के प्रश्न को सर्वोपरि स्थान देंगे और वैसा ही हुआ। आप जैसा जानते हैं, इस प्रदेश की सरकार ने जमींदारी का अन्त किया। जमींदारी का अन्त होते ही यहां के लोगों के जीवन में एक क्रांति सी आयी। यहां का किसान जो पहले तबाह था, अपने अस्तित्व को भूला हुआ था, जिसका अस्तित्व प्रति मिनट खतरे में था और उसकी जो इकोनामी थी वह डिस्टर्ब्ड थी। इस जमींदारी एबालिशन के बाद उसकी इकोनामी में एक मजबूती आयी, उसमें एक निश्चितता आयी और वह इस काबिल हुआ कि यहां के आर्थिक ढांचे में वह सांस ले सके। साथ ही साथ आज यहां के किसान को यह अधिकार प्राप्त है कि गांव की सम्पत्ति में उसका अधिकार है, प्रदेश की सरकार या देश की सरकार में उसका हिस्सा है और मेरा यह निश्चित मत है कि एक आमूल परिवर्तन यहां के लोगों के जीवन में हुआ है। इसलिये अगर कोई व्यक्ति यह विचार जाहिर करे कि जो कुछ यहां की प्रदेशीय सरकार ने भूमि-व्यवस्था के बारे में किया है वह भी अक्रांतिकारी है, या अप्रगतिशील है तो मेरा उससे मतभेद है। मैं समझता हूं कि भूमि के मसले को हल करने के लिये निश्चित कदम इस प्रदेश की सरकार की ओर से उठाये गये हैं जो कि प्रगतिशील हैं और काफी आगे ले जाने वाले हैं, गरीबों को सहारा देने वाले हैं।

इसके साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि जो भूमि-व्यवस्था अधिनियम हमारे यहां लागू है उसके जरिये एक नई व्यवस्था, नया परिवर्तन कृषकों के जीवन में आया। साथ ही साथ जो लोग ओवर लुक कर जाते हैं और हल्केपन से कर जाते हैं और कहते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है उनको मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि यह वही प्रदेश है जिसमें आज से कुछ वर्ष पूर्व ४० किस्म के किसान थे। लेकिन अब उन सब को खत्म करके मुख्य दो प्रकार के किसान हैं: सीरदार और भूमिधर। एक तीसरे प्रकार के और हैं जिनको असामी कहते हैं।

यदि हम अपने यहां के अधिनियम का दूसरे प्रान्तों से मुकाबिला करें तो पायेंगे कि यही एक ऐसा प्रान्त है जहां किसानों के मसले को पूरी तौर पर हल करने की चेष्टा की गई। आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखें उत्तर प्रदेश और देहली ही ऐसे प्रान्त हैं जिनमें किसानों को अपनी भूमि पर पूरे तौर से अधिकार दे दिये गये हैं। यहां इस प्रदेश में जो मध्यवर्तियों को मुआविजा दिया गया उसका बोझ किसान पर नहीं पड़ा बल्कि सरकार ने वहन किया, लेकिन देहली में यह हुआ कि वहां जिस काश्तकार को हक दिया गया उसके द्वारा मध्यवर्ती को मुआवजा दिलाया गया और वह लगान के रूप में उससे वसूल किया गया। इसके साथ ही साथ और दूसरे सूबे हैं जैसे बम्बई, राजस्थान, हैदराबाद, हिमांचल प्रदेश, जहां पर भूमि-व्यवस्था के प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई परन्तु वह कहां तक कामयाब हुये हैं यह इसी से जाहिर है कि उन्होंने यह अधिकार तो दिया कि भूमि-व्यवस्था लागू करेंगे, जमींदारी खत्म करेंगे लेकिन भूमि-व्यवस्था के लागू करने पर उन्होंने जमींदारों को यह हक दे रखा है कि वह काश्तकार को अपनी निजी जोत के लिये बेदखल कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार उनको है। जब जमींदार अपनी निजी जोत के लिये जमीन चाहे तो किसी हद तक वह काश्तकार को बेदखल करता है। आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पैप्सू और कच्छ में यह व्यवस्था है कि वहां पर काश्तकार के बिना यह खयाल किये कि उसके पास उसकी निजी जोत के लिये थोड़ी बहुत भूमि बचती है या नहीं, पूरी भूमि को अगर जमींदार चाहता है तो बेदखल कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां भूमि-व्यवस्था का नियम लागू है वह काफी आगे ले जाने वाला है। और अगर इसको मैं सर्वोपरि कहूं तो गलत न होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम यहां आया और इसमें मंत्री जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जो अभी प्रदेश में अधिकतम जोत की सीमा ३० एकड़ थी, अब उसको १२ १/२ एकड़ पर लाने का प्रयत्न इस विधेयक के द्वारा किया गया है जो आज हमारे सामने प्रस्तुत है। तो मैं समझता हूं कुछ माननीय सदस्यों को इसके बारे में थोड़ी सी मिसअन्डरस्टैंडिंग सी हो रही है क्योंकि जो अधिनियम में दिया हुआ है वह सिर्फ इतना है कि अभी तक जो हमारे यहां प्रदेश में अधिकतम जोत की एक परिवार की सीमा थी वह ३० एकड़ थी। उसके ऊपर अगर कोई परिवार जमीन लेना चाहे तो उस के ऊपर पाबन्दी थी और वह नहीं ले सकता था। पर उसी सीमा को, समय की मांग को देखते हुये और प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये यह किया जा रहा है और ३० एकड़ की सीमा को अब १२ १/२ एकड़ किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया है कि १२ १/२ एकड़ की सीमा तो की जा रही है लेकिन परिवार की व्याख्या कम कर दी गई। मैं नहीं समझता कि अगर वह कम कर दी गई है तब भी १२ १/२ एकड़ की सीमा से लाभ नहीं होगा। मैं नजीर के तौर पर बता दूं कि अगर किसी परिवार में एक बाप है और उसके ३ लड़के बालिग हो गये, तो इस तरह से वह चारों बालिग मिलकर अलग-अलग होकर चारों ३०-३० एकड़ जमीन ले सकते थे, उस तरह से अगर रहता तो वह चारों मिलकर १२० एकड़ जमीन कब्जे में रख सकते थे; लेकिन अब जो होने जा रहा है उस का मोटा हिसाब है कि अगर किसी परिवार में एक बाप और उस के तीन बालिग बेटे हैं तो वे चारों मिलकर कुल ५० एकड़ जमीन ही रख सकते हैं। इस तरह से आप देखें तो उनके लिये यह ७० एकड़ का फर्क पहले से किया गया यानी बजाय १२० एकड़ के अब वे केवल ५० एकड़ ही रख सकते हैं, इस से जमीन बचती है उन के लिये जिन के पास जमीन नहीं है। यह एक प्रगतिशील कदम है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस को ज्यादा टीका-टिप्पणी का प्रश्न बनाया जा सके। जब यह चीज अमल में आयेगी तो इस का असर फौरन ही होने वाला नहीं है और न इससे किसी के खेत छिनने वाले हैं। इसका असर तो कुछ समय के बाद आगे दिखाई देगा, ज्यों-ज्यों हमारा समाज आगे बढ़ेगा इस का असर होगा। लहरी जी आज नहीं हैं, कल उन्होंने एक बड़े आश्चर्य की बात कही थी कि "टके सेर भाजी टके सेर खाजा", अगर उनकी समझ में कोई बात नहीं आई थी तो उन को चाहिये था कि वह हम में से किसी से समझ लेते।

अब दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि प्रश्न तो केवल थोड़ा-सा है लेकिन कुछ माननीय सदस्य उस के तहत में एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं और उसका यह अर्थ लगाते हैं कि यह १२ १/२ एकड़ की सीमा ही क्यों लगाई जा रही है और फिर से भूमि वितरण क्यों नहीं कर दिया जाता? परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि भूमि वितरण का प्रश्न तो एक अलग मौलिक प्रश्न है। आज हमारे यहां भूमि वितरण नहीं हो रहा है, इसका तो आगे असर पड़ेगा। भूमि वितरण का

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

प्रश्न भी यद्यपि हमारे सामने है परन्तु यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिस का सम्बन्ध केवल इस प्रदेश के लोगों से ही हो बल्कि इस की चर्चा इधर अखबारों में भी कई बार हो चुकी है और दिल्ली के लेविल पर भी यह प्रश्न आ चुका है। जब माननीय सदस्य भूमि वितरण की बात करते हैं तो या तो वह हिसाब नहीं लगाते कि इस प्रदेश में जो जमीन की स्थिति है, जो जमीन हल के नीचे है या जिस पर खेती होती है वह कितनी है, उसके विषय में वह जानते नहीं और इसी कारण से वह ऐसी बात उठा देते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो भूमि वितरण का प्रश्न है यह राजनीतिक है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिये इसको उठाते हैं। यह एक भावुकता का प्रश्न है। इसमें कोई मजबूती या दृढ़ता नहीं है। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इस भारतवर्ष में और हमारे इस प्रदेश में अधिकतर जो खाते हैं वह अल्प-जोत के खाते हैं, अलाभकर जोत के हैं। भूमि सीमित है, रबड़ नहीं है जो बढ़ा करके जितना जी चाहे दें। जब लोग इसी सवाल के साथ यह जोड़ देते हैं कि साढ़े ७ लाख भूमिहीनों को भूमि दी जाय तो ताज्जुब मालूम होता है। आप देखेंगे कि खेती योग्य भूमि हर जिले में उसकी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार होती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके झांसी कमिश्नरी के खेतिहरों की परिस्थिति दूसरी है, मिर्जापुर की दूसरी है और जो बीच के जिले हैं उनकी दूसरी है। इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही साथ नियोजन कमीशन, जिसकी कि भूमि वितरण करने वाले दुहाई देते हैं कि, वह यह कह रहा है कि भूमि वितरित कर दो, सीलिंग मुकर्रर कर दो, लेकिन यह उत्तर प्रदेशीय सरकार, माननीय चरणसिंह इतने रूखे हैं और कठोर हैं कि नियोजन कमीशन की बात को नहीं मानते हैं। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि मेरा निश्चित मत है और मुझे जानकारी है कि जो नियोजन कमीशन है उसमें अधिकतर ऐसे आदमी हैं, अगर वह क्षमा करेंगे, जो कि काश्तकार नहीं हैं। शायद कोई एक आध काश्तकार हों तो हों। लेकिन कहते हैं कि भूमि वितरण कर दो, सीलिंग कर दो और साथ ही उनका हिसाब और आंकड़े यह हैं कि १,६०० रुपये की कुल आय १,२०० रुपये की शुद्ध आय वाले परिवार की उन्होंने परिभाषा की है कि वह "कौटुम्बिक परिवार" है। इस हिसाब से एक ऐसे परिवार के पास ५० एकड़ भूमि का होना अनिवार्य है, यानी ५० एकड़ का एक कौटुम्बिक परिवार के पास खाता होना चाहिये। उससे कम में वह कहते हैं कि गुजर नहीं हो सकती। उस कुटुम्ब में उनकी परिभाषा के अनुसार पति, पत्नी, आश्रित पुत्र, कन्या, प्रपौत्र और प्रपौत्री सम्मलित किये गये हैं। उसके लिये जिस प्रकार की बुनियादी कौटुम्बिक जोतें जरूरी होंगी एक परिवार को निबाहने के लिये और रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि अगर किसी कुटुम्ब में ज्यादा सदस्य हो जायं तो इतनी जोतों तक उनको बांटा जा सकता है। एक मोटा हिसाब है हमारे माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें कि उनका मतलब यह है कि ५० एकड़ से कम एक परिवार के लिये जमीन नहीं चाहिये। ५० एकड़ उनकी छोटी से छोटी मांग है जो कि एक परिवार को मिलना चाहिये तब भूमि वितरण का मसला उनके हिसाब से हल हो सकता है। अगर इस प्रदेश की सारी बातों का हिसाब लगा लिया जाय जैसे भूमि व सिंचाई की कंडीशन, उर्वरा शक्ति, स्थानीय परिस्थितियां, बुन्देलखंड तथा मिर्जापुर की जमीन तो उसके बाद प्रदेश में केवल ५,२३,१५६ एकड़ जमीन आपके डिसपोजल पर बच रहती है जो आपको वितरण करने के लिये मिल सकती है और यह भी तब होगा जब आप उस जमीन का सर्वे करायेंगे और उसके लिये स्टाफ रखेंगे। सारी कार्यवाहियां करने के उपरान्त आपको यह जमीन उपलब्ध हो सकेगी। इतनी जमीन आप बांटना शुरू करें प्रदेश के लोगों को तो भी समस्या का हल नहीं होगा। अगर आप यह कहें कि कुछ भूमिहीनों को हमें देना है तो मोटे तौर पर भूमिहीनों के साढ़े ७ लाख परिवार हमारे प्रदेश में हैं जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं है और कुछ भूमिहीन ऐसे भी हैं जिनको भूमिहीन की कैटेगरी में लिया जा सकता है, लाना पड़ेगा, जिनके पास १ बीघा, २ बीघा या डेढ़ बिस्वा जमीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ८९,००,००० काश्तकार खेती कर रहे हैं। इस सबको देखते हुये एक बात यह तो सिद्ध हो ही जाती है कि साढ़े ७ लाख परिवारों को ५,००,००० एकड़ के करीब जमीन से सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, असंभव है, असंभव। इसलिये यह प्रश्न तो खत्म हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी अर्थ शास्त्री हैं उनका यह निश्चित मत है कि जिस मुल्क में एग्रिकल्चरिस्ट्स की तादाद ज्यादा होती है वह मुल्क गरीब होता है। अगर इसके अन्दर हम सोचें तो इसका असर यह पड़ता है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा प्रदेश गरीब है लेकिन फिर भी अगर हम २,६१,५७० भूमिहीनों को संतुष्ट करने के लिये या जो भावुकता है उसको खत्म करने के लिये इस बची हुई, निकली हुई जमीन को दे दें तो होता क्या है? २-२ एकड़ के छोटे छोटे खेत बनते हैं और यह सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में २ एकड़ में किसी भी किसान परिवार का भला नहीं हो सकता। न तो उसको वह मेनटेन ही कर सकता है और न उसके बैलों के लिये चारा ही हो सकता है और न इतनी पैदावार हो सकती है जिससे उसके परिवार का पालन-पोषण हो सके। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से यह प्रश्न बिलकुल असंगत-सा मालूम होता है और यह बुद्धिमानी की धारणा नहीं होगी कि हम इस गरीबी में, जो गांवों में फैली हुई है उसमें और एडीशन कर दें। फिर उसकी पैदावार घटेगी क्योंकि जो छोटे खेत हैं वह अन-इकोनोमिक हो जायेंगे। किसान उसको मेनटेन नहीं कर पायेगा और खामख्वाह वह कोशिश करेगा कि सामूहिक खेती हो जाय। वह अपनी जमीन दे देगा और जो मिलना होगा वह मिलेगा। संसार में लोगों ने देखा कि सामूहिक खेती से अच्छी पैदावार नहीं हुई। जहां सामूहिक खेती हुई वहां पैदावार घटती दिखाई पड़ी। इसलिये मैं जानता हूं कि देहाती किसान आगे बढ़ने के लिये तैयार नहीं होगा सिवाय इसके कि उसकी हालत और खराब हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से यह बात उचित नहीं मालूम होती है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमि है, उसको इस तरह की भोक्ता की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? एक परिवार का स्तर देखते हुये उसकी गुजर हो जाय, इसको देख लें। इसके बाद श्रीमन्, सदन के सदस्य और सरकार आपके पास यहां बैठ कर इस बात की कोशिश करें कि दूसरी तरह के धंधे और कारोबार पैदा करने का इनको मौका दिया जाय। मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं। जर्मनी में जो औद्योगीकरण इतना आगे बढ़ गया है उसका कारण यह भी था कि वहां सरकार ने इसकी बंदिश लगा दी थी कि जो बाप का बड़ा बेटा होगा उसको उसकी खेती में, भूमि में और प्रापर्टी में हिस्सा मिलेगा, बाकी लड़कों को कुछ नहीं मिलेगा। इसका असर यह हुआ कि और बच्चों ने अपने हाथ पैर चलाये और स्टेट ने भी उनकी मदद की जिससे वहां काफी इंडस्ट्री डेवलप हुई। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को छिछलेपन से सोचने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसे काफी गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये।

इसके साथ ही साथ, विद्वानों ने, एक्सपर्ट्स ने और हिसाब लगाने वालों ने यह बात तय पाई है कि मिट्टी की किस्म, सिंचाई और खेती की सुविधाओं को ध्यान में रखकर करीब ६ १/४ एकड़ से लेकर १२ १/२ एकड़ के बीच के जो खेत हैं उनको किसी हद तक एक लाभकर जोत कहा जा सकता है। उनका मत है कि इससे नीचे की जो जमीन है वह लाभकर जोत नहीं है। इसका मतलब यह है कि या तो वह परिवार के रहने वालों के लिये नाज नहीं दे पाती है जो उसको मिलना चाहिये या बैलों के लिये चारा नहीं दे पाती है। इसलिये यह बात सर्वमान्य है कि इसके बीच की जो जोत हैं वह ऐसी जोत हैं, अध्यक्ष महोदय, कि वर्तमान परिस्थितियों को खयाल करते हुये उसमें दो व्यक्तियों की और दो बैलों की गुजर कर लेता है। इसलिये मोटे तौर से ६ १/४ एकड़ से १२ १/२ एकड़ की जोत को लाभकर जोत माना गया है। अब अगर जगह की विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर औसत निकाल कर ९ एकड़ का खाता लाभकर मान लें—९.३७५ औसत आता है, तो मैं समझता हूं कि ५५,८०० आदमियों को जमीन मिल सकती है जो हमारे पास है। इसके साथ ही साथ जो नियोजन आयोग है वह आमदनी के आधार पर पता नहीं कौन से आंकड़े निकालता है। उसका कहना है कि १६ एकड़ भूमि होनी चाहिये। तब वह उसको लाभकर खाता मानते हैं। अगर उन्हीं की सलाह मानी जाय तब तो केवल ३२,७०० आदमियों को काम मिलता है। इसके साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, हमको यह भी खयाल रखना होगा कि प्रदेश में जैसा मैंने अभी बताया, ८९,००,००० काश्तकार परिवार हैं, उसमें बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो ९ एकड़ से ऊपर के हों। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और

श्री रामेश्वर प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश से आप खूब वाकिफ हैं कि ज्यादातर खाते ऐसे हैं जो कि ९ एकड़ से नीचे के हैं। अब प्रश्न यह उठेगा कि ९ एकड़ से नीचे के जो खाते हैं उनको अगर अलाभकर मान लेते हैं तो सबसे पहला काम यह हो जायगा कि जो ९ एकड़ से नीचे अलाभकर खाते हैं उन्हीं को भूमि दें कि वह उस इकाई की हद तक पहुंच सकें। ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय, अगर हम ३.१२ एकड़ जमीन और जोड़ कर उन अलाभकर खातों को लाभकर बनाने की कोशिश करें तो मोटा हिसाब है कि केवल १,६७,४०० अलाभकर जोतों को फायदा होगा और वह ७ १/२ लाख भूमि-हीन जिनका माननीय महीलाल जी अक्सर जिक्र किया करते हैं, उनका प्रश्न तो अलग ही है, पहले यह जो अलाभकर जोत के खाते हैं उन्हीं को लाभकर की स्थिति तक पहुंचाना है। केवल १,६७,४०० खातों को लाभकर बना सकेंगे और जमीन दे सकेंगे। इसके साथ ही साथ मैं अब अधिक समय न लूंगा लेकिन आपके द्वारा कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि और लोग भी बोलना चाहते हैं उनको भी आप मौका देंगे ?

श्री रामेश्वरप्रसाद--मैं आपका रुख देख रहा था कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं।

श्री अध्यक्ष--लेकिन कई अच्छी बातें मंत्री जी कह चुके हैं। वह भी उनमें हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद--तो मैं यह कह रहा था कि ७९,००,००० परिवारों में तीन चौथाई परिवार ऐसे हैं जो कि लाभहीन हैं। इसलिये यह प्रश्न बड़े गड़बड़ घुटाले का है। इस प्रश्न को छोड़ा जा रहा है। इसमें कोई लाभ नहीं है सिवाय इसके कि अपनी शक्ति का दु पयोग हो। जो फायदा देने की बात है वह होने वाली नहीं है।

इसके साथ-साथ मुआविजे का प्रश्न भी उठेगा, वह कहां से आयेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो मौजूदा विधेयक है उसमें गांव समाज के अधिकारों को बढ़ावा मिला है, यह प्रशंसा की बात है। साथ ही साथ टाउन एरिया के क्षेत्रों के जो किसान थे उनके निकट वाले गांव समाजों को अधिकार मिला। इससे मुझे सन्तोष है क्योंकि पिछले साल में स्वयं इसका शिकार हुआ था। मेरे पास जो वहां हमारे पास में ही एक गांव है वहां के किसान आये। हम लोग मंत्री जी के पास गये और उन्होंने हमारी बात सुनी। इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि यह विधेयक जमीन के प्रश्न को हल करता है, प्रगतिशील और गरीबों को मदद देने वाला विधेयक है।

जहां तक अधिवासियों का प्रश्न है उनका कष्ट अभी दूर नहीं हुआ है, वह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। इस प्रदेश के अन्दर ५७.९२ लाख अधिवासियों को अधिकार मिला है। वह भी भूमि वितरण की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके साथ साथ एक साथी ने कहा था कि ९५ फीसदी अधिवासी बेदखल हो गये जो कि मानने के काबिल बात नहीं है। मैं समझता हूं २२,८४,७३१ अधिवासियों को अधिकार दिया गया है। इस समय मुश्किल से करीब ३,००,००० खाते ऐसे हैं जिनमें झगड़ा पैदा हुआ है, बाकी सब का अधिकार अपनी जगह पर कायम किया गया है। उन्होंने अपने खेत भी जोते और लगान सरकार को भी दिया। अधिवासियों के अधिकार उनको मिल गये। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं और गरीबों की मदद करने वाला विधेयक समझता हूं और इसलिये इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। अपने संशोधन पेश करने वाले भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जो काम अच्छा है उसमें देर नहीं करनी चाहिये। "शुभस्य शीघ्रम" अच्छे काम को जल्दी करना चाहिये। इसलिये इसको तुरन्त पास किया जाय। आपने जो अमूल्य समय दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)----अध्यक्ष महोदय, बोलने वाले काफी मालूम होते हैं। इसलिये मेरी राय है कि अब हर बोलने वाले सदस्य के लिये १० मिनट का टाइम मुकर्रर कर दिया जाय। अधिक से अधिक किसी सदस्य को अब १५ मिनट से ज्यादा न दिया जाय। मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं समझता हूं कि ५ मिनट से अधिक अब किसी को समय न दिया जाय।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाय।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, आपने इस भूमि-व्यवस्था विधेयक पर मुझे बोलने के लिये जो अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका अति आभारी हूं। जहां तक भूमि का प्रश्न है किसी भी राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जब भूमि पर इस प्रकार का संघर्ष हो तथा उसके लिये सही सही वितरण न हो तो उसके लिये शासनकर्ताओं का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विधेयक लायें। हमारे प्रदेश में जब सर्व प्रथम हमारा शासन हुआ तो नेताओं ने मिल कर जमींदारी उन्मूलन विधेयक इसी सदन में पारित किया और उस से गरीब जनता को अति लाभ हुआ, जो जनता जमीन से बिलकुल वंचित थी, किसानों का नाम नहीं जानती थी, उसको लाभ हुआ और जो जमींदार कहलाने के अधिकारी थे उन से जमीन ले कर, बदले में उनको मुआवजा देकर गरीब किसानों को जमीन दी गयी।

आज जब हम इस सदन में जमीन के बंटवारे की बात सुनते हैं तो मेरे दिमाग में बौखलाहट मचती है। जमीन पर जो संघर्ष है अपने प्रदेश में, जिले में और इस हाउस में कि कोई माननीय सदस्य कहता है कि १२ एकड़ कम से कम होनी चाहिये, कोई कहता है कि ६ एकड़ होना चाहिये, तो मैं एक ही नतीजे पर पहुंचता हूं कि इससे अच्छी तो सहकारिता की खेती ही होती ताकि यह संघर्ष समाप्त हो सकता। उसमें हम सब मिल जुल कर काम करें और मेरी बहुत दिन से यही विचारधारा थी। लेकिन अपने माननीय माल मंत्री जी की एक पुस्तक, जो सहाकरिता के बारे में हैं, उसको पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस प्रकार की खेती हमारे प्रदेश में सफल नहीं हो सकती क्योंकि मैं देखता हूं कि किसी भी काम को मिल कर हम कर नहीं सकते। उसे हम अपना धर्म नहीं समझते और यह नहीं समझते कि हमें मिल कर, मेहनत करके उस से अधिक लाभ उठाना है, बल्कि हम तो, जैसा देहात में कहा जाता है, दोषण उतार कर चलायेंगे, चाहे उत्पादन हो या न हो। तो इसलिये सहकारिता की खेती हमारे प्रदेश में सफल नहीं हो सकती।

अब प्रश्न उठता है कि जमीन का बंटवारा हो। वह ६ एकड़ हो या १२ एकड़? मैं अपने हरिजन साथियों से और विशेष कर महीलाल जी से पूछंगा कि हमारे कुछ जिलों में कुछ ऐसे हरिजन मौजूद हैं कि जिनके पास खेती लगायत २०० बीघे से ७, ७ सौ बीघे तक है। लेकिन यह ठीक है कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनमें से अधिकतर हरिजन हैं। सबसे पहले जब हमने देश की आजादी का बिगुल बजाया तो हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग किया, जेल गये, उसी तरह से जब आज हम इस आन्दोलन को चलाना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि इस प्रदेश की जमीन बंटे और वह प्रत्येक प्राणी को मिले, खेतिहर मजदूरों को मिले, तो हमारा यह धर्म हो जाता है कि हम अपनी जमीन सर्व प्रथम बांटें और ऐसा कर के आपके सामने एक उदाहरण पेश करें। मैं मुरादाबाद जिले की बात बतलाता हूं जिसमें ५० बीघे से ले कर ८, ८ सौ बीघे तक के हरिजन जमींदार मौजूद हैं। जब हमारे पूज्य विनोबा जी ने वहां भूमि-दान मांगा तो शायद एक भी ऐसा हरिजन मुरादाबाद जिले का नहीं होगा कि जिसने भूमिदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

में अपनी जमीन दी हो। तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यदि वह जमीन बांटना चाहते हैं तो ६ एकड़ वह स्वयं रखें और बाकी अपनी जमीन बांट दें ताकि दूसरों के लिए हमको आन्दोलन करने का अवसर मिल सके, हमारी शक्ति बढ़े और हम दूसरों से उस के लिये लड़ सकें और उनकी जमीन बांट सकें लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि दूसरे की चीज लेना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई हमारी वस्तु लेता है तो हमारे हृदय से पूछा जाय कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिये मैं कहता हूं और मेरा मत है कि आप जमीन अवश्य बांटें, मैं भी चाहता हूं कि जमीन बंटें, लेकिन पहले हम अपनी जमीन बांट दें, पहले हम अपना विनाश करें तब दूसरों के विनाश की बात सोचें। उस समय हम पर कोई लांछन नहीं लगा सकेगा।

हमारे राज्य और सरकार की पद्धति है कि समानता की दृष्टि से देखा जाय और हम सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब हम दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करें। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि जब तक हम अपनी जमीन न दें, न बांटे, दूसरे की जमीन निकालने के लिये आन्दोलन उठायें।

दूसरा बड़े किसानों का प्रश्न है। जिनके पास बड़े बड़े फार्म हैं वह ३० एकड़ रखें अथवा १२ १/२ एकड़? मैं चाहता हूं कि यदि वह स्वयं जोतते बोते हैं तो वह ३० एक ही रखें, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह खेतिहर मजदूर, जो उस जमीन पर मेहनत करता है, उसे वह दे दी जाय। उनको उतनी ही जमीन रखने का अधिकार है जितनी कि वह स्वयं जोतते बोते हैं। यह हमारा नारा और आवाज है और यही हमारा माल मंत्री जी से निवेदन है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता कि जमीन बंटें लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस जमीन पर हमारे भाई मेहनत करते हैं, उत्पादन करते हैं, वह उनको अवश्य मिलनी चाहिये ताकि उनकी मेहनत का फायदा दूसरे न उठा ले जायं। या तो वही उन खेतों में काम करें और उतनी ही जमीन वे रखें जितनी कि वे जोत बो सकते हैं या वह बांट दी जाय। जो बड़े बड़े फार्म्स हैं उन से उतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता कि जिससे हमारे प्रान्त और देश का पालन-पोषण हो सके। इसके लिये अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी के पास उतनी जमीन हो जितनी वह जोत-बो सके। अब इसमें १२ १/२ एकड़ और बढ़ाई जा रही है। यदि एक बाप के चार लड़के हैं और उनक पास १०० बीघा जमीन पहले से ही मौजूद है तो ये चार लड़के बालिग हो जाने के बाद १२ १/२ एकड़, प्रत्येक अलग-अलग खरीदेंगे और ५० एकड़ और उनके पास हो जायगी। जिसका नतीजा यह होगा कि वह चारों उतनी अच्छी प्रकार से खेती नहीं कर सकेंगे और वे खेतिहर मजदूरों की सहायता लेंगे। इसलिये हम इस निष्कर्ष कर पहुंचते हैं कि उनको उतनी ही जमीन दी जाय जितनी वे जोत बो सकें।

मेरे कुछ साथियों ने कहा कि उनको इतनी आमदनी नहीं होगी कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। यह बात बिलकुल सही है कि उतनी आमदनी नहीं होगी। लेकिन एक तरफ तो लोग धनाढ्य हो जायेंगे और दूसरी तरफ गरीब किसान हो जायेंगे और धनाढ्य लोग केवल अपने ही बच्चों को शिक्षा देते हैं दूसरों की परवाह नहीं करते। इसलिये हमारा यह निश्चित मत है कि जमीन उतनी ही हो जितनी लोग जोत बो सकें।

दूसरी बात यह है कि भूमि की सीमा निर्धारित कर दी जाय जिससे यह जो रोजमर्रा का झगड़ा होता है वह समाप्त हो जाय। यह हमारी बहुत पुरानी मांग है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस रोजमर्रा के झगड़े से तो यही अच्छा है कि सीलिंग मुकर्रर कर दी जाय।

जहां तक महीलाल जी के प्रस्ताव का संबंध है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उसको वापस ले लें और इस संशोधन विधेयक को पास हो जाने दें।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री रामलखन मिश्र---मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में-----५१,

विपक्ष में-----११ ।)

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जितनी बातें कल से इस संशोधन विधेयक के सिलसिले में इसके सुधार की या आलोचना की कही जा सकती थीं वे कही जा चुकी हैं और अब अगर आगे बहस रहती तो उसमें बहुत सी बातों का गालिबन दोहराव या रिपीटीशन ही होता और जो बातें कही भी गयीं उनमें भी अधिकतर बातें या नुक्ताचीनियों से वास्ता रखती हैं या धारा १५४ से । उसमें जितना बलपूर्वक और गलत तरीके से कहा जा सकता है वह तो माननीय महीलाल जी और माननीय माताप्रसाद जी कह ही चुके हैं, उसमें अब ज्यादा गुंजायश नहीं रह गयी है । तो मैं आपकी इजाजत से बहुत तफसील में न जाकर अपनी स्पीच को दफा १५४ के जवाब के सिलसिले तक ही सीमित रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात माननीय महीलाल जी ने यह कही कि अगर गवर्नमेंट को यह खतरा ह या अन्देशा है कि बहुत ज्यादा प्रतिकर वृहत् जोत कर वालों को उनकी अतिरिक्त या सरप्लस जमीन लेने पर देना पड़ेगा तो यह खयाल गलत है, क्योंकि जब कांस्टीट्यूशन में संशोधन हो गया है कि अब प्रतिकर देना आवश्यक नहीं ह तो संविधान के उस अनुच्छेद का, उस आर्टिकिल का क्यों न फायदा उठाया जाय ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---मैंने प्रतिकर के बारे में नहीं कहा था ।

श्री अध्यक्ष---जब तक वे (श्री चरणसिंह) नहीं बैठते तब तक आप भाषण नहीं दे सकते ।

श्री चरणसिंह---मेरे यहां तो यही नोट है । खैर, अगर न भी कहा हो तो अच्छा है कि वह मालूम हो जाय । वह यह कि यह बात ठीक है कि टेक्निकली सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अब जो आगे को भूमि या जायदाद ली जाय उसका प्रतिकर देना आवश्यक नहीं है; लेकिन जब पार्लियामेंट में संविधान के अन्दर यह संशोधन किया जा रहा था तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी वह मेरे पास है । उन्होंने कहा था---अगरचे हम यह संशोधन कर रहे हैं लेकिन हम हर मामले में जिसे हम फेयर कम्पेन्सेशन समझते हैं, वह देने की कोशिश करें । और अगर कहीं बहुत मजबूरी हो तो दूसरी बात है । लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा इरादा यह है कि कम्पेनसेशन दिया जाय चाहे उसे नानजस्टिसिएबिल करार दिया जाय । आप कम्पेनसेशन १,००० रुपये प्रति एकड़ के बजाय ५०० रुपये प्रति एकड़ दें या ५०० रुपये प्रति एकड़ के बजाय २५० रुपये प्रति एकड़ दें लेकिन बिना प्रतिकर के उनकी जमीन ले लेना, वह बहुत मुनासिब बात नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, कल माननीय माताप्रसाद जी न "टेन ईयर्स आफ फ्रीडम" नाम की एक किताब से भूमि सुधार के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरण सिंह]

के सिलसिले में जो दो वाक्य लिखे हुए हैं वह पढ़कर सुना दिये । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं और बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि जो कोई भी जिम्मेदार है उन वाक्यों को लिखने के लिये वह इगनोरेंट आदमी था, वह नावाकिफ था । उसने दूसरे प्रदेशों की भूमि--व्यवस्था के बारे में पढ़ा ही नहीं और हमारे प्रदेश के बारे में तो उसको वाकफियत थी ही नहीं । उसमें लिखा ह कि हमने जमींदारों को यह अधिकार दे दिया था कि वह चाहे कितनी ही जमीन अपनी काश्त में ले लें जमींदारी एबालीशन के लेजिस्लेशन के दौरान में । बिलकुल गलत बात है, जैसा कि जो माननीय मित्र यहां मौजूद हैं वह सब शहादत देंगे । जो टेनेंट्स हेरिडिटरी, परमानेंट राइट्स वाले थे, वह तो बेदखल हो ही नहीं सकते थे और जो केवल नान-आक्यूपेसी टेनेंट थे उनकी बेदखली हमने बन्द कर दी थी । जमींदार एक शख्स को भी बेदखल नहीं करा सके क्योंकि हमने बेदखली बिलकुल बन्द कर रखी थी । दूसरी बात यह कि, हमारी वह पालिसी इसी बात से सिद्ध होती है कि हमने यहां तक किया दफा २१२ में कि अगर जमींदारों ने अपनी अनकल्टीवेटेड जमीन खुदकाश्त में ले ली ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद और ३० जून सन् १९५२ तक, यह दूसरे काश्तकार को उठा दी और अनकल्टीवेटेड थी लेकिन ५ किस्म की जमीनों में से वह थी मसलन, रास्ता, तालाब, श्मशान, चरागाह और एक किस्म मुझे याद नहीं रही, इन पांच किस्मों की जमीन में अगर है, तो दफा २१२ में हमने यह लिखा है कि गांव पंचायत अगर चाहे तो जमीन को वापस ले सकती है । और बहुत सी जमीन वापस हुई । लिहाजा इस उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की पालिसी यह रही हो कि जमींदार जितनी चाहे जमीन पर कब्जा कर ले, यह बिलकुल गलत बात है ।

एक और गलत बात उसमें लिखी हुई है कि जमींदारों की अपनी सीर, खुदकाश्त में १० परसेंट एरिया आ गया । इससे मालूम होता ह कि जिस शख्स ने इसको लिखा है उसने कभी हमारे यहां के ऐक्ट को पढ़ा नहीं । वाल्यूम टू में जो टेबिल दिया हुआ है उसमें जो एरिया सीर और खुदकाश्त का था वह १५ परसेंट दिया हुआ है । बल्कि था तो १७ १/२ परसेंट लेकिन मैं उसको निकाल देता हूं, जो नान--आक्यूपेंसी टेनेंट्स के कब्जे में था । तो जो उनकी सीर और खुदकाश्त थी वह १५ परसेंट थी । उसको वह १० परसेंट लिखते हैं । मालूम यह होता है कि जो जी में आया लिख दिया ।

अब दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में यहां क्या-क्या हुआ है यह मैं आपकी इजाजत से बयान कर देना जरूरी समझता हूं इस सीलिंग के सिलसिले में क्योंकि उसके बारे में बहुत-सी गलतफहमियां हैं और बावजूद अनेक बार बताने के गलतफहमियां हैं । चार बड़े-बड़े फर्क हैं दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में । पहला फर्क तो यह है कि राइट आफ रिजम्पशन हमने नहीं दिया किसी जमींदार को । किसी भी काश्तकार से जमीन बेदखल करने का हक उत्तर प्रदेश के किसी भी जमींदार को दिया नहीं गया चाहे वह एक एकड़ का हो जमींदार रहा हो और उसकी जमीन कुल एक एकड़ की एक एकड़ काश्तकार के कब्जे में रही हो । केवल पुरानी दिल्ली स्टेट को छोड़कर अगर उसको आप स्टेट मानें तो, जहां कि ३,८६,००० एकड़ जमीन थी जिसने कि हमारे कानून की हूबहू नकल की, हिन्दुस्तान के किसी कोने में, किसी सूबे में, किसी प्रान्त में यह कानून नहीं बना, यह पालिसी नहीं अपनाई गयी कि जमींदार को रिजम्पशन का राइट न दिया जाय । केवल उत्तर प्रदेश वह जगह थी जहां जमींदार को रिजम्पशन का राइट नहीं दिया गया । रिजम्पशन का राइट देने से क्या नतायज हुए, यह मेरे पास श्री गुलजारी लाल नन्दा का दिया हुआ नोट मौजूद है । आपकी इजाजत से मैं बहुत थोड़ा-सा उसमें से सुना देता हूं कि राइट आफ रिजम्पशन का नतीजा क्या हुआ और किस तरह से काश्तकारों के साथ कैसा बर्ताव हुआ ? मुझे अफ़सोस है, मैं नहीं कहना चाहता था दूसरी स्टेट्स के बारे में और अगर कहता हूं तो बहुत सावधानी से जिक्र करता हूं । लेकिन जब माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुना दिया और सही सुनाया है जो लिखा हुआ है ए० आई० सी०सी० के रिव्यू में । इसलिये मुझे दूसरी स्टेट्स का हवाला देना

पढ़ रहा है जो प्लानिंग कमीशन की पेनल आन लैंड रिफार्म्स कमेटी है उसके डाक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। बाम्बे का क्या है :

"The Gokhale Institute of Politics and Economics carried out an investigation about the working of the Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948.

और लाइनें छोड़े देता हूं:

"Of the area which was tenant-cultivated in the first year of enquiry (i. e. 1948-49) only 58.1 per cent continued to be held by the same tenant at the end of the enquiry (i.e. 1952-53)"

५ साल के अन्दर जो जमीन काश्तकारों के कब्जे में थी, १९४९ से १९५३ तक, उस जमीन के ५८.१ परसेंट काश्तकार उससे बेदखल हो गये। यह तो बम्बई का है।

अब हैदराबाद का है :

"An enquiry made by the former Government of Hyderabad indicates that during the period 1951-54 the number of protected tenants decreased by 57 per cent and the area held by them by 59 per cent....."

यह गुलजारी लाल नन्दा साहब का नोट है और यह प्लानिंग कमीशन ने जो पेनल आन लैंड रिफार्म्स मुकर्रर किया उस की रिपोर्ट मौजूद है। उसमें पेज ३३ पर लिखा हुआ है, टेबिल दी हुई है। १९५१-५२ में जो प्रोटेक्टेड टेनेंट्स थे अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे यहां आक्यूपेंसी टेनेन्ट्स हैं, अनप्रोटेक्टेड टेनेंट्स का तो कुछ कहना ही नहीं कि क्या बीती होगी उन पर; २,११,४३६ टेनेंट्स १९५१-५२ में थे और १९५४-५५ में ९०,२७९ रह गये। जमीन थी २६,७५,९६० एकड़ और फिर रह गई १०,९५,३१९ एकड़। यह तो हैदराबाद और बम्बई का सुनाया। अब प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है :

"Our enquiries in some of the villages of Punjab and PEPSU showedthat the dispossession of tenants had occurred notwithstanding the fact that the law provided for stay of ejectment. Ejectment of crop-sharers has been reported from Bihar and West Bengal. In Bombay, it appears that during the period between 1948 to 1951 the number of protected tenants declined from 17 lakhs to 13.6 lakhs—a decline of 20 per cent."

तो ये इस तरह से बेदखलियां हुईं। फिर आगे पृष्ठ ३३, ३४ और ३५ हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप के पास भेज दूंगा या किसी और माननीय सदस्य की इच्छा हो तो देख सकते हैं। इस कमेटी ने कहा है कि क्योंकि राइट आफ़ रिजम्पशन दे दिया इसलिये सब बेदखलियां हुई हैं; क्योंकि रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन सिम्पेथटिक नहीं था किसानों के लिये, इसलिये बेदखलियां हुईं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ़ से स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और विगरस एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ये तीनों इलजाम इस प्रदेश के लिये नहीं लगाये जा सकते जो उस कमेटी ने और प्रदेशों के लिये लगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात उन्होंने खुद यह लिखी है :

"The land policy has been implemented efficiently only in a few States. In some States, it has not been given effect to and in many others where an effort was made to implement it, the legislation has failed to give the intended relief."

जो नीति थी वह पूरी तौर से नहीं अमल में आयी और उनका इरादा पूरा नहीं हुआ। तो असली फर्क यह है कि राइट आफ रिजम्पशन हमने नहीं दिया। और राइट आफ रिजम्पशन की बाबत तो जो सब-टेनेन्ट्स थे या जो ओल्ड टेनेन्ट्स थे वे सब बेदखल हुये लेकिन हमारे यहां कोई काश्तकार बेदखल नहीं हुआ। वहां यह जो अधिकार दिया गया कि ३० एकड़ तक जमींदार रिजम्पशन कर सकते हैं, जो कि पहले एक एकड़ का भी नहीं था, यह भी डिमार्केशन नहीं किया

[श्री चरणसिंह]

गया कि कौन से ३० एकड़ ले सकते हैं, उनको अधिकार रहा कि चाहे तो किन्हीं २५ को या किन्हीं दस को बेदखल कर के उनका जमीन ले लें। फिर यह भी हुआ कि "दाताराम जी, मैं तुम्हारी जमीन लेना चाहता हूं" और उनसे कुछ रुपया लेकर छोड़ दिया। तो हुआ यह कि मान लिया जाय कि १५० एकड़ कुल जमीन था, तो उन्होंने ३० एकड़ जमीन तो काश्तकारों से ली ही बल्कि जो बाकी १२० एकड़ के काश्तकार थे उनसे भी रुपया इस बात के लिये लिया कि हम तुम्हारी जमीन छोड़ रहे हैं इसलिये नकद रुपया लाओ। तो यह हुआ दूसरी स्टेट्स में। इसके अलावा दूसरा बड़ा फर्क इस स्टेट में यह हुआ कि ओल्ड टेनेन्ट्स की बात तो जाने दीजिये जो सब-टेनेन्ट्स थे, जिनके खिलाफ राइट आफ रिजम्पशन था, वह जो लाइबिल टु इजेक्टमेंट ऐट विल थे उन को भी हमने अधिकार दिया, सिवा दिल्ली स्टेट के, जिसने हमारी नकल की और कहीं भी उनकी रक्षा नहीं की गई।

तीसरा मेजर फर्क हमारे यहां यह हुआ कि हमने लार्ज होल्डिंग टैक्स लगाया, जब कि पहले से कृषि आय-कर बहुत बड़ा होल्डिंग्ज पर था जिस को लोग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट करा के एसकेप करते थे। हमारे यहां भी ऐसा होता था और जिस तरह से हमने लगाया उतना स्टिफ शायद और कहीं नहीं है। इस में कोई खास फर्क नहीं है, यह भी वैसे ही है कि जिस तरह से हमारे यहां नान-एग्रीकलचरल इनकम पर इनकम टैक्स लगता है वैसे ही यह है। इंगलैंड में लेबर पार्टी के विद्वानों का एक यूनियन है; उस ने ट्वेन्टियेथ सेन्चुरी के सोशलिज्म की रिव्यू की है। उस रिव्यू में उन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन में इनकम टैक्स छोटे और बड़े का फर्क मिटाने के के लिये सब से अच्छा लेविलर साबित हुआ है, यानी बड़े और छोटों की खाई को मिटाने में बड़ों की आय को कम करने में और छोटों की आय को बढ़ाने में बहुत अच्छा साबित हुआ है। अभी कुछ दिन हुये, करीब दो साल के, माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबके पास एक कमुनिकेशन भेजा था जिसमें एक टेबिल छपा था जिसमें दिखाया गया था कि वहां ब्रिटेन में सन् ३९–४० में बड़ी और छोटी इनकम में कितना अन्तर था और अब कितना रह गया है। ये तो एक वर्ल्ड नोन प्रिन्सिपिल है कि इनकम टैक्स के द्वारा बड़े और छोटे का फर्क सब से अच्छे तरीके से मिटाया जा सकता है; वही चीज हमने इस लार्ज होल्डिंग्ज टैक्स को लगा कर की है। बिलकुल साइलेंटली, चुपके से, एक टैक्स लगाकर एक चीज को किया बजाय इसके कि हम एक्वीजिशन करते या और किसी तरीके से अपने खिलाफ एक डिसफन्टेंट पैदा करते। हमने ऐसी तरकीब की या तो वह जमीन छोड़ें या उस पर बाग लगा दें जैसा कि हम चाहते भी हैं, बाकी २०० एकड़ कोई तभी रख सकता है जब कोई बहुत ही एफीशियेन्टली काश्त करे। हमारे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का नतीजा यह हुआ कि सन् ६२ फसली के हिसाब से जो बड़े लोग थे....

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो बिल है, अभी पास होना है और मंत्री जी अपने पोथे और गणित को लेकर बैठे हैं, इस पर ७५ संशोधन हैं अगर ५–५ मिनट भी दिये जायं तो काफी समय चाहिये, अभी कम से कम ७५ संशोधन हैं। ५–५ मिनट अगर एक एक संशोधन को दिया जाय तो ३ घंटे का समय मिलता है। अगर वित्त मंत्री जी तब तक अपना भाषण जारी रखेंगे ३ घंटे तक, तो और संशोधनों को मौका कैसे मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है। माननीय मंत्री जी ने सुन लिया, वह अपने आप विचार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ तो गंगाप्रसाद जी बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैंने अभी केवल १२ मिनट लिये हैं यह आप का जो "बहुत सा पोथा" है वह बेकार हो जायगा, मेरी स्पीच के बाद, अगर मुझे समय मिलेगा।

तो मैं कह रहा था कि १३६२ फसली में जो "उत्तर प्रदेश में भू-क्रान्ति" सब मित्रों को दी गयी, मैं कोई बड़ी अशिष्टता की बात नहीं कहूंगा, वह कम मित्रों ने पढ़ी होगी, ऐसा मेरा खयाल

है। तो उसमें मैंने आंकड़े दे रखे हैं, ४ साल पहले दिये थे। ९४ होल्डिंग्ज थीं १,००० एकड़ से बड़ी। अब जो हमने लार्ज होल्डिंग्स टैक्स के नोटिस दिये तो ५२ रह गयीं। ४२ बिक गयीं या कट गयीं, टुकड़े हो गये। और ५२ पर जो नोटिस गया वह १८,००,००० रुपये का गया, ३५,००० रुपया फी होल्डिंग। अब जो बची हैं, साल भर बाद एक नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि कौंसिल में सवाल हुआ था कि १,००० से बड़ी कितनी होल्डिंग्स हैं तो मैंने आंकड़े मंगा लिये। अब दिसम्बर तक ३० से ४५ और ४५ से ६० वाली कितनी होल्डिंग्स हैं, लार्ज होल्डिंग्स का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह मैं मंगाकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह--माननीया अधिष्ठात्री जी, मैं उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था की ४ विशेषताओं को गिना रहा था। विशेषतायें तो बहुत-सी हैं, आज केवल ४ ही गिना रहा था। पहली तो मैंने यह बतलायी कि हमने किसी किसान से जमीन वापस लेने का अधिकार जमींदार को दिया नहीं। दूसरी यह गिनाई कि जहां देश भर में गैर-दखीलकार और शिकमी काश्तकार को काश्तकार ही नहीं माना, वे सब बेदखल हुए, वहां हमने उनको मुस्तकिल अधिकार जमीन पर दिया। हमने गैर-दखीलकार और शिकमी को, यहां तक कि ट्रेसपासर्स तक को भी, जमीन दे दी और २० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उनके पास महफूज हो गयी।

इस सिलसिले में माताप्रसाद जी ने कहा कि हमारे यहां ७५ फीसदी किसान बेदखल हो गये शिकमी वाला जो अधिकार दिया उसके मातहत। मैं कहना चाहता हूं कि सारे के सारे बेदखल हो जायं और उत्तर प्रदेश में माताप्रसाद जी न हों तो भी कोई शिकायत नहीं होगी लेकिन यहां मैं मानता हूं कि शिकायत करने का हक है कि ७५ फीसदी बेदखल हो गये। लेकिन क्या हुए हैं ७५ फीसदी? इसके लिये दो मिसालें उन्होंने दीं कि फलां किसान के आग लग गयी और फलां के यह हो गया। हुआ होगा। उनको २ के मुताल्लिक ही मालूम है और अगर मैं रिपोर्ट मंगाऊं तो बीसियों, पचासियों मिसालें निकल आयेंगी। लेकिन क्या नतीजा यह निकलता है कि ७५ फीसदी बेदखल हो गये? मुझे मेरे साथी माफ करेंगे तबियत नहीं मानती कभी-कभी बीच में बोलना पड़ता है? १३५९ में कितने काश्तकार शिकमी थे और फिर १३६५ में कितने रह गये? इससे पता चल सकेगा कि कितने बेदखल हुए। ७५ फीसदी का आंकड़ा उन्होंने कैसे निकाला? ९५ कहने से कौन रोकता था? कहने लगे आंकड़े तो मेरे पास हैं नहीं। आंकड़े देने का पाप तो मैं करता हूं। ७५ फी सदी आंकड़े से तो लाखों किसान बेदखल हो जाते हैं। ये तो आंकड़े हैं नहीं और जब मैं आंकड़े देता हूं और बतलाता हूं कि यह कागजात में आया है और मौके पर काबिज भी होंगे और इसमें एतराज नहीं हुए और न कोई बेदखली हुई और न कोई डिग्री हुई और न कोई दावा ही हुआ और उसका मुआवजा भी जमींदार ने ले लिया है तो साहब कहते हैं कि आपके आंकड़े ठीक नहीं हैं, आंकड़े तो मिसलीडिंग होते हैं।

अब, अधिष्ठात्री महोदया, कितने बेदखल हुए? कल ही मैंने असिस्टेंट लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को बुलाया है। मैंने कहा कि महीलाल जी का जिला मुरादाबाद है और हमारे दोस्त माताप्रसाद जी का जिला जौनपुर है और गोंडे जिले के गंगाप्रसाद जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जिले के भी आंकड़ें मंगवा दो तो मैंने तीनों जिलों के आंकड़े मंगवा दिये हैं और वह टाइप होकर आ गये हैं। जौनपुर जिले में जहां के लिये कहा जाता है कि ७५ फीसदी बेदखल हुए हैं तो वहां २,६२,६७५ अधिवासी थे और इनके पास जमीन थी ६८,४२२ एकड़। उनमें से १,८०,७२० किसान हैं। २,६२,६७५ अधिवासियों में से एक लाख पर उज्रदारी नहीं हुई; उनके पास जमीन ६२ लाख एकड़ है। इनके लिये जमींदार ने कंटेस्ट नहीं किया और मान लिया कि ये अधिवासी थे और २६,५९१ मुकदमे में जीत गये। इनके लिये उन्होंने उज्रदारी की कि

[श्री चरण सिंह]

ये अधिवासी नहीं थे। इनके पास जमीन थी ६६ हजार एकड़, ये मुकदमा जीत गये। ३३ हजार आदमी मुकदमा हार गये। उनके पास ११,३७३ एकड़ जमीन थी। इनके अलावा बाकी जो किसान हैं जिनके बाबत मुकदमा चल रहा है, वे २२,३४८ हैं, उनका अभी पता नहीं कि क्या होगा। उनको निकाल दीजिये, जिनके ऊपर उज्रदारी नहीं हुई और जो मुकदमा लड़कर जीत गये उनको और जो मुकदमा हार गये हैं उनको निकाल दीजिये। दूसरी कापी मेरे पास नहीं है, गोंडे वाले साहब ले गये। मुरादाबाद और जौनपुर जिले की दे सकता हूं कि ८६ फीसदी या ८५ फीसदी पड़ता है जो कि अधिवासी सीरदार हो गये। मैंने सूबे का औसत शायद ८५ फीसदी बताया था।

अधिष्ठात्री महोदया, ये जो १५ फीसदी बेदखल हुए हैं इसमें अगर मैं आंकड़े मंगाऊं तो कम से कम आधे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन होगी लेकिन आसामी करार दिये गये होंगे, क्योंकि वे अधिवासी थे लेकिन उनको आसामी करार दे दिया। बेदखली का हक दे दिया जमींदार को हमने जो काश्तकार को जमीन उठाते समय नाबालिग थे या विधवा थीं। १५ फीसदी में से कुल साढ़े सात फी सदी ऐसे होंगे जो कि बेदखल हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डंडे के जोर से या डर के मारे हुए उनके लिये क्या करें वह राज्य कर्मचारी, सरकारी अफसर के सामने जा कर कहते हैं कि मेरा कब्जा नहीं है, मेरा नाम फर्जी लिखा हुआ है। वर्षों से लिखा हुआ है। हमने यहां से ७ या १० अक्तूबर, १९५५ को यह हुक्म भेज दिया कि अगर शिकमी आकर कहता है कि मेरा कब्जा नहीं है, मेरा नाम फर्जी है तो अपने डिप्टी कलेक्टर, जुडीशियल अफसरों को हुक्म दे दिया कि मिसिल को उठा कर रख दो, साल भर के बाद फिर नोटिस दो, मुमकिन है कि जान आ जाय। मिसलें रखवा दीं साल भर के लिये और हमने कहा कि मालगुजारी किसी से वसूल न की जाय क्योंकि जो मालगुजारी देगा वह उसको सबूत में पेश करेगा। मैंने कहा कि साल भर की देर हो जाय, दस-बीस लाख रुपया होगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन साल भर के बाद हमने कहा कि अब मिसिलों को तय करो। तो दो चार प्रतिशत होंगे। कुछ लोगों का वाकई गलत नाम दर्ज था। उन्होंने कहा कि हम नहीं लेना चाहते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर कहा जाय कि हमारे यहां कुछ किसान डर के मारे बेदखल हो गये। मैं तसलीम करता हूं कि हो गये होंगे। लेकिन इसका क्या इलाज किसी के पास है? इसका इलाज माताप्रसाद जी के पास था। व्याख्यान देते या उनकी कानूनी पैरवी अदालत में करते जाकर। कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती।

अधिष्ठात्री महोदया, तीसरी बात मैंने यह कही थी कि लार्ज होल्डिंग टैक्स लगा दिया जो किसी स्टेट में नहीं है। एक हजार एकड़ से बड़े फार्म ५२ हैं। ३५ हजार रुपया एक फार्म का औसत पड़ता है। एक मित्र कह रहे थे कि ५ हजार एकड़ के फार्म हैं। मैंने कहा कि हैं नहीं, थे। मैंने कहा कि बिक रहे हैं चाहो तो ले लो।

चौथी बात जो बताने को रह गयी थी वह यह कि साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग कर दी आगे के लिये जो किसी स्टेट में नहीं है। वह चाहते हैं कि मौजूदा होल्डिंग्ज पर सीलिंग लगा कर उसको तकसीम कर दिया जाय। इस सूबे के अन्दर जहां ४ लाख एकड़ जमीन बमुश्किल तमाम मिलेगी---५ लाख एकड़ चार साल पहले मिलती, थी अब ज्यादा से ज्यादा ४ लाख एकड़ मिल जायगी। जहां ७० लाख किसान अनइकोनामिक होल्डर्स हों जो गवर्नमेंट इस स्कीम को बनायेगी उससे ज्यादा कोई मूर्खता का काम दूसरा नहीं। अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें। ७० लाख में से एक लाख किसानों को चार-चार एकड़ दे दें या २ लाख किसानों को दो-दो एकड़ दे दें या ४ लाख किसानों को एक-एक एकड़ दे दें। तो ६६ लाख लोगों के दिल के अन्दर तकलीफ पहुंचे आउट आफ दि वे जाकर, इसे मैं बुद्धिमानी की बात नहीं समझता। कम से कम जब तक इस गवर्नमेंट में मेरा मशविरा माना जाता रहेगा मैं कभी यह राय नहीं दूंगा। इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती।

अधिष्ठात्री महोदया, माननीय महीलाल जी ने यह बात कही कि यह अमेंडमेंट रिट्रोग्रेड है। प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी पर झगड़ा था कि मैं प्रतिगामी कह रहा था, गोया बड़ा भारी

फर्क है। अंग्रेजी का रिट्रोग्रेड कह लीजिये। मुझे इसकी बड़ी शिकायत है। मैंने इतना समझाया, किसी वकील से पूछ लें। मेरे पास लोगों के खत रखे हैं कि बहुओं के नाम से ३०, ३० एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। जिस आदमी ने वकालत की होगी जानता होगा कि रजिस्ट्री से जा कर सेपरेट हो सकता है। तो जितनी बहुएं हैं सब के नाम से ३०, ३० एकड़ खरीद सकते हैं। लड़के की बहू, पौत्र की बहू, सब के नाम से हो सकता है। इसके बजाय हमने साढ़े बारह एकड़ किया। हमने कहा कि एक बालिग लड़का अगर शामिल हो तो वह साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं ले सकता। आज एक बालिग लड़का नोटिस देकर ३० एकड़ जमीन ले सकता है। हम अब ३० की जगह साढ़े बारह एकड़ कर रहे हैं। इसलिये यह समझना कि इसको तकसीम कर दिया जायगा तो यह काम अच्छा हो जायगा और ४, ५ लाख एकड़ जमीन और मिल जायगी बिलकुल गलत हैं। लेकिन जो हम ३० एकड़ से यह साढ़े बारह एकड़ रिड्यूस करने जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है। अगर कोई दूसरा मतलब है तो महीलाल जी ने कोई दूसरा कोष पढ़ा है और मैंने कोई दूसरा कोष पढ़ा है। इसके अलावा और क्या कहूं?

अधिष्ठात्री महोदया, यह कहा गया कि भूमिहीनों के आर्थिक सुधार के लिये कोई इन्तजाम इसमें नहीं किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह जो खयाल है कि सब हरिजन भाई ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने वैसे 'हरिजन' शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन यह उनकी बुद्धिमानी थी मगर मतलब उनका यही था। इस 'एग्रेरियन रेवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश' किताब में दिया हुआ है जो मैं महीलाल जी को बतलाना चाहता हूं और माताप्रसाद जी के भी जवाब के लिये है। इसके पृष्ठ ५७ पर यह दिया हुआ है कि जनरल पापुलेशन में १,००० के पीछे ७४२ खेती पेशा हैं और १,००० सब हरिजनों के पीछे ७८५ खेती पेशा हैं। जनरल पापुलेशन का ७४·२ खेती पेशा हैं और हरिजनों में ६०·९ जमीन वाले हैं। साढ़े ६७ दूसरे और ६१ मजदूर पेशा हैं। उनकी मजदूरी पर ५·७ कुल जनरल पापुलेशन का और हरिजनों का १७.२ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जनरल पापुलेशन में साढ़े ६७ के पास और हरिजनों में ६० के पास जमीन है। मैं मानता हूं कि जमीन कम है लेकिन कुछ बड़े भी हैं। मुझे मालूम नहीं कि महीलाल जी अपने को कौन से में गिन रहे हैं। इसलिये यह बात मन से निकाल देनी चाहिये कि इससे किसी खास वर्ग का फायदा होगा। मैं सारी बातें गिना नहीं सकता कि आर्थिक सुधार के लिये क्या किया गया है। वक्त नहीं है और न यह मौका ही है। हम सब लोगों को इस पर पुनर्विचार करना होगा। मैं समझता हूं कि यह सोचना कि उनके हाथ में अगर कोई पावर होती तो वह कोई बड़ा भारी कदम उठा देते या कोई जादू कर देते, यह सोचना गलत है। जमीन बहुत कम है। जब तक जमीन की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक न तो भूमिहीनों का भला होने वाला है और न खेती करने वालों का भला हो सकता है। गवर्नमेंट इससे ज्यादा नहीं कर सकती जो कि आज कर रही है। किसी की शिकायत करना आसान है, गुस्सा करना आसान है और किसी चीज की मांग करना भी आसान है लेकिन उसका समाधान ढूंढ़ना आसान काम नहीं है।

महीलाल जी ही नहीं, और भी बहुत से दोस्त कहते हैं कि ऐसा नियम बना दिया जाय कि अगर कोई किसान अच्छी पैदावार न करे तो उसकी जमीन सरकार जब्त कर ले। अधिष्ठात्री महोदया, ब्रिटेन में ऐसा कानून लड़ाई के जमाने में बना था और लड़ाई के बाद उसे उन्होंने मंसूख कर दिया। देखा तजुर्बे से कि वह गलत है। बंबई में भी कोशिश की गयी, लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है वह इम्पलीमेंट नहीं हुआ, रिपील हो गया। अब आप देखिये कि इसके लिये हर किसान को पैदावार का अंदाजा लगाया जायगा कि वह इतनी इतनी पैदावार करे। कितना करप्शन होगा और अगर खेत की पैदावार ठीक नहीं हुई, आपने कहा कि १० मन गेंहूं पैदा करो और उसमें ८ मन ही पैदा हुआ तो वह

[श्री चरणसिंह]

तो कहेगा कि जमीन ही ऐसी है, पानी समय पर नहीं मिला, नहर में पानी समय पर नहीं आया। पहला पानी १५ जुलाई को पड़ना चाहिये था, दूसरा १ अगस्त को और फिर १५ अगस्त को और फिर सितम्बर को, वह नहीं पड़ा और इसलिये पैदावार ८ मन ही हुई, तो क्या करेंगे महीलाल जी ? उसकी जमीन जब्त करेंगे या छोड़ेंगे ? और फिर किसान की काबलियत देखी जाय। हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि जो अच्छे ट्रेडीशन से खेती करते हैं वे ज्यादा पैदावार कर लेते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों के। तो कह देना आसान है। एक-एक खेत पर आदमी बैठेगा, हिसाब लगाया जायगा, न मालूम कितने फैक्टर हैं, कितनी मुकदमेबाजी होगी और कितना करप्शन होगा। इस से ज्यादा गलत काम, अगर इस सरकार ने या किसी सरकार ने किया, तो वह हो नहीं सकता। ब्रिटेन में ८२ एकड़ का फार्म का औसत है। वहां यह फेल हो गया। यहां तो इतनी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं, लेकिन वह कहते हैं कि यहां कर दो।

अधिष्ठात्री महोदया, कहते हैं कि बड़े फार्म पर सरकार को खर्च नहीं करना चाहिये। हम तो उन से और टैक्स ले रहे हैं। तकावी के लिये हमने यह कर दिया है कि अगर बड़े और छोटे मांगने वाले हैं तो छोटे किसान को पहले दो, बड़े को चाहे दो या न दो।

कहा गया कि भूमिहीन मजदूर लैंड मैनेजमेंट कमेटी में नहीं आयेंगे। अरे साहब, भूमिहीन मजदूर तो बहुत सी गांव सभाओं के प्रधान हैं और १९५६-५७ तक बहुत थे। अब तो कम खड़े हुए और बहुत जगह यूनानिमसली आये हैं। वे लैंड मैनेजमेंट कमेटी में क्यों नहीं आयेंगे ?

अधिष्ठात्री महोदया, माताप्रसाद जी ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में किसान बहुत दुखी है। दुखी वह इसलिये है कि जमीन उस के पास थोड़ी है, दुखी इसलिये है कि मौसम खराब है, लेकिन वह दुखी इसलिये नहीं है कि हमने जमींदार का जूता उस के सर से हटा लिया है।

अधिष्ठात्री महोदया, ये तीन, चार मोटी-मोटी बातें थीं जिनका मैंने जिक्र किया। अब और लोगों को अमेंडमेंट पेश करना है और इसलिये मैं अपने मित्रों से अपील करूंगा कि या तो मेरे मशविरे से अमेंडमेंट्स को मूव न करें और अगर मूव करें तो दो मिनट बोल ताकि आधे मिनट में मैं जवाब दे दूं और उसके बाद वह वापस कर लें। और अगर पूरी बहस करनी है तो १२ बजे तक बैठने को तैयार रहें और आपकी इजाजत हो तो इधर ताले लगवा दिये जांय ताकि कोई जा न पाये, क्योंकि हम चाहते हैं कि ....

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी ने आपके सामने यह कहा कि २ मिनट में मूव करें और आधे मिनट में मैं जवाब दे दूं और ताले बन्द करवा दिये जांय। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस नियम के मुताबिक यह मांग सदन में प्रस्तुत की है।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, इसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। गुस्से में आपने यूं प्वाइंट आफ आर्डर रख दिया। यह दरख्वास्त मैंने की है और इसका हक मुझको हासिल है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य शब्दों पर न जायं, भावना पर जायं।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैंने तो सिर्फ आप से मांग की थी। दूसरी चीज यह कि क्या इस तरह की दरख्वास्त भी वह कर सकते हैं कि जो हमारे नियमों के विरुद्ध हो ?

श्री अधिष्ठाता---इसमें नियम के विरुद्ध तो कोई चीज नहीं है।

श्री चरणसिंह--मैं प्रस्ताव कर चुका हूं कि इस पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---क्या महीलाल जी अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महीलाल---मुझे कुछ समय दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---अब समय नहीं मिल सकता है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--सदन में कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया है कि थोड़ा समय दिया जाय या न दिया जाय, तो महीलाल जी पर यह प्रतिबन्ध किस नियम के अन्तर्गत लगाया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता--नियम के अनुसार उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता है । माननीय सदस्य अपना उत्तर हां या नहीं में दें ।

श्री महीलाल--मंत्री जी ने जो दलील भूमि-वितरण के विरुद्ध दी उससे मैं सहमत नहीं हो पाया ....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य भाषण न दें ।

श्री महीलाल--मैं प्रस्तावना के रूप में कह रहा हूं । परन्तु चूंकि मंत्री जी की इच्छा है कि यह विधेयक जल्दी पास हो, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री जगन्नाथ लहरी--इस प्रस्ताव के अतिरिक्त और भी कई प्रस्ताव थे, क्या उन पर मत लेना आवश्यक नहीं है ? मेरा प्रस्ताव था कि जनमत के लिये प्रसारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---जब महीलाल जी का संशोधन वापस हो गया तो नियम के अनुसार सभी दूसरे संशोधन गिर गये हैं । उसके लिये प्रातः माननीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि नियम के अनुसार उन पर वोट नहीं लिया जायगा ।

खंड २—८

२---मूल अधिनियम की धारा ३ में : यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन ।

(१) खंड (६-क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (६-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(६-ख)---'संचित गांव समाज कोष' का तात्पर्य धारा १२५-क के अधीन संघटित संचित गांव समाज कोष से है;"

(२) वर्तमान खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(९) 'गांव पंचायत' का तात्पर्य यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन संघटित या स्थापित गांव पंचायत से है;" यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ ।

(३) खंड (१०) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (१०-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(१०-क) 'गांव समाज कोष' का तात्पर्य धारा १२४ के अधीन स्थापित गांव समाज कोष से है, और "

(४) खंड (१४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (१४-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(१४-क) 'भूमि प्रबन्धक समिति' का तात्पर्य धारा १२२ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति से है ।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ७९ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ७९ में शब्द "अनुदान के देय हो जाने पर" के स्थान पर शब्द "धारा ७४ के अधीन अनुदान देय हो जाने के तीन वर्ष के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८, के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो" रख दिये जायं, तथा शब्द "को" और "लिखित" के बीच में आने वाला शब्द "यथाशीघ्र" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा ७९—क का बढ़ाया जाना।

४—मूल अधिनियम की धारा ७९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ७९-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४।

"७९-क—(१) यदि कोई मध्यवर्ती जिसका यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष ऋणों के परिशोधन (liquidation) के निमित्त विचाराधीन हो पुनर्वासन अनुदान अपने को देय होने के दिनांक के नब्बे दिन के भीतर लिखित रूप से प्रार्थना पत्र न दे तो कलेक्टर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, नियत रीति से पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष अनुदान के अवधारित किये और दिये जाने के लिये, धारा ८० से ८३ तक में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, प्रार्थना पत्र दे सकता है और उक्त ऐक्ट की धारा २३-बी के अधीन ऐसे मध्यवर्ती के ऋणों के परिशोधन के निमित्त अधिकृत ऋणदाता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसा प्रार्थना पत्र अवश्य देगा।

कुछ मामलों में कलेक्टर द्वारा प्रार्थना-पत्र।

(२) उपधारा (१) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र ऋणी मध्यवर्ती की ओर से प्रार्थना पत्र समझा जायगा और इस अध्याय के निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानों कि वह धारा ७९ के अधीन प्रार्थना-पत्र हो।

(३) किसी ऐसे प्रतिबन्ध अथवा निरोध के अधीन रहते हुये जो नियत किया जाय, कलेक्टर किसी व्यक्ति से लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे लेख्य, पत्रजात अथवा रजिस्टर प्रस्तुत करने की अथवा ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है, जो वह उपधारा (१) के अधीन अपने कर्त्तव्यों के ठीक से पालन के लिये आवश्यक समझे।

ऐक्ट ४५, १८६०।

(४) प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपधारा (३) के अधीन कोई लेख्य-पत्र अथवा रजिस्टर प्रस्तुत करने अथवा कोई सूचना देने की अपेक्षा की गई हो इंडियन पेनल कोड की धारा १७५ तथा १७६ के आशयान्तर्गत ऐसा करने के लिये वैध रूप से बाध्य (legally bound) समझा जायगा।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा १०१-क का बढ़ाया जाना।

५—मूल अधिनियम की धारा १०१ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १०१—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

१०१—क—(१) डिस्ट्रिक्ट जज अपने समक्ष विचाराधीन पुनर्वासन अनुदान अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध धारा १०१ के अधीन किसी अपील को अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी सिविल जज को संक्रामित कर सकता है।

सिविल जज को अपील संक्रामित करने का अधिकार।

(२) इस धारा के अधीन संक्रामित अपीलों का निस्तारण डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा धारा १०१ के अधीन अपील का निस्तारण करने की प्रक्रिया के अनुसार होगा।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १०२ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १०२ में शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज की आज्ञा" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या धारा १०१-क के अधीन सिविल जज की आज्ञा, जैसी भी स्थिति हो" रख दिये जायं, तथा शब्द "अनुसार" के बाद आने वाला शब्द "दी" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ११७-क का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा ११७-क की उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "गांव सभा, गांव पंचायत अथवा धारा १२१ के अन्तर्गत स्थापित किसी समिति" के स्थान पर शब्द "गांव समाज अथवा भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ११८, १२० तथा १२१ का निकाला जाना।

८--मूल अधिनियम की धारा ११८, १२० तथा १२१ निकाल दी जायं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ से ८ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२२ का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

भूमि-प्रबन्धक समिति की स्थापना।

"१२२--(१) उस दिनांक से जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे, प्रत्येक मंडल के लिये एक भूमि-प्रबन्धक समिति स्थापित की जायगी, जिसके सदस्यों की संख्या वह होगी जो नियत की जाय और जो (सदस्य) गांव पंचायत के उस मंडल के तत्कालीन सदस्यों में से निर्वाचित होंगे, जिसके लिये कि वह (भूमि प्रबन्धक समिति) स्थापित की गई हो:

किन्तु, पहला प्रतिबन्ध यह है कि जब मंडल के किसी गांव की आबादी पूर्णतः अथवा अंशतः किसी स्थानिक आधिकारिकी की सीमाओं के भीतर हो तो कलेक्टर उक्त समिति में ऐसे गांवों के उचित प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिये ऐसी आबादी के निवासियों में से नियत रीति से ऐसी संख्या में सदस्य नामांकित कर सकता है जो पांच से अधिक न हों और जो वह आवश्यक समझे:

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि उक्त समिति का सदस्य होने या रहने का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न होगा, जो

(क) अस्वस्थ मनस्क (of unsound mind) हो, या

(ख) कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, या

(ग) अनिर्मुक्त दिवालिया (undischarged insolvent) हो, या

(घ) राज्य सरकार का ऐसा सेवक हो, जो गांव समाज के किसी क्षेत्र में या उसके किसी भाग में काम करता हो, या

(ङ) नैतिक पतन द्योतक किसी अपराध का दोषी पाया गया (convicted) हो या जिसे सच्चरित्रता के लिये कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८, की धारा ११० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो,

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ग) या (ङ) में लिखी अनर्हता राज्य सरकार या नियत आधिकारिकों की आज्ञा से हटाई जा सकती है।

(२) जब तक उपधारा (१) की अपेक्षा के अनुसार किसी मंडल के लिये भूमि प्रबन्धक समिति संघटित हो तब तक उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८, के ठीक पहले कार्य करने वाली तथा उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन होने के पूर्व की धारा १२१ के अधीन संघटित, उक्त मंडल के लिये तत्स्थानीय समिति इस अधिनियम द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

(३) समिति की अवधि, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति, समिति के कार्य करने की प्रक्रिया और उसकी कार्य-पद्धति वही होगी जो नियत की जाय।"

*श्री दाताराम चौधरी--अधिष्ठात्री महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा १२२ की उपधारा (१) निकाल दी जाय।

महोदया, मैं पहले तो मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्हों भूमि प्रबन्धक कमेटी को बहुत से अधिकार दिये हैं और उन्हें बहुत सी जमीन, तालाब, बाग और जंगल वगैरह के अख्तियार दिये हैं, उनके साथ बहुत सी नाइंसाफ़ी भी हो रही है। मैं समझता हूं कि शायद किसी ग़लती की वजह से यह हुआ है। उसका अगर सुधार हो जाय तो बहुत अच्छा है। जिन बंजर भूमियों के प्रधानों ने पट्टे लिख दिये थे और जिनका उन्हें देने का अधिकार था, उनकी पट्टों से जो आमदनी हुई वह ग्राम सभाओं को नहीं मिल रही है बल्कि वे किसान सीरदार होते हैं और उसका लगान सरकारी खजाने में दाखिल होता है। होना यह चाहिये था कि जब वह जमीन गांव सभा की है और प्रधान ने उसके पट्टे दिये हैं तो उसकी आमदनी गांव सभा को मिलनी चाहिये। लेकिन उसमें किसी वजह से गलती यह हुई कि वे किसान सीरदार हो गये और चूंकि सीरदार का लगान सरकार को जाता है इसलिये गांव सभा क्यों झगड़े में पड़े या मुकदमेबाजी करे? रक्षा तो प्रधान और गांव सभा वाले करें और आमदनी सरकारी कोष में जाय! यह कैसे हो सकता है? हमारे सहारनपुर जिले में इस तरह का ग़लत काम हो रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसका सुधार किया जाय।

दूसरी बात यह है कि खंड ९ में टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी के रकबे की जमीन किसी पास की गांव सभा में शामिल कर दी जायगी और उसमें पांच आदमी, ज्यादा से ज्यादा, कलेक्टर,---यानी दो, तीन, चार और पांच आदमी--उस गांव सभा में वह नामजद कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह का नोटीफाइड एरिया वगैरह के साथ अन्याय है। मान लो किसी टाउन एरिया का रकबा १०,००० बीघे है और उसमें २,००० बीघे बंजर है और ६,००० बीघे में काश्त होती है। तो २,००० बीघे जमीन के किसान मजदूर उससे फायदा उठाते हैं। अगर उसे एलाट करने की जरूरत है तो किस को एलाट करें? स्वाभाविक बात है कि जिस गांव सभा में वह लगती है वहां के मजदूरों और भूमिहीनों को मिलेगी और मिलनी उन्हें चाहिये जिनके रकबे में है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह गलती ठीक होनी चाहिये। आज मंत्री जी न मानें लेकिन बाद में जब लठ चलेंगे तो यहां संशोधन आयेगा। मान लो उस बंजर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूमि में ५,००० रुपये के पेड़ खड़े हैं। स्वाभाविक बात है कि उन्हें बेच कर गांव सभा अपने कोष में रुपया दाखिल करना चाहेगी। या मान लो उसमें ५०० रुपये के तालाब हैं जिनमें सिंघाड़े वगैरह डाले जाते हैं—हमारी तरफ मछली के तालाब तो होते नहीं हैं लेकिन सिंघाड़े के तालाब जरूर होते हैं—तो वह ५०० रुपये की बिक्री गांव सभा में जायगी न कि उस जगह जानी चाहिये जहां पहले जमींदारों की या काश्तकारों की वह जमीन थी। मैं समझता हूं कि यह बात भी ठीक नहीं है और सब जगह पर उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। मान लिया मैं किसी टाउन एरिया में रहता हूं तो स्वाभाविक है कि मेरे कुछ न कुछ अधिकार वहां होंगे और उनको ठीक प्रकार से इस्तेमाल भी मैं करूंगा। लेकिन जिन लोगों को मुफ्त में घर बैठे जमीन मिल जायगी, वे उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे। ऐसी बातों को देखते हुये इसमें झगड़े होने का अंदेशा है।

तीसरी बात एक और है। दो हजार बीघा का कोई जंगल है, उसमें मवेशी चरने जाते हैं। वह कह सकते हैं कि कोई मवेशी यहां चरने के लिये न आवे या वे टैक्स लगा देंगे और कहेंगे कि ८ आना डंगर के हिसाब से हम टैक्स लगाते हैं या कहें कि तालाब में पशुओं को पानी नहीं पीने देंगे। इसलिये यह एक अनोखी बात है कि किसी जगह की जमीन हो और वह दूसरी जगह के लोगों को दे दी जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको निकाल दिया जाय और जैसा पहले था वही रहने दिया जाय।

*श्री चरणसिंह—अधिष्ठात्री महोदया, प्राविजन तो यह रखा जा रहा है कि टाउन एरिया के अन्दर जो जमीन टाउन एरिया के बाहर की है वह किसी गांव समाज को दी जा रही है, लेकिन टाउन एरिया के ५ प्रतिनिधि उस गांव समाज में नामजद किये जा रहे हैं। इन प्रतिनिधियों की आवाज उस भूमि प्रबन्धक कमेटी और उस गांव समाज में होगी। अब आपकी यह शिकायत कि भूमि प्रबन्धक कमेटी जिसको यह जमीन दी जा रही है वह न्याय न करेगी, यह शिकायत दूसरी जगह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर ढाई सौ से कम आबादी वाले गांव दूसरे गांव में शामिल कर दिये गये हैं। हमारे यहां मैदानी इलाके में १ लाख गांव हैं लेकिन गांव पंचायत केवल ६६,७०० के करीब हैं। यानी छोटे गांव को बड़े गांवों में शामिल कर दिया गया है और उनका गांव समाज बना दिया गया है। अगर आपकी यह दलील सही है तो छोटे गांव वालों की जमीन भी बड़े गांव वाले खा जायेंगे। वहां छोटे गांव वालों के प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं आयी कि वहां केवल बड़े गांव वालों के ही डंगर चरते हों छोटों के न चरते हों। वे तो एक हो गये हैं, न उसकी जमीन है, और न इसकी है। वह जमीन तो गवर्नमेंट की थी और गवर्नमेंट ने, बजाय एक-एक गांव को अलग-अलग देने के, गांवों को मिला कर गांव समाज को वह जमीन दे दी। तो जो कठिनाई टाउन एरिया के सिलसिले में कही जा रही है वही छोटे गांवों के सिलसिले में भी कही जा सकती है। लेकिन वहां से कोई शिकायत नहीं आयी। टाउन एरिया के जो किसान हैं उनको नामजद करने का अधिकार हमने कलेक्टर को दे दिया है। इसके अतिरिक्त और इलाज भी क्या है? ऐसी जो भी स्कीम्स बनती हैं, उनमें कुछ न कुछ खराबी तो होती ही है। लेकिन अब तक जो सिस्टम था उसमें और भी ज्यादा खराबी थी। जो स्वायत्त शासन विभाग है उसकी राय थी कि टाउन एरिया अच्छा इन्तजाम नहीं कर रहा है। जहां गैर जरायती लोग और तिजारत पेशा लोग बढ़ जाते हैं, दूकानें बढ़ जाती हैं, वही कस्बा या टाउन कहलाने लगता है। कुछ टाउन एरियाज को तो छोड़ दिया जाय लेकिन ज्यादा टाउन एरियाओं के अन्दर जो किसान रहने वाले हैं उनके नुमाइन्दे नहीं जा पाते हैं, वहां सब दूकानदार या दूसरे पेशे वाले ही जाते हैं। अगर सहारनपुर में ऐसी टाउन एरियाज हैं तो मेरठ में भी दो चार हैं। वहां के किसान थाड़े बहुत जाते हैं लेकिन बाहुल्य, प्राबल्य नानएग्रीकल्चरिस्ट लोगों का ही होता है। इसलिये उन लोगों का दृष्टिकोण इस जमीन की बाबत उस टाउन एरिया की सीमा से भी बाहर है, वह दृष्टिकोण नहीं है जिस दृष्टिकोण से इनकी जमीन गांव समाज को दी जाय। क्योंकि पहले भी वही चीज हो रही थी जो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

आप चाहते हैं लेकिन वह तजुर्बे से अच्छी साबित नहीं हुई इसलिये इसमें तब्दीली की जा रही है। अगर कुछ खराबी होगी तो दो-चार साल तक हम भी यहीं होंगे और दाताराम जी भी यहीं होंगे, फिर इसमें तरमीम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त तो मुझे मालूम हो रहा है कि इससे बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं है।

*श्री दाताराम चौधरी—मैं माननीय मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि ५,००० रु० की आमदनी जमीन से हुई तो वह रुपया कहां जायगा। वह रुपया उस जगह तो नहीं जाना चाहिये जिस गांव सभा को जमीन दी हुई है। मैं कहता हूं कि आपने ५ आदमियों को एक टाउन एरिया से नामजद कर दिया और दूसरी गांव सभा के १५ आदमी हैं तो स्वाभाविक है कि १५ आदमी अपनी तरफ से ले जायेंगे न कि ५ आदमी की तरफ ले जायंगे। एक बात और बतला दूं कि मेरठ और सहारनपुर में बहुत सी टाउन एरियाज ऐसी हैं जिनकी आबादी ४,००० है और गांव ऐसे ऐसे हैं जिनकी आबादी ६ हजार ७ हजार है। तो क्या उस टाउन एरिया में किसान नहीं जाते हैं ? वहां सारे के सारे किसान ही आते हैं और वैसे वहां किसानों का बहुमत भी है। उसमें उनकी आवाज है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो नयी समस्या होगी, जैसे १०,००० रु० के पेड़ रखे हुये हैं, जमींदार तो पहले उसको किसी को काटने नहीं देता था लेकिन जब वे पेड़ दूसरी भूमि प्रबन्धक कमेटी में जायेंगे तो उस कमेटी वाले फौरन चाहेंगे कि जैसे तैसे इनको बेच कर इन रुपयों का फायदा उठावें। तो मेरी यह प्रार्थना है कि साल दो साल के बाद इसमें तरमीम आवे इससे अच्छा यही था कि आज ही इस संशोधन को मान लिया जावे।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठात्री महोदया, मेरी बदकिस्मती कि मैंने बहुत समझाया और जो बात मैंने कही उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। छोटे गांवों में जमीन से १५,००० रु० की आमदनी हो जाय तो दूसरे गांव वाले सब खा जायेंगे ! आज ३३,००० गांवों में क्या हो रहा है ? इसलिये सिवा इसके कि मैं अपनी नाकाबलियत समझूं कि उनको समझा नहीं सका. वरना मेरा विरोध अपनी जगह कायम है।

श्री दाताराम चौधरी—अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ९ के उपखंड (१) के पश्चात् नई उपधारा (१-क) इस प्रकार बढ़ा दी जाय—

"(१—क) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमि प्रबन्धक समिति में हरिजनों और भूमिहीनों के प्रतिनिधि भी, हरिजन पंच सदस्यों के अनुपात से अवश्य रक्खे जायेंगे।"

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कहना नहीं है। गांवों में भूमिहीनों, हरिजनों और ऐसे लोगों का भूमि प्रबन्धक समिति से बहुत ज्यादा सम्बन्ध रहता है क्योंकि ये भूमि प्रबन्धक समितियां ऐसी सार्वजनिक भमियों का प्रबन्ध करती हैं और ऐसे लोगों के लिये प्रबन्ध करती हैं जिनके पास भूमि न हो, रास्ते, भूड़, श्मशान, चरागाह या और उपयोगी कार्यों के लिये ये काम करती हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को मान लें जिससे हरिजनों और भूमिहीनों को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिले जिससे उनकी कठिनाइयां भी दूर हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय मित्र का ध्यान इन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं । यह उसी १२२(१) में हैं---"ऐसे गांवों के उचित प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिये ऐसी आबादी के निवासियों में से नियत रीति से ऐसी संख्या में सदस्य नामांकित कर सकता है जो पांच से अधिक न हों और जो यह आवश्यक समझे ।" तो अंग्रेजी में "प्रेस्क्राइब्ड मैनर" शब्द है । उसके लिये हम नियम बनायेंगे । अगर नियम में ऐसी जरूरत समझेंगे कि ऐसा कर दिया जाय तो कर देंगे । लेकिन ऐक्ट में बाकायदा इसको रखना यह तो मुनासिब नहीं होगा । न मालूम और क्या क्या जरूरत मालूम पड़े । मान लीजिए कि उम्र की कैद भी रखना आवश्यक हो या यह भी कैद रखना आवश्यक मालूम पड़े कि पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा है । इसलिये इस बात का लिहाज रूल्स में रखा जायगा । मैं ऐसा तो नहीं समझता कि हर जगह जरूर ही हरिजन रखा जाय लेकिन इस बात का लिहाज नियमों में किया जायगा । वह तो गवर्नमेंट की पालिसी आम है ही कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व सब जगह हो ।

श्री माताप्रसाद---माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो नियम बनाते समय यह खयाल रखा जायगा, मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आपने "हां" और "ना" का कोई निर्णय नहीं दिया कि " हां" की आवाज अधिक थी या "ना" की आवाज अधिक थी । यह किस तरह से समझ लिया जाय कि संशोधन वापस हुआ ?

श्री अधिष्ठाता---मैंने हां की संख्या अधिक कही थी, आपको शायद सुनने में कुछ त्रुटि हो गई ।

श्री रघुनाथसहाय यादव (जिला फतेहपुर)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जयराम जी वर्मा द्वारा प्रस्तावित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय जयराम वर्मा आपको लिखित स्वीकृति दे गए ह, इसको पेश करने के लिए ?

श्री अधिष्ठाता---आपने उनसे अधिकार ले लिया है ?

श्री रघुनाथसहाय यादव---जी हां । खंड ९ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२२ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक '१९५८' के पश्चात् आने वाले कामा के चिन्ह के स्थान पर शब्द 'के प्रारम्भ' रख दिये जायं तथा पंक्ति ३ व ४ में शब्द 'उक्त अधिनियम द्वारा संशोधन होने की पूर्व की धारा १२१ के अधीन संगठित' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

" मूल अधिनयिम की धारा १२१ के अधीन पूर्व संगठित" ।

श्री चरणसिंह---स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२२ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में अंक '१९५८' के पश्चात् आने वाले कामा के चिन्ह के स्थान पर शब्द 'के प्रारम्भ' रख दिये जायं तथा पंक्ति ३ व ४ में शब्द 'उक्त अधिनियम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अधिष्ठाता]

द्वारा संशोधन होने की पूर्व की धारा १२१ के अधीन संगठित' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"मूल अधिनियम की धारा १२१ के अधीन पूर्व संगठित ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री दाताराम चौधरी—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैंने जो मंत्री जी से पहले एक शिकायत की थी कि गांव सभा की जो जमीन पट्टे पर दे दी गई है वह सीरदार हो गए हैं और उसका जो कोष मिलता था वह गांव सभा को नहीं मिलता है बल्कि वह सरकारी खजाने में दाखिल हो रहा है और जबकि वह उसके मालिक बना दिए गए हैं तो वह सरकारी खजाने में न जाकर गांव सभा के कोष में जाना चाहिये । उसमें बहुत बड़ी खराबी हो गई है कि रुपया मिलना तो चाहिये गांव समाजों को परन्तु उनको न मिल कर सरकारी खजाने में जा रहा है । तो उससे एक खराब परिस्थिति पैदा हो गई है और लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जब हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है तो सरकार क्यों मालिक बने, हमारे पास ही वह रुपया क्यों न रहे । तो मैं समझता हूं मंत्री जी इस बात को ठीक समझ कर इसमें तरमीम कर देंगे ।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठात्री महोदया, मैं क्या अर्ज करूं कि जो कोष का जिक्र किया है तो इस धारा से कोष का कोई सम्बन्ध ही नहीं । प्रस्ताव यह है कि वर्तमान धारा १२२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । लेकिन इसका कोष से क्या वास्ता है ? यह तो भूमि-प्रबन्धक कमेटी बना रही है । अगर इस धारा को निकाल भी देंगे तो क्या कोष मिल जायगा ? अगर यह कोष सरकारी खजाने में जा रहा है तो कहां जा रहा है ? इसीलिये जा रहा है ताकि अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा सके और वहां से थोड़ा-थोड़ा रुपया करके सभापति निकाल सकते हैं । न मालूम आपको क्या शिकायत है !

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५१ में नई धारा १२२-क का बढ़ाया जाना ।

१०—मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२२-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

भूमि-प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा नियंत्रण ।

"१२२-क—(१) इस अधिनियम के निदेशों के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट दिनांक से गांव समाज के निमित्त तथा उसकी ओर से, धारा ११७ के अधीन गांव समाज में निहित समस्त भूमि, गांव की सीमा के भीतर के जंगलों, खातों, बाग तथा आबादी के पेड़ों से भिन्न पेड़ों, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, पगडंडियों, आबादी के स्थलों (sites) तथा हाटों, बाजारों तथा मेलों के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, रक्षा तथा नियंत्रण का भार भूमि-प्रबन्धक समिति पर होगा ।

(२) पूर्वोक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे :—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध;

(ख) गांव समाज द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन ;

(ग) कृषि का विकास तथा उन्नति ;

(घ) जंगलों तथा पेड़ों की रक्षा, रख-रखाव, तथा विकास ;

(ङ) आबादी के स्थलों तथा ग्राम्य-संचार साधनों का रख-रखाव तथा विकास ;

(च) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध ;

(छ) सहकारी खेती का विकास ;

(ज) पशु-पालन का, जिसमें मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी है, विकास ;

(झ) जोतों की चकबन्दी ;

(ञ) कुटीर-उद्योगों का विकास ;

(ट) मीनाशयों तथा तालाबों का रख-रखाव तथा विकास; तथा

(ठ) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जायं ।

(३) भूमि-प्रबन्धक समिति का सभापति अथवा अन्य पदाधिकारी अथवा सदस्य, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, भूमि-प्रबन्धक समिति की ओर से और उसके लिये किसी लेख्य पर हस्ताक्षर करने, और वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संचालन एवं अभियोजन के लिये समस्त अन्य कार्य करने का अधिकारी होगा ।"

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १२२-क की उपधारा (१) की पंक्ति ५ में शब्द "तालाबों" और शब्द "पोखरों" के बीच में शब्द " काश्तकारों के निजी तालाबों को छोड़ कर" रख दिये जायं ।

मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको इसलिये मान लेंगे कि उनका जो पुराना ऐक्ट बना था, जमींदारी उन्मूलन, उसमें यह रखा गया था कि काश्तकारों के बंजर, परती पेड़ और उनके निजी तालाब वगैरह नहीं लिये जायेंगे । लेकिन इधर हमको पता नहीं किस सर्कुलर से गांव समाज का जो कागज लेखपालों के पास बनता है उसमें कुल काश्तकारों के निजी तालाबों की जो हैसियत रखी गयी वही जमींदारों के तालाबों की रखी गई है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत अधिक मुकदमे हो रहे हैं । या तो यह तय कर दिया जाय कि काश्तकारों के तालाब भी ले लिये जायं या उनके तालाब छोड़ दिये जायं, यह साफ हो जाय ।

*श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, अब तो तालाब छोड़ने न छोड़ने का सवाल उठता नहीं । जो जमीन सेक्शन (४) और (६) के नोटीफिकेशन के द्वारा ली जा चुकी १९५२ में, वह ली जा चुकी । अब नई चीज नहीं ली जा रही है । जो स्टेट में या राज्य में निहित हो चुकी थी, वैस्ट हो चुकी थी, केवल उसके प्रबन्ध का सवाल उठता है । लिहाजा छोड़ने या न छोड़ने का सवाल नहीं उठता ।

अब सवाल यह है कि निजी पोखरे जो हैं उनकी क्या स्थिति है? मेरी समझ में नहीं आता कि निजी पोखरे होते कैसे हैं । अगर होते हैं तो निजी जोत गवर्नमेंट ने ले ली सारी, उस जमीन को छोड़कर जो खाते में शामिल या जोत में शामिल रही हो तो जोत में जो जमीन शामिल थी टेक्निकली ले ली , वह तो वापस कर दी । तो अगर पोखरा जोत के अन्दर शामिल था तो उसी प्राइवेट व्यक्ति के उपयोग में अब भी है और रहेगा भूमिधरी या सीरदारी की हैसियत से; और अगर जोत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

में थे उसे चाहे आप निजी कहते हों या कुछ भी कहते हों उनको गवर्नमेंट ने लेकर गांव समाजों को दे दिया । इसलिये यह संशोधन गैरजरूरी है और इससे कोई लाभ नहीं होता । हमने यहां वही शब्द रखे हैं जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में दफा ११७ में रखे हैं, कि उनका इंतजाम गांव समाज करेंगे, अब वही प्रबन्ध हम भूमि-प्रबन्धक समितियों को दे रहे हैं । न उसमें कुछ अब जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--अधिष्ठात्री महोदया, मैंने मंत्री महोदय से जो अपील की थी वह बिलकुल साफ है । 'पोखरे' का मतलब उन तालाबों से है जिनको काश्तकारों ने जमींदारों से पट्टे पर लेकर सिंचाई आदि के नाम पर लिये थे जिनमें पशु आदि पानी पीते थे, उन पर बन्दोबस्त में किसानों का नाम था, कब्जा भी ज्यों का त्यों है, वह जमींदार के नहीं हैं बल्कि काश्तकारों के ही पोखरे हैं । आप ने जहां जमींदारों को मुआवजा दिया है वहां काश्तकारों को उसका मुआवजा नहीं दिया है । इसलिए उनको भी उसी जगह पर घसीट देते हैं, तो मुनासिब न होगा ।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठात्री महोदया, मैं कुछ घसीटा-घसाट नहीं रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि जो वेस्टिंग का आर्डर ३० जून सन् १९५२ को हुआ उसमें वे आ गये तो आ गये अब वह वापस नहीं हो सकते और अगर नहीं आये हैं तो वह इसके द्वारा लिये नहीं जा रहे हैं । न कोई चीज घटाई जा रही है और न बढ़ाई जा रही है । जमींदारी विनाश कानून की दफा ११७ में जो शब्द थे वही हम रख रहे हैं । फर्क केवल यह है कि जो इंतजाम अब तक गांव समाज करता था वह अब भूमि-प्रबन्धक समिति करेगी । वैसे वह मुझसे समझना चाहेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा अगर उन की कोई दिक्कत होगी तो ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--मंत्री महोदय की आज्ञा के अनुसार कि अगर कोई बात होगी तो वह ठीक कर देंगे, आश्वासन देते हैं तो मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--अधिष्ठात्री महोदया, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १२२-क (१) की पंक्ति ६ में शब्द "पगडंडियां" और "आबादी" के बीच "दगड़ों (गांव की कच्ची सड़क)" रख दिया जाय ।

विधेयक का खंड १२२-क जहां यह बढ़ाया जा रहा है इस खंड १० के द्वारा उसे मैं पढ़कर सुना दूं तो साफ हो जायगा । "इस अधिनियम के निदेशों के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट दिनांक से गांव समाज के निमित्त तथा उसकी ओर से, धारा ११७ के अधीन गांव समाज में निहित समस्त भूमि गांव की सीमा के भीतर के जंगलों, खातों, बाग तथा आबादी के पेड़ों से भिन्न पेड़ों, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, पगडंडियों, आबादी के स्थलों (sites) तथा हाटों, बाजारों तथा मेलों के सामान्य अधीक्षण, प्रबन्ध, रक्षा तथा नियंत्रण का भार भूमि-प्रबन्धक समिति पर होगा ।"

हमारा संशोधन इसमें यह है कि इनमें जहां यह पगडंडियों आया है, जिसका मतलब यह है कि गांव में जो चलने के रास्ते होते हैं, उससे भिन्न गांव में दगड़े होते हैं जिन पर बैल-गाड़ी वगैरह चलती हैं जो कच्चे रास्ते कहे जाते हैं वह भी रख दिये जायं । अब वह छूट जाते हैं वह भी शामिल कर दिये जायं तो साफ हो जायगा । यह सीधा सादा संशोधन है, यह बढ़ा दिया जाय तो साफ हो जायगा ।

श्री रामस्वरूप यादव--अधिष्ठात्री महोदया, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है यह अनावश्यक है । जहां तक इस पगडंडी के बारे में है तो और भी जहां तक अधिनियम बना हुआ है उसमें यह साफतौर से लिखा गया है कि इस पगडंडी के अलावा और भी जितने रास्तों का सम्बन्ध है वह उसमें सम्मिलित हैं । इसलिये यह अनावश्यक होने की वजह से इसमें लेना मुनासिब नहीं है ।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, मालूम होता है कि यह भ्रमवश संशोधन रखा गया है। आबादी के स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों के रख रखाव का अधिकार उसके अन्तर्गत आ जाता है, कोई आवश्यकता इसकी दिखाई नहीं पड़ती।

श्री रामहेत सिंह---आप जब कह रहे हैं कि अनावश्यक है तो कोई ऐसी बात नहीं ह, मैं वापस ले लूंगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रघुनाथसहाय यादव---अधिष्ठात्री महोदया.....

श्री अधिष्ठाता---क्या इसके लिये भी आपको श्री जयराम वर्मा से अनुमति मिल गयी है ?

श्री रघुनाथसहाय यादव---जी हां।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं वर्तमान संशोधन विधेयक में नम्बर ११ का संशोधन प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं। खंड १० के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२२-क की उपधारा (२) के खंड (ज) में शब्द "जिसमें" के स्थान पर शब्द "जिसके अन्तर्गत" रख दिये जांय।

श्री रामस्वरूप यादव---यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १० के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२२-क की उपधारा (२) के खंड (ज) में शब्द "जिसमें" के स्थान पर शब्द "जिसके अन्तर्गत" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माताप्रसाद---माननीया.....

श्री जगन्नाथ लहरी---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। सदन में कोरम नहीं है और कार्यवाही चल रही है, मैं एतराज करता हूं कि यह कार्यवाही क्यों चल रही है ?

(घंटी बजायी गयी। कोरम पूरा होने तक निम्नलिखित कार्यवाही हुयी।)

श्री जगन्नाथ लहरी---अब तक जो बिना कोरम के कार्यवाही चलती रही, क्या वह स्थगित कर दी जायगी ?

श्री अधिष्ठाता---अभी तक इस पर कोई एतराज नहीं किया गया था।

(कोरम पूरा होने पर)

श्री माताप्रसाद---मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक में निम्न संशोधन रखना चाहता हूं---

खंड १० में प्रस्तावित धारा १२२-क की उपधारा (२) के भाग (ठ) के बाद एक नयी उपधारा (ड) इस प्रकार बढ़ा दी जाय :

"(ड) हरिजनों के लिये आबादी, घूर, रास्ते, कब्रिस्तान, चमड़ा निकालनें के स्थान, कपड़ा धोने के स्थान तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिये व्यवस्था।"

इसके विषय में केवल यही कहना है कि यद्यपि इसमें यह व्यवस्था है कि आबादी के स्थलों की व्यवस्था भूमि प्रबन्धक समितियां करेंगी, लेकिन प्रायः वह करती नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि इसका उल्लेख रहेगा इस अधिनियम में तो इससे हरिजन फायदा उठा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव---अधिष्ठात्री महोदया, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है। माननीया, जहां तक १२२-क के बाद (ख) को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि "ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जांय" यह आवश्यक समझा जायगा। तो इस विषय के बारे में शासन जब

[श्री रामस्वरूप यादव]

चाहे अधिनियम बना सकता है। इसलिये विधेयक में किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिये कानून लाना अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री माताप्रसाद--मैं माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि आवश्यकत पड़ने पर उनके लिये इसका प्रबन्ध हो जायगा, इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११ व १२

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२३ का निकाला जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा १२३ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२३-क का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १२३-क की उपधारा (१) में :

(क) शब्द "इस अधिनियम के अधीन संगठित गांव पंचायत, किसी संयुक्त समिति अथवा अन्य किसी समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जांय ;

(ख) शब्द "गांव पंचायत, संयुक्त समिति अथवा अन्य समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जांय;

(ग) शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जांय ; तथा

(घ). शब्द तथा अंक "गांव पंचायत अथवा धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जांय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ११ तथा १२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ में नयी धारा १२३-ख का बढ़ाया जाना।

१३--मूल अधिनियम की धारा १२३-क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२३-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

सदस्य आदि भूमि-प्रबन्धक समिति के किसी ठेके या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व नहीं अर्जित करेंगे।

"१२३-ख--(१) गांव पंचायत अथवा भूमि-प्रबन्धक समिति का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना संबद्ध समिति से अथवा उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा, लाइसेंस, पट्टा, विक्रय, विनिमय, अथवा नियोजन में स्वयं अथवा किसी साझेदार द्वारा अथवा अन्यथा कोई अंश अथवा स्वत्व जानबूझ कर न तो अर्जित करेगा न अर्जित करने का प्रयास करेगा न तदर्थ अनुबन्ध करेगा या उसकी प्राप्ति के लिये सहमत होगा, और न बनाये रक्खेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि केवल निम्नलिखित के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में यह न समझा जायगा कि उसने किसी संविदा अथवा नियोजन में अंश

अथवा स्वत्व अर्जित किया अथवा बनाये रखा अथवा तदर्थ अनुबन्ध किया अथवा उसकी प्राप्ति के लिये सहमत हुआ––

(क) सदस्य अथवा पदाधिकारी होने से पहले कोई स्वत्व अर्जित किया हो,

(ख) किसी ऐसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी में अंश रखना जो संविदा करे,

(ग) संबद्ध गांव पंचायत अथवा समिति को किसी ऐसे पदार्थ के, जिसमें वह सामान्यतः व्यापार करता हो, कभी-कभी विक्रय में, जो किसी एक वर्ष में ५० रुपयों से अधिक का न हो, अंश अथवा स्वत्व रखना ।

(२) कोई न्यायालय अथवा अन्य आधिकारिकी किसी भी व्यक्ति के कहने पर उपधारा (१) के विरुद्ध किसी व्यवहार पर आश्रित किसी दावे को प्रवर्तित नहीं करेगा । "

*श्री व्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)––अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्तावित धारा १२३–ख (१) की पंक्ति ५ में शब्द "जानबूझ कर" निकाल दिये जायं ।

मेरे संशोधन रखने का तात्पर्य यह है कि अगर ये शब्द नहीं निकाले जाते हैं तो इसके मानी यह हैं कि जो पाबन्दियां लिखी गयी हैं कि यह नहीं करेगा, वह नहीं करेगा उनके लिये वह कह सकता है कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया है और उसको इस प्रकार उनको करने का अधिकार दे दिया जाय, जबकि ऐक्ट का यह मंशा नहीं है ।

*श्री चरणसिंह––म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट से यह अल्फाज इसमें रखे गये हैं । वहां लफ्ज "नोइंगली" रखा हुआ है । बहुत तजुर्बे के बाद यह लफ्ज 'नोइंगली' रखा गया है । जानबूझ कर कोई ऐसा करता है तब तो सजा देना ठीक है, लेकिन अनजाने कोई गलती कर जाता है तो उस पर सजा देना ठीक नहीं है । जानबूझ कर गलती करता है तभी वह डिस्क्वालिफिकेशन होगी या मिसकंडक्ट होगा, वर्ना नहीं ।

श्री व्रजगोपाल सक्सेना––डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट से इसकी कोई एनालाजी नहीं है । यह यहां लागू नहीं होता । १२३ क्लाज को आप देखें तो यह कोई पेनल क्लाज नहीं है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड का जो सदस्य होता है उसको कुछ अधिकार हुआ करते हैं, उसके सम्बन्ध में यह लफ्ज "नोइंगली" रखा गया है लेकिन यहां उससे कोई एनोलाजी नहीं होती । फिर, अगर जानबूझ कर शब्द निकाल दिया जाय तो क्या आपकी मंशा खत्म हो जाती है या कुछ बिगाड़ हो जाता है ? बल्कि उसके ऊपर एक पाबन्दी और हो जाती है कि वह यह न कह सके कि उसने जानबूझ कर नहीं किया है ।

श्री चरणसिंह––अधिष्ठात्री महोदया, अब मैं इसका तो जवाब दे चुका हूं कि अगर कोई अनजाने करता है तो कुछ नहीं होगा और अगर जानबूझ कर करता है तो मिसकंडक्ट हो जायगा । आप इस सम्बन्ध में धारा १२७ पढ़ने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १२३–ख (१) की पंक्ति ५ में शब्द "जानबूझकर" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुनाथसहाय यादव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२३-ख की उपधारा (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "अर्जित किया" तथा "अथवा" के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"अथवा अर्जित करने का प्रयास किया।"

श्री रामस्वरूप यादव---यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा १२३-ख-की उपधारा (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "अर्जित किया" तथा "अथवा" के बीच निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"अथवा अर्जित करने का प्रयास किया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२३-ख (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

मैं इसके भाग (ग) को पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है:---

"(ग) सम्बद्ध गांव पंचायत अथवा समिति को किसी ऐसे पदार्थ के, जिसमें वह सामान्यतः व्यापार करता हो, कभी कभी विक्रय में, जो किसी एक वर्ष में ५० रुपयों से अधिक का न हो, अंश अथवा स्वत्व रखना।"

इस भाग के पढ़ने से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मालूम होता है कि क्या मंशा है। हमने इसको बहुत पढ़ा और समझने की कोशिश की लेकिन समझ में नहीं आया। अगर मंत्री जी समझा देंगे तो मैं वापस ले लूंगा वरना इन शब्दों का मैं कोई मतलब नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, इसका मतलब यह है कि कोई दुकानदार है तो उससे ५० रुपये तक के कागजात भूमि प्रबंधक समिति खरीद ले तो कोई जुर्म नहीं है और अगर आपकी बात मान ली जाय तो अगर दो रुपये का भी कागज खरीद ले किसी दूकानदार से तो दुकानदार डिस्क्वालिफाई हो गया।

श्री नागेश्वर प्रसाद---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रघुनाथसहाय यादव---अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२३-ख की उपधारा (२) की पंक्ति २ में अंक (१) तथा शब्द "के" के बीच शब्द "के निदेशों" जोड़ दिये जायं, तथा उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "प्रवर्तित नहीं करेगा" के स्थान पर शब्द "प्रवृत" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, यह जो प्रस्ताव किया है इसके दो भाग हैं। पहला भाग मुझको स्वीकार है। दूसरे भाग में मैं यह चाहता हूं, केवल शाब्दिक बात है, जो "प्रवर्तित" के बजाय "प्रवृत्त" रख दिया है वह भी सही नहीं है और न "प्रवर्तित" सही है। तो मेरा संशोधन यह है कि "प्रवर्तित नहीं करेगा" इसके बजाय "नहीं मानेगा" यह लिख दिया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी---व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह विधेयक वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, क्या वित्त मंत्री द्वारा विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता---उनको शाब्दिक संशोधन करने का अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ लहरी---शाब्दिक नहीं है। 'प्रवर्तित' शब्द निकाला जा रहा है। मैं उस 'प्रवर्तित' शब्द पर एतराज कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---'प्रवर्तित' से उसका आशय निकलता है।

श्री रघुनाथसहाय यादव---माननीय मंत्री महोदय ने जितना अंश स्वीकार किया है उसके बाद जो अंश है वह मैं वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२३-ख की उपधारा (२) की पंक्ति २ में अंक "(१)" तथा शब्द "के" के बीच शब्द "के निदेशों" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १२३-ख की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "प्रवर्तित नहीं करेगा" के स्थान पर शब्द "नहीं मानेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४ व १५

१४---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

यू० पी० एक्ट १, १९५१ की धारा १२४ का संशोधन।

गांव समाज कोष

"१२४---(१) प्रत्येक मंडल (circle) के लिये एक गांव समाज कोष की स्थापना की जायगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :

(क) वह सब धनराशियां जो, भूमि-प्रबंधक समिति को इस अधिनियम के अधीन मिलें, चाहे वह उसे अपने लिये मिलें या गांव समाज के लिये या उसकी ओर से, तथा

(ख) ऐसी अन्य धनराशियां जो नियत की जायं।

(२) गांव कोष की सब धनराशियां जो उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८, के प्रारम्भ के ठीक पहले गांव पंचायत के अधिकार में थीं इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गांव समाज कोष को संक्रामित हो जायंगीं तथा उसमें जमा हो जायंगीं।"

१५---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

यू० पी० एक्ट १, १९५१ की धारा १२५ का संशोधन।

गांव समाज कोष का इस अधिनियम के सम्बन्ध में उपयोग होना।

"१२५---भूमि-प्रबंधक समिति नियत रीति से इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के पालन और कार्यों के संपादन के सम्बन्ध में होने वाले परिव्ययों (charges) के लिये गांव समाज कोष का उपयोग कर सकती है।"

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १४ और १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६---मूल अधिनियम की धारा १२५ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२५-क के रूप में बढ़ा दी जाय:

संचित गांव समाज कोष।

"१२५-क---(१) प्रत्येक जिले के निमित्त एक संचित गांव समाज कोष संघटित किया जायगा, जिसमें उपधारा (२) के अधीन देय सभी अंशदान जमा किये जायेंगे।

(२) जिले का प्रत्येक गांव समाज कलेक्टर को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय का ऐसा अंश जो कलेक्टर द्वारा नियत रीति से निश्चित किया जाय और जो उसकी वार्षिक आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो, देगा।

(३) कोष का प्रयोग निम्नलिखित में किया जायगा:

(क) धारा १२७-ख के अधीन नियुक्त पैनल के वकीलों के शुल्क और भत्तों का भुगतान,

(ख) इस अधिनियम के अधीन गांव समाज अथवा भूमि-प्रबंधक समिति के विरुद्ध वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा अन्य कार्यवाहियों के संचालन तथा चलाने के सम्बन्ध में किये गये व्ययों का भुगतान,

(ग) सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के विकास पर किये गये व्ययों का भुगतान, और

(घ) अन्य किसी धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा कोष पर उचित रूप से भारित प्रख्यापित करे।"

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा---मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १२५-क की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "तीन प्रतिशत" रख दिया जाय।

इस धारा का मतलब गांव पंचायत से है। गांव पंचायत पहले कुछ पैसा रखती थी अब उसको इस भूमि प्रबंधक समिति में इस ढंग से रखा जा रहा है। मैं मंत्री महोदय के विचार के लिये अपील के तौर पर यह संशोधन रख रहा हूं। आज की परिस्थिति ऐसी है कि जहां आप किसानों को छूट दे रहे हैं, उनको गल्ला बांट रहे हैं तो अगर आप इस धारा के मुताबिक भूमि-प्रबंधक समिति के लिये १५ प्रतिशत लोगों पर टैक्स लगाने का जिलाधीश को अधिकार दे रहे हैं तो उससे लाभ नहीं होगा। आज चारों तरफ आन्दोलन चल रहे हैं और हल्ला मचा हुआ है। उस दशा में आज आप यह संशोधन रख रहे हैं कि जिले में एक कोष बनाया जायगा जिसमें पंचायतों से १५ प्रतिशत तक रुपया लेकर उसमें जमा किया जायगा जिससे वकीलों का खर्चा दिया जायगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से रखा गया तो यह एक राजनीतिक भूल होगी। अगर जनता में यह बात कही जायगी कि तुम से रुपया लेकर वकीलों को दिया जायगा और इसी वजह से यह टैक्स लगाया जा रहा है तो इसका बहुत जोरदार विरोध होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक ३ प्रतिशत रखा जाय। यही मेरी मांग है।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, ऐसा मेरा विश्वास है कि भ्रम से यह संशोधन रखा गया है। १५ प्रतिशत से अधिक न हो यह इसमें कहा गया है। इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३ प्रतिशत भी हो सकता है और ४ प्रतिशत भी हो सकता है। परन्तु आवश्यकता इसलिये है कि यदि वह गांव समाज का कोष कलेक्टर के पास नहीं रखा जायगा तो फिर प्रबंध समिति में त्रुटि आ जायगी। जो चित्र सामने हैं वह है सुव्यवस्था करने के लिये जिससे ग्राम में अच्छी व्यवस्था हो। मुकदमों में ऐसे मामले आते हैं जो नौ मेन्स लैन्ड की तरह से होते हैं। उसकी सुव्यवस्था करने के लिये यदि कलेक्टर के पास कोई कोष रहे तो अधिक सुन्दर है। उससे जिले का पूरा निरीक्षण भी होता रहेगा ।

यह सुझाव अवश्य है कि आदरणीय मंत्री महोदय उसके नियम बनाते समय यह पेनल के लिये जो देय शुल्क है उसके ऊपर विचार अवश्य करें। वह परम्परागत ५ प्रतिशत चला आया है । जहां तक मनीसूट हो वहां पर तो ५ प्रतिशत रहे लेकिन और जगह उसको कम करना चाहिये। अन्य जो वाद हों उनमें भी ५ प्रतिशत से कम करना चाहिये। यही रमेश चन्द्र शर्मा जी का अभिप्राय है कि आगे चलकर जो मनीसूट नहीं हैं उनमें देय शुल्क कम हो। नहीं तो गांव समाज का कोष भी संचित हो जाय और वह वकीलों के लिये व्यय हो तो यह तो अर्थ का अनर्थ हो जायगा और अच्छे पथ पर नहीं जायगा। इस कारण माननीय मंत्री जी को अपने रूल बनाते समय देय शुल्क पर मनी सूट के अन्दर विशेष ध्यान देना होगा वरना मक्षिका स्थाने मक्षिका, वही परम्परा जो पचासों वर्ष से चही आ रली है, आगे भी चलती रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और राज कार्यों में अधिक भूल होने की संभावना रहती है। तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय रमेशचन्द्र जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

*श्री चरणसिंह--अधिष्ठात्री महोदया, माननीय रामलखन जी को अपनी एक बात कहनी थी सो उन्होंने इस बहाने कह दी अगरचे उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और जो असली जवाब होना चाहिये रमेशचन्द्र जी का, वह देना वह भूल गये। असली जवाब यह है कि यह जो रुपया लिया जा रहा है उसके लिये यह तो रामलखन जी ने कह दिया कि यह कोई नया टैक्स नहीं है। जो गांव समाज की आमदनी है उसके १५ प्रतिशत तक, जैसा मैंने कहा था, लिया जायगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी के लिये नहीं है। जिले के जितने गांव समाज हैं सब से एक ही परसेंटेज लिया जायगा। इसमें जनता से छिपा कर कोई बात नहीं करनी है और इसीलिये जनता को शिकायत नहीं होनी चाहिये। असली मंशा इस कंट्रीब्यूशन लेने का यह है कि जिन गांव समाजों के पास एक भी पैसा नहीं है उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने में सहायता देना। मान लीजिये कि आपके जिले में ५०० गांव समाज हैं। उनमें ३०० में काफी आमदनी है और बाकी २०० के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और वहां पर किसी आदमी ने जमीन पर कब्जा कर लिया। खिलाफ कानून के कार्यवाही की और गांव-समाज के पास पैसा नहीं है कि अदालत में जा कर समाधान करा सके। वकील को पैसा चाहिये। उसके लिये तो नियम बने हुये हैं कि इससे ज्यादा वह नहीं ले सकता, वह देते भी नहीं, लेकिन वकील के अलावा और भी खर्चे हैं, कोर्ट फीस है, आना-जाना है। तो अगर इन २०० गांव समाजों के पास पैसा न रहा तो वे अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकेंगे और यह काम भूमि की सुरक्षा के सम्बन्ध में करना है। तो इसके लिये या तो सरकार पैसा दे, जो हो नहीं सकता। कहां से बजट पर भार डालते जायेंगे, तो इसलिये जैसा मैंने कल कहा था कि जिले में एक कंसालिडेटेड गांव समाज फंड बना दिया जाय और १० से ले कर १५ तक प्रतिशत कलेक्टर मुकर्रर कर दे और हर गांव समाज से उस प्रतिशत के अनुपात से रुपया ले ले और सारे गांव समाजों के लिटिगेशन का जो फाइनेंसिंग है वह उस से किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है इसलिये माननीय मित्र इसको वापस ले लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा---मैं माननीय सदस्य रामलखन मिश्र जी के एक शब्द का जवाब देता हूं और आशा करता हूं कि वह उसका ध्यान रखेंगे। उन्होंने यह कहा था कि मालूम हो रहा है कि भ्रमवश यह संशोधन आया है। कई माननीय सदस्यों के संशोधनों पर उन्होंने भ्रम, भ्रमात्मक आदि शब्दों को लेकर टिप्पणी की है और इस बहाने बोले हैं। मैं चाहूंगा कि पहले या तो वे इन संशोधनों को समझ लें अथवा समझने की कोशिश करें।

मैं माननीय मन्त्री जी को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन एक मिनट में कह देना चाहता हूं कि गांव में आपको समझाना पड़ रहा है कि आप पर जो टैक्स लगा हुआ ह वह गांव के अन्दर ही खर्च किया जायगा। यह गांव के विकास के लिये ही है। जब यह होगा कि यह टैक्स नया नहीं पुराना ही है, लेकिन इसका एक कोष जिले में दाखिल होगा जिससे मान लिया जाय कि उसी गांव के लिये ही मुकदमा लड़ा जायगा, लेकिन उस के साथ ही बहुत से गांव समाज ऐसे हैं कि जो कभी मुकदमा नहीं लड़ते और आपस में ही झगड़े तय कर लेते हैं। उनका भी पैसा आप वहां ले जायेंगे। उसका भी टैक्स वहीं जा रहा है। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन समय उपयुक्त नहीं ह। अगर आप कहते हैं कि उपयुक्त है तो मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन को वापिस लेता हूं और आशा करता हूं कि नियमावली बनाते समय उसको आप ठीक कर लेंगे। अगर नहीं किया गया तो हो सकता है कि इसके आगे कोई कदम हो।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामहेत सिंह---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मेरा संशोधन इस प्रकार है---

"खंड १६ में प्रस्तावित धारा १२५-क के खंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर शब्द 'दस प्रतिशत' रख दिये जायं।"

मुझे केवल इतना ही कहना है कि पूर्व वक्ता रमेशचन्द्र जी ने जो ३ प्रतिशत रखा था वह बहुत थोड़ा रह जाता था क्योंकि जिस काम के लिये वह रखा जा रहा है वह कार्य भी बहुत जरूरी है, इसकी आवश्यकता थी, इसको मैं मानता हूं। लेकिन जहां तक १५ प्रतिशत का ताल्लुक है इससे बहुत सा कोष इकट्ठा हो जायगा। इसलिये उसको १० प्रतिशत कर दिया जाय।

इसके अलावा एक बात और है कि वकील को देने के लिये जो धन रखा जायगा वह किस प्रकार से रखा जायगा, हर पेशी के हिसाब से अथवा किसी और तरीके से। इसके अलावा एक शंका और इसमें पैदा होती है कि अभी तक तो रुपया न होने के कारण गांव समाजों के बहुत से काम पड़े रह जाते थे, सुधार के भी और केस लड़ने के भी, वह तो ठीक होने लगेंगे। लेकिन इस १५ प्रतिशत को जो आपने रखा है, यद्यपि इसमें आपने 'तक' शब्द रखा है लेकिन वह १५ प्रतिशत ही हो जायगा। मैं सोचता हूं कि बजाय उसके १० प्रतिशत रख दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। अगर इससे काम न चलेगा तो हम फिर भी तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस समय इसको दस प्रतिशत ही रख दिया जाय।

*श्री नागेश्वर प्रसाद---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जिस संशोधन को माननीय रामहेत सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बहुत जरूरी है कि गांव समाजों के विवादों को तय करने के लिये वकीलों को रखा जाय। अभी तक जो वकील रखे जाते थे उनको या तो गांव समाज का प्रधान अपने पास से देता था या गांव-समाज से दिलवाने में बहुत समय लग जाया करता था। इसका नतीजा यह होता था कि वकील उसकी पैरवी ठीक ढंग से नहीं करता था। इन दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार ने यह उपाय सोचा है कि गांव समाजों से रुपया लेकर जिले में एक संचित कोष बनाया जाय और वह इस प्रकार के कामों में खर्च करने के लिय रखा जा रहा है। जहां तक इसकी मंशा है, वह तो बिल-कुल ही ठीक ह लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि माना कि उसमें आपने "१५ प्रतिशत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक "रख दिया है लेकिन उसका मतलब यही लगाया जायगा और १५ प्रतिशत रुपया काट लिया जाया करेगा और वह १५ प्रतिशत रुपया जाकर जिले के संचित कोष में जमा होगा। तो इसके माने यह हुये कि गांव समाज के कोष का १५ प्रतिशत केवल मुकदमों की पैरवी में खर्च किया जाय। गांव समाज की हालत को देखते हुए यह बहुत बड़ी रकम हो जायगी और दूसरे कामों में खर्च कम होगा। मैं इसकी उम्मीद नहीं करता हूं कि आज १५ प्रतिशत कर दिया जाय तो बाद में उसमें कमी की जा सकेगी। यह खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जायगा, कमी की कोई आशा नहीं दिखलाई पड़ती है। ऐसी हालत में इस बात की छूट दे दी जाय कि गांव समाज के कोष का १५ प्रतिशत केवल मुकदमों में खर्च किया जाय, यह उचित नहीं जान पड़ता है। इसीलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि १५ प्रतिशत से घटा कर उसे १० प्रतिशत कर दिया जाय तो इससे कोई इतनी कमी नहीं होती कि खर्च में कोई बहुत बड़ी कमी आ जायगी। अभी तो यह शुरूआत है, अगर सरकार जरूरी समझेगी तो मैं समझता हूं कि इसे आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत न होगी। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसे मंजूर करेंगे।

*श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्रों से दरख्वास्त करता हूं कि किसी उसूल की बात हो, उसमें दो-चार बहस हों तो कुछ बात हो। अगरचे बड़ी-बड़ी बहुत बहस हो चुकी है, मैं जवाब दे चुका, खैर, हर एक को हक है अपनी बात कहने का, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात को बुरा मान जाय। अगर ३ हो, या १० हो या १५ हो तो इस पर क्या बहस है, कौन से उसूल की बात है? जो दलील १० प्रतिशत के लिये दी गयी है वही ८ प्रतिशत के लिये भी दी जायगी। अगर कोई १२ प्रतिशत के लिये प्रस्ताव लाता तो उसके लिये भी वही दलील हो सकती है, ६ प्रतिशत के लिये भी वही दलील हो सकती है। अगर कोई उसूल की बात हो, उस पर लोग बोलने बालने की तकलीफ करें तब तो ठीक भी है। अब यह कि चूंकि उसमें लफ्ज है '१५ प्रतिशत तक' का इसलिये जरूरी नहीं होगा कि लिया ही जायगा, मेरे माननीय मित्रों को अन्देशा है कि जब १५ का लफ्ज हो जाता है तो १५ प्रतिशत जरूर लिया जायगा। मैं कहता हूं कि क्यों लिया जायगा? उसको कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आपरेट करेगा और देखेगा कि आखिर किस चीज की आवश्यकता है। फिजूलखर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि १५ प्रतिशत तक उनको उचित नहीं लगता लेकिन कुछ गांव समाजों की यदि सारी की सारी भूमि नष्ट हो जाय तो क्या वह उनको अच्छा लगेगा? अगर कुछ गांव समाज गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं उनकी भूमि नष्ट हो जाना वे उचित समझते हैं या उनके लिए अधिक पैसा देना उचित समझते हैं। कलेक्टर अपने जिले के इंटरेस्ट में जैसा उचित समझे १५ प्रतिशत ले, १० प्रतिशत ले, या ३ प्रतिशत ले, यह उसके ऊपर है। अब इसमें दो रायें हो सकती हैं, क्योंकि सब का पैमाना अलग-अलग होता है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि '१५ प्रतिशत' तक का ही अधिकार रहे तो उचित होगा। गवर्नमेंट की ही सब जमीन थी जिसे उसने इन्तजाम करने के लिये गांव समाज को दिया है। अगर किसी गांव समाज को अपना इन्तजाम करने के लिये रुपये की जरूरत होगी तो कलेक्टर गांव समाज के कोष से उसको देगा। कुछ गांव समाज ऐसे हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है, जैसे दाताराम जी के यहां का ही है। १०,००० रुपये की आमदनी जिसकी है उसका काम ठीक से चलता है, किसी की साढ़े ३,००० रुपये की आमदनी है और कुछ गांव समाज ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो उन सबकी भी सरकार को रक्षा करनी है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामहेतसिंह---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि यह उपयोगी है कि १५ प्रतिशत ही रखा जाय। मैं तो यही चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और उस टैक्स को वे वसूल कर गांव समाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामहेत सिंह]

के उपयोगी डेवलेपमेंट के कामों में खर्च करेंगे तब तो ठीक है लेकिन सवाल यह है कि अब इससे एक नयी चीज पैदा हो गयी है। फिर भी चूंकि माननीय मन्त्री जी समझते हैं कि १५ प्रतिशत तक रखना ही उपयोगी है, तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र—महोदया, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १२५-क की उपधारा (३) के खंड (ख) में शब्द "समिति" तथा "के विरुद्ध" के बीच में शब्द "द्वारा अथवा उस" बढ़ा दिये जायं, और शब्द "चलाने" के स्थान पर शब्द "अभियोजन" रख दिया जाय। केवल यह भाव प्रकाशन में धुंधलापन रह जाता था। अर्थ का अनर्थ होने की सम्भावना थी।

श्री रामस्वरूप यादव—यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ में प्रस्तावित धारा १२५-क की उपधारा (३) के खंड (ख) में शब्द "समिति" तथा "के विरुद्ध" के बीच में शब्द "द्वारा अथवा उस" बढ़ा दिये जायं, और शब्द "चलाने" के स्थान पर शब्द "अभियोजन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७—१९

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२६ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा १२६ में :

(क) शब्द "यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुए भी," निकाल दिये जायं; और

(ख) जहां कहीं भी शब्द "गांव पंचायत या समिति" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२७ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा १२७ की उपधारा (१) में :

(क) खंड (क) और (ख) में शब्द "गांव पंचायत या समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं,

(ख) शब्द "अधीन" तथा "के कर्त्तव्यों" के बीच में आने वाले शब्द "गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "भूमि-प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १२७-क का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा १२७-क में शब्द "धारा १२१ के अधीन स्थापित समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १७, १८ और १९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०---मूल अधिनियम की धारा १२७-क के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १२७-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नयी धारा १२७-ख का बढ़ाया जाना।

"१२७-ख---(१) राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय प्रत्येक जिले में गांव-समाज द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा अन्य कार्यवाहियों की पैरवी करने के लिये वकीलों का एक पैनल नियुक्त कर सकती है।

पैनल के वकील।

(२) पैनल का वकील किसी न्यायालय अथवा आधिकारिकी द्वारा गांव समाज के विरुद्ध प्रसरों को लेने के लिये जिले में उन गांव समाजों का अभिकर्त्ता होगा जो नियत किये जायं, और ऐसा अभिज्ञात अभिकर्त्ता समझा जायेगा जिसके द्वारा गांव समाज की ओर से इस अधिनियम अथवा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा भूमि-प्रबन्ध से सम्बन्द्ध अन्य किसी विधि के अधीन उपस्थिति, कार्य तथा प्रार्थना-पत्र हो सकते हैं।"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठात्री महोदया, एक बात मुझे कहनी थी। यह एजंडे में रामहेत जी का जो संशोधन है मैं उसके आशय से सहमत हूं। पर इस तरह से उसको करना चाहता था कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पैनल के किसी वकील की सम्बद्ध भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व अनुमति के बिना वाद को वापस लेने अथवा उसमें समझौता करने का अधिकार न होगा"। उनका कहना तो यह था कि जो प्रधान है उसको यह अधिकार होगा। मैं यह कह रहा हूं कि प्रधान नहीं भूमि प्रबन्धक कमेटी का अगर रिजोल्यूशन हो तो उसके बिना उसका एजेंट जो है पैनल का वकील, उसको अधिकार नहीं होगा फैसला करने का।

श्री अधिष्ठाता---माननीय वित्त मंत्री जी, आप अपना संशोधन लिखकर दे दीजिये।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित धारा १२७-ख के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित और बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पैनल के किसी वकील को सम्बद्ध भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व अनुमति के बिना वाद को वापस लेने अथवा उसमें समझौता करने का अधिकार न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१---मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) में :

(१) खंड (ग) में शब्द तथा अंक "धारा १२१ में उल्लिखित समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं,

(२) खंड (घ) में शब्द "गांव पंचायत या समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं,

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ क धारा १२८ का संशोधन

(३) वर्तमान खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ङ) गांव समाज कोष तथा संचित गांव समाज कोष की अभिरक्षा तथा उसके उपयोग और उससे भुगतान करने की प्रक्रिया।"

(४) खंड (च) में शब्द "इस अधिनियम में धारा १२६ के अधीन गांव पंचायत या समिति" के स्थान पर शब्द "धारा १२६ के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं,

(५) खंड (छ) में शब्द "गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं,

(६) खंड (झ), (ञ) और (ट) में शब्द "गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "भूमि-प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं, और

(७) खंड (ठ) में शब्द "गांव पंचायत समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२.

यू० पी० ऐक्ट, १, १९५१ की धारा १३२ का संशोधन।

२२---मूल अधिनियम की धारा १३२ में वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ग) ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि वह टौंगिया रीति से वन लगाने के लिये अभिप्रेत है या अलग रखी गई है अथवा गांव समाज या किसी स्थानिक आधिकारिकी की बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक कार्य के लिये अर्जित अथवा अधिकृत भूमि और विशेषतः तथा इस खंड की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले---

(१) फौजी पड़ाव के लिये निश्चित भूमियां,

(२) रेल अथवा नहर की सीमाओं के अन्दर की भूमियां,

(३) किसी कैन्टूनमेंट की सीमाओं के अन्दर की भूमियां,

(४) कच्ची खाद के क्षेत्र (Sullage farm) तथा खात भूमि (Trenching ground) में सम्मिलित भूमियां जिनका इसी स्थिति से स्वामित्व स्थानिक अधिकारी में हो,

यू० पी० ऐक्ट ८, १९१९।

(५) यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४२ के अधीन स्वीकृत योजना के अनुसार किसी टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अर्जित भूमियां अथवा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ८ के खंड (ए) अथवा (सी) में उल्लिखित प्रयोजन के निमित म्युनिसिपैलिटी द्वारा अर्जित भूमियां, और

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४।

(६) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट भूमियां।"

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २२ में प्रस्तावित धारा १३२ के खंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "है या अलग रक्खी गई" के स्थान पर शब्द "या विनिर्दिष्ट" रख दिये जायं।

यह बिल्कुल शाब्दिक संशोधन है।

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ में प्रस्तावित धारा १३२ के खंड (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "है या अलग रक्खी गई" के स्थान पर शब्द "या विनिर्दिष्ट" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २२ में प्रस्तावित धारा १३२ के खंड (ग) के भाग (४) की पंक्ति ३ में शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "आधिकारिकी" रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव---मुझे स्वीकार है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ में प्रस्तावित धारा १३२ के खंड (ग) के भाग (४) की पंक्ति ३ में शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "आधिकारिकी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३-२५

२३---मूल अधिनियम की धारा १३३, १७८, १८३, १८४, १८७, १८८, १९४, १९६, १९८, २३०, २७४, २७६, २७७, २७८, २८२, २८३, तथा ३१६ में जहां कहीं शब्द "गांव सभा" आये हों उनके स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

पद "गांव सभा" के स्थान पर पद "भूमि प्रबन्धक समिति" का रक्खा जाना।

२४---मूल अधिनियम की धारा १३३ में वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के निदेशों के अधीन किसी अन्य रीति से असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३३ का संशोधन।

२५---मूल अधिनियम की धारा १३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा १३३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"१३३-क---प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा भूमि पट्टे पर उठाई गई हो, ऐसी भूमि के संबंध में "सरकारी पट्टेदार" कहलायेगा और इस अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुये भी तत्संबंधी पट्टे की शर्तों और प्रतिबन्धों के अनुसार उस पर अधिकार रखने का अधिकार होगा।"

सरकारी पट्टेदार।

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा १३३-क का बढ़ाया जाना।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३, २४ और २५ इस विधेयक के अंग माने जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

यू०पी०ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

२६--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १३४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

सीरदार द्वारा भूमिधरी अधिकार का उपार्जन।

"१३४--(१) यदि धारा १३१ के खंड (क) में उल्लिखित वर्ग का सीरदार उस भूमि के निमित्त जिसका कि वह सीरदार हो प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर देय मालगुजारी का, अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी का दस गुना राज्य सरकार के नाम में जमा करता है, तो वह इसके लिये असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष यथोचित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दिनांक से जब धनराशि जमा की जाय इस बात के प्रख्यापन का अधिकारी हो जायगा कि उसने उस भूमि के संबंध में धारा १३७ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिये हैं:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त रुपया देने या देने के लिये प्रस्ताव करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले दिनांक से तीन मास पूरे होने पर समाप्त हो जायगा।

स्पष्टीकरण--(१) इस उपधारा में "भूमि" के अन्तर्गत भूमि में अंश भी है।

स्पष्टीकरण--(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित होगी--

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खंड (क) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट भूमि के संबंध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि, और

(ख) उस भूमि के संबंध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खंड प्रवृत होता हो उस धारा के अधीन मौरूसी दरों पर अवधारित धनराशि।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि नकदी में अथवा यदि राज्य सरकार नियत करे तो बन्धों के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में दी जा सकती है।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

यू०पी०ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३५ का संशोधन।

२७--मूल अधिनियम की धारा १३५ में शब्द "या पहिली किस्त" निकाल दिये जायं तथा शब्द "कर दी है" के स्थान पर शब्द "कर दिया है" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

२८---मूल अधिनियम की धारा १३६ में शब्द "उसके द्वारा देय लगान की और यदि उक्त देय लगान लागू मौरूसी दरों से लगाये गये लगान के दुगुने से अधिक हो तो इस प्रकार लगाये गये लगान की दुगुनी धनराशि की ही दस या बारह गुनी जैसी भी दशा हो, होगी" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा देय मालगुजारी के दस गुने के बराबर अथवा यदि उक्त मालगुजारी लागू मौरूसी दरों के अनुसार लगाई गई धनराशि से दुगुनी धनराशि से अधिक हो, तो उक्त दुगुनी धनराशि के दस गुने के बराबर होगी" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३६ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९-३३

२९---मूल अधिनियम की धारा १३७ में : यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३७ का संशोधन।

(क) उपधारा (२) के खंड (ख) में शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय या देय समझे जाने वाले लगान" के स्थान पर शब्द "प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर उसके द्वारा तदर्थ देय मालगुजारी अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी" रख दिये जायं,

(ख) उपधारा (२) का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय, और

(ग) उपधारा (२) के अन्त में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय ---

"स्पष्टीकरण---यदि उपरोक्त दिनांक पर किसी सीरदार द्वारा देय मालगुजारी लागू मौरूसी दरों से लगाई गई धनराशि की दुगुनी धनराशि से अधिक हो तो खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा देय मालगुजारी उक्त दुगुनी धनराशि के बराबर समझी जायगी।"

३०---मूल अधिनियम की धारा १३९ में कोष्ठक तथा शब्द "(उतना छोड़कर जितने से उसका संबंध किस्तों से है)" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १३९ का संशोधन।

३१---मूल अधिनियम की धारा १४१ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १४१ का निकाला जाना।

३२---मूल अधिनियम की धारा १४३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं--- यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १४३ का संशोधन

"(१) जब कोई भूमिधर अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के

निमित्त प्रयुक्त करता है तो परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयंमेव अथवा प्रार्थना-पत्र पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय उस आशय का प्रख्यापन कर सकता है ।

(१-क) जब उपधारा (१) के अधीन कोई प्रख्यापन किसी खाते के भाग के संबंध में करना हो तो परगना का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर ऐसे भाग को ऐसे प्रख्यापन के प्रयोजनों के निमित्त परिच्छिन्न कर सकता है।"

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १४४ का संशोधन ।

३३---मूल अधिनियम की धारा १४४ की उपधारा (१) में शब्द "परगना का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर, यदि उसे इस बात का संतोष हो जाय कि उक्त भूमि कृषि, उद्यानकरण, या पशु पालन (animal husbandry) [जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry-farming) भी है] से संबंध रखने वाले प्रयोजनों के लिये उपयोग में आ रही है" के स्थान पर शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयंमेव अथवा प्रार्थना-पत्र पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २९,३०,३१,३२ और ३३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १५४ का संशोध

३४---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर विरोध।

"१५४---किसी भी भूमिधर को चाय के बागान से भिन्न किसी भूमि को विक्रय या दान के द्वारा (दानोत्तर प्रयोजन के निमित्त स्थापित संस्था से भिन्न) किसी व्यक्ति को संक्रामित करने का अधिकार न होगा जब वह व्यक्ति ऐसे विक्रय या दान के परिणामस्वरूप अपने द्वारा अथवा अपने परिवार द्वारा पहले से अधिकृत भूमि को, यदि कोई हो तो मिलाकर साढ़े बारह एकड़ से अधिक का अधिकारी हो जाय।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त "परिवार" के अन्तर्गत गृहीता स्वयमेव, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, तथा उसके अल्पवयस्क बच्चे आयेंगे।"

***श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा १५४ की छठवीं लाइन के शब्द "अधिकृत भूमि" तथा शब्द "को" के बीच निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

"तथा उत्तराधिकार में उसे या परिवार के किसी सदस्य को मिलने वाली भूमि"

अध्यक्ष महोदय, हमारी नेशनल सेकेंड फाइव-ईयर प्लान के भूमि-व्यवस्था सुधार का अंतिम चैप्टर गालिबन यह है कि बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स पर सीलिंग कायम की जाय और उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि बड़ी-बड़ी जोतों और अलाभकर जोतों के बीच में जो खलीज है वह दूर हो जाय। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो भूमि बड़ी-बड़ी जोतों से पारसल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आफ करके अलग होवे वह अलाभकर जोतों को मिल जाय जिससे वे लाभकर बन जावें। मैंने आज और कल आदरणीय मंत्री जी के भाषण को सुना और सुनकर मैं अपनी तुच्छ समझ से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह सीधे तौर से तो सीलिंग को इस प्रदेश में स्थापित करने के हक में नहीं हैं और उनके शब्दों में सीलिंग को बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स पर स्थापित करना मूर्खता का काम होगा। लेकिन इन दोनों उद्देश्यों से वह सहमत हैं पूर्णतः। साथ ही यह भी बताया कि पहले उद्देश्य की पूर्ति, कि बड़ी-बड़ी भूमि छोटी हो जायं, लार्ज होल्डिंग्स बिल लाकर की है और दूसरे उद्देश्य की पूर्ति कि बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स से जो जमीन पारसल आफ होवे वह बड़ी-बड़ी होल्डिंग्स पर दुबारा न जाकर अलाभकर जोतों के लोगों के पास पहुंचें, केवल वही उसको खरीद सकें। वह निहायत खूबसूरती से इस बिल के द्वारा इस चीज को रखना चाहते हैं। इसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं; लेकिन मुझे खेद है कि यदि यह संशोधन अस्वीकार हुआ तो जो मन्शा इस बिल की है और जो मेरे नजदीक इसकी खूबसूरती है वह जाती रहेगी। इसलिये जरूरी है कि इसमें यह कर दिया जाय कि जब बड़े खाते वाले टैक्स के दबाव से जमीन बेंचें तो केवल उसे वही खरीद सकें कि जिनके पास अलाभकर जोते हैं।

जिस तरह से बिल में यह धारा रखी जा रही है उसमें इस तरह का कोई प्रबन्ध नहीं है कि बड़ी-बड़ी जोतों के मालिकों के लड़के बालिग होने पर, सब अलग-अलग साढ़े बारह एकड़ न खरीद सकेंगे। हिन्दू ज्वाइंट फैमिली में ज्यादातर 'कर्त्ता' के नाम सारी भूमि होती है और बालिग लड़कों के नाम कोई भूमि नहीं होती, यदि इस धारा के यही शब्द रहे तो स्पष्ट है कि उन बालिग लड़कों में से हर एक साढे १२ एकड़ जमीन खरीदने का अधिकारी होगा। जब कि ये बड़ी जोतों वाले पैसे वाले लोग हैं और ये छोटी जोतों वाले पैसे से कमजोर हैं तो जाहिर है कि वही खरीद लेंगे और ये लोग उन के मुकाबले में न खरीद सकेंगे। इसलिये इस नीयत से कि इस बिल का मन्शा पूरा हो, यह संशोधन मैंने रखा है और मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसे स्वीकार करें।

*श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि कुछ हद तक उनसे सहमत होते हुये भी मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मन्शा तो उन्होंने समझा ही दिया, मुझे आपत्ति यह है कि कुछ हद तक तो यह गैरजरूरी है और जिस हद तक इसे वह जरूरी समझते हैं उसके मुताबिक अमल करना मुश्किल है। गैरजरूरी यह इस हद तक है कि अगर बाप के पास ज्वाइंट प्रापर्टी है तो उसमें लड़कों को तो हक मिलेगाही, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। बाप बिना लीगल नेसेसिटी के मुन्तकिल नहीं कर सकता, अब लड़कों को बर्थ से ही उस में हक मिलेगा, वह तो 'हेल्ड बाई हिम' में आ जायगा, इस में तो कोई दो राय नहीं हो सकतीं। यही सब लीगल एडवाइजर बतायेंगे, मैंने भी थोड़ी प्रैक्टिस की है, यही सबकी राय होगी।

अब रही वह प्रापर्टी जो बाप की सेल्फ एक्वायर्ड है, वह भी बेटों में बराबर-बराबर तकसीम होगी लेकिन अगर वह विल करता है तो अगर वह किसी के हिस्से में आती है तो वह उसे भी शामिल करना चाहते हैं लेकिन मान लीजिये कि बाप नहीं देना चाहता, वह बिना वजह नीलाम हो जाती है, बिना लीगल नेसेसिटी के वह दे देता है, मरने के बाद तो वह मिल जायगी, यह चीज जरा हाईपाथेटिकल है, उस हद तक इम्पलीमेंट करना बहुत कठिन है। इस कारण से भी इसे मंजूर करने में मजबूरी है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि बाप के अलावा किन्हीं और लोगों से मिल जाय तो इस तरह का केस हजारों में एक होगा। फिर, अगर नाना से चाचा से ताऊ से मिलेगी तो वह तब करेंगे जब लैन्ड एयरलेस हो जाय, कोई वारिस न रहे। वह हजार में एक केस होगा। तो हमें यह मालूम भी नहीं कि इसे जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज एक नाना है। उसका धेवता अगर जायदाद खरीदता है; उसका, नाना का, वारिस मौजूद है, लेकिन नाना के मरने के बाद धेवते को जायदाद पहुंचती है और वह वारिस नहीं रहता, तो कैसे हिसाब लगेगा कि नाना की जायदाद जरूर मिले? अगर उनका मंशा यह है कि अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

जायदाद बाहर से आयी और जब सक्सेशन इन ओपेन हो और साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा मौजूद हो तो यह जो नाना से जायदाद मिली है वह न मिले वरना कम्पेंसेशन देना होगा, गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, वह भी मुश्किल चीज है, तो ऐंसेस्ट्रल प्रापर्टी में यह गैरजरूरी है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी में इसका इम्पलीकेशन मुश्किल है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव--यदि आदरणीय माल मंत्री संतुष्ट हैं कि जिस प्रकार के शब्द विधेयक में रखे हुये हैं उसमें ऐसेंस्ट्रल प्रापर्टी से इनहेरिटेंस द्वारा भूमि मेजर बच्चों को मिलने वाली है तो मुझे स्वीकार है कि यह संशोधन वापस कर दिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री नागेश्वर प्रसाद**--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३४ में प्रस्तावित धारा १५४ के अन्त में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नांकित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रख दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि जो व्यक्ति एक सौ रुपया मासिक से अधिक वेतन वाली सरकारी नौकरी में होगा या जिसके पास जीविका का अन्य कोई परिपूर्ण साधन होगा उसे कृषि करने के निमित्त भूमि हस्तांतरित न हो सकेगी।"

मान्यवर, जहां पर इतनी बड़ी बेकारी है और सरकार प्रयत्नशील है कि हर एक आदमी को काम दे और इसी दृष्टि से भूमि किसी के पास अधिक अर्जित न हो, सब लोगों को धीरे-धीरे जीविका के साधन के रूप में कुछ न कुछ भूमि मिल जाय, जब यह नीति है तो जो लोग सर्विस में हैं और उनको जीविका का साधन मिला हुआ है तो उनको जमीन दी जाय और नौकरी भी करें यह ठीक नहीं मालूम होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुये यह संशोधन रखा है। आशा है कि मेरा मंशा वित्तमंत्री समझेंगे और स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं उनके आशय को तो समझता हूं कि वह बड़ा लाडेबिल और प्रसंशात्मक है लेकिन उसको स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। पहली बात तो यह है कि शायद कांस्टीट्यूशन हमारे सामने बाधक हो जायगा कि इस बिना पर कि वह १०० रुपये पाता है, जमीन न खरीद सके। हमने जो फैमिली की बात रखी है, फैमिली इतना नहीं खरीद सकती, यह बात दूसरी है। हमारा ऐक्ट सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमेबाजी के बाद वैलिड करार दे दिया गया था और हाई कोर्ट की एक रूलिंग यह हुई थी कि इस ऐक्ट की हर धारा वैलिड है चाहे हर धारा पर बहस अदालत में हुई हो या नहीं। इसलिये वह बात तो वैलिड है कि जिसके पास पहले से भूमि है उसको शामिल करके साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा न हो, लेकिन जिस आदमी को १०० रुपये की आमदनी हो वह न खरीद सके, तो कांस्टीट्यूशनली यह इनवैलिड हो जायगा।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जमीन तो वही खरीदेगा जो खुद खेती कर सकेगा और अगर खेती करके लगान पर देना चाहेगा तो दी नहीं जा सकेगी। इसलिये जमीन का कुप्रबंध तो होगा नहीं और इस खयाल से खरीदेगा कि रिटायर होने वाला है। मान लो, वह साढ़े ५७ वर्ष का हो गया और उसकी तनख्वाह ११० रुपया है और वह इस खयाल से खरीद रहा है कि ६ महीने बाद रिटायर होने वाला है तो क्या खरीद सकेगा या नहीं? इसलिये, मेरी अपनी राय में यह संशोधन ठीक नहीं रहेगा और जैसे प्राविजंस हैं हमारे विधेयक के वही ठीक हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद--जैसा माननीय माल मंत्री जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो; इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री महीलाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ में प्रस्तावित धारा १५४ के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में शब्द "अल्प वयस्क" के पहले शब्द "वयस्क तथा" रख दिये जायं ।

इसका तात्पर्य परिवार की परिभाषा को संशोधित करने से है; जैसी कि इस विधेयक में आई है ऐसी ही परिभाषा सन् १९५५ में थी। सन् ५५ में इसको संशोधित किया गया और इसमें "वयस्क" रखा गया। अब माननीय मंत्री जी पुनः इसे वैसा ही रखना चाहते हैं जसा कि सन् १९५५ से पहले था "अल्प वयस्क"। इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि कानूनी ऐसी दिक्कत है कि एक नोटिस दे कर कोई भी व्यस्क लड़का अपने बाप से कानूनी दृष्टि से अलग हो सकता है वैसे चाहे वह संयुक्त परिवार का सदस्य ही रहे। उसी चीज को मंत्री जी अपनी ओर से एक वैधानिक रूप देने जा रहे हैं।

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने जो नोटिस देने वाली बात कही, मैं समझता हूं कुछ आंकड़े उनके सामने अवश्य होंगे इस प्रकार के जिनमें लड़के ने नोटिस दे कर अपने को बाप से अलग कर लिया और उसके बाद जमीनें खरीदीं। अगर वह इस तरह के नोटिसों की संख्या बतला सकें तो फिर मुझे अपने संशोधन को वापस करने की आज्ञा दे दी जाय।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले से माननीय महीलाल जी ने नोटिस की बात कही तो वह बात मेरी समझ में आई नहीं। कितने नोटिस हुये, इसकी इत्तला मैं इकट्ठा करूं इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर अपने संशोधन के सिलसिले में वह नोटिस की बात करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कल से कोशिश करने के बावजूद भी मैं माननीय महीलाल जी को इसका आशय अच्छी तरह से समझा नहीं पाया ।

रही नोटिस की बात। तो गवर्नमेन्ट के पास फीगर्स आते नहीं,न गवर्नमेन्ट को नोटिस दिये जाते हैं। जैसी परिभाषा हम कुटुम्ब की करने जा रहे हैं ठीक यही परिभाषा सन् १९५२ में थी लेकिन उस वक्त ३० एकड़ थी और अब उसे साढ़े बारह एकड़ करने जा रहे हैं। तब तो बालिग आदमी ३० एकड़ ले रहा था। हमने कहा कि ज्वाइंट फैमिली कर दो; मां, बाप, भाई सब शामिल कर दो और ३० एकड़ रहने दो। तो हम चाहते थे कि कुछ प्रतिबन्ध लग जायं। वह नहीं लगा तो ३० एकड़ के बजाय साढ़े बारह एकड़ किया जा रहा है। बावजूद इतनी तशरीह के मेरे दोस्त नहीं समझ सके तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महीलाल—मैंने पहले ही आज्ञा चाही थी वापस लेने की ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री शिवराजसिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने एक संशोधन इसी खंड में दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नहीं आया ।

श्री शिवराजसिंह यादव—श्रीमन्, मेरा संशोधन जो कार्यसूची में ४९ नम्बर पर दिया हुआ है उसके लिये मैंने यह प्रार्थना की थी कि खंड ३७ के बजाय मेरा संशोधन खंड ३४ में रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब यह है कि जो संशोधन खंड ३७ में रखा है वह ३४ में होना चाहिये ? यह तो दूसरी चीज है। आपका संशोधन स्वतंत्र है। ३७ खंड वाले संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें आपने लिखा है कि :—

"खेतिहतर मजदूर के अतिरिक्त कोई अन्य भूमिहीन व्यक्ति कोई भूमि कृषि हेतु नहीं खरीद सकेगा और" तो यह बिलकुल अलग चीज है यानी इसकी शब्दावली बिलकुल अलग है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवराजसिंह यादव—श्रीमन्, तात्पर्य वही है ।

श्री अध्यक्ष—तात्पर्य वही हो लेकिन आप यह नया संशोधन दे रहे हैं इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं नहीं चाहता हूं कि समय व्यर्थ खर्च हो । अगर माननीय वित्त मंत्री जी इसको स्वीकार करते हों तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा ।

श्री चरणसिंह—स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३५

य० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १६१ का संशोधन ।

३५—मूल अधिनियम की धारा १६१ में वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं :

"(१) कोई भूमिधर या सीरदार—

विनिमय

(क) किसी दूसरे भूमिधर या सीरदार से उसके द्वारा अधिकृत भूमि का अथवा,

(ख) किसी गांव समाज या स्थानिक आधिकारिकी से उस भूमि का जो धारा ११७ अथवा ११७-क के अधीन तत्समय उसमें निहित हो,

विनिमय कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कोई विनिमय नहीं होगा और यदि विनिमय की जाने वाली भूमियों के मौरूसी दरों से लगाये गये लगानी मूल्यों में निम्नतर लगानी मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक अन्तर हो, तो असिस्टेन्ट कलेक्टर अनुज्ञा देने से इन्कार कर देगा ।

(१-क) जब असिस्टेन्ट कलेक्टर विनिमय की अनुज्ञा दे तो वह संबद्ध वार्षिक रजिस्टरों के तदनुसार संशोधन की भी आज्ञा देगा ।"

श्री नागेश्वर प्रसाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ (१) (ख) के प्रतिबन्धात्मक भाग की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "सवा छः" रख दिया जाय ।

मान्यवर, इसमें खेतों की भूमिधरी और सीरदारी के तबादले के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है और इसमें यह देखा जायगा कि अगर परगना इंचार्ज समझता है कि मूल्य में १० प्रतिशत तक अंतर है तो वह उसको मंजूर कर लेगा अगर वह आपस में तबादलानामा कर लें । इसलिये मैं चाहता हूं कि सवा छ तक के अन्तर को मानें ।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है । दरअसल १० की जगह २० होता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि रेंटल वैल्यू से जमीन की कीमत का ठीक अंदाजा नहीं हो पाता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री व्रजगोपाल सक्सेना—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ के प्रतिबन्ध में शब्द "इनकार कर देगा" के स्थान पर शब्द "इनकार कर सकता है" रख दिये जायं ।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे मंजूर नहीं है ।

श्री व्रजगोपाल सक्सेना—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि तबादला जमीन जब होता है जबकि दोनों फरीकैन रजामंद होते हैं। इसमें कितनी ही बातें होती हैं यह सभी जानते हैं। यह एक वालेंटरी चीज है और यह तबादला किसी ऐसी स्थिति में हो सकता है, जब एक दूसरे को रुपया दे दे या दोनों के लगान में अन्तर न हो। ऐसी कोई बात है नहीं कि अगर वह तबादला करे और उनके लगानों में कोई अन्तर हो तो वह नुक्सानदेह हो। इसलिये वह अथारिटी जो फैसला करने वाली है उसको डिस्क्रिशनरी पावर दे दें। वह ज्यादा समझ सकता है कि तबादला स्वीकार करे या न करे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वित्त मंत्री स्वीकार करें कि डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी जायं।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, दरअसल इसमें एक छिपी हुई बात है, वरना अगर भूमिधर भूमिधर से एक्सचेंज करता है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है चाहे एक प्रतिशत या पचास प्रतिशत का फर्क हो। लेकिन भूमिधर और सीरदार भी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर उसमें हम उसको डिस्क्रिशन दे देते हैं एस०डी०ओ० को तो सीरदार बैनामा कर देगा एक्सचेंज के नाम से। मान लीजिये कि मैं भूमिधर हूं और मैं सीरदार से जमीन खरीदना चाहता हूं १०० बीघे। मैंने भूमिधरी की एक बीघा जमीन एक्सचेंज में दे दी और बाकी रुपया दे दिया। तो कानून कहता है कि एक्सचेंज हो गया। १०० बीघे का बैनामा सीरदारी का हो गया जो नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ के प्रतिबन्ध में शब्द "इनकार कर देगा" के स्थान पर "इनकार कर सकता है" शब्द रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६

३६—मूल अधिनियम की धारा १६३, १७६, २०१, २०३, २०६, २०८, २०९, २१०, २१२, २१३, २१७, २१८, २२०, २२९, २२९-ख, २२९-ग, तथा २३३-क में जहां कहीं शब्द "गांव सभा" आये हों उनके स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जायं।

पद "गांव सभा" के स्थान पर "गांव समाज" का रखा जाना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७

३७—मूल अधिनियम की धारा १६५ में :

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १६५ का संशोधन।

(१) वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) यदि उसके परिवार द्वारा अधिकृत भूमि सहित, उसके द्वारा अधिकृत भूमि का जिसके अन्तर्गत वह कोई भूमि भी है जो उसे अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टे पर दी गई हो, कुल क्षेत्रफल साढ़े बारह एकड़ से अधिक न हो तो, उसका सीरदार हो जायगा, और"

(२) खंड (ख) में शब्द 'तीस' के स्थान पर शब्द 'साढ़े बारह' रख दिये जायं, और

(६) निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के निमित्त शब्द 'परिवार' का वही अर्थ होगा जो उसे धारा १५४ में प्रदान किया गया है।"

श्री रामहेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा १६५ (१) (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"यदि उस भूमि को मिला कर जो उसे पट्टे पर या दान में दी गयी है उसके पास कुल भूमि का क्षेत्रफल साढ़े बारह एकड़ से अधिक न हो तो उसका सीरदार हो जायगा।"

अध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री यह मान रहे हैं कि साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा न हो, उसी की पुष्टि के लिये मैं इसे रख रहा हूं क्योंकि आज कल दान की एक ऐसी परिभाषा है, मूल अधिनियम में कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाती है साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा रखने की। दान की यह परिभाषा है :

"दानोत्तर के अन्तर्गत ऐसे सभी प्रयोजन हैं जिनका सम्बन्ध निर्धनों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी तथा सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी अन्य विषयों की, प्रोन्नति से है न कि इसके अन्तर्गत ऐसे प्रयोजन हैं जिनका सम्बन्ध केवल धार्मिक उपासना, शिक्षा या सेवा अथवा धार्मिक कृत्यों के समाधान से है।"

मेरा मतलब यह है कि जैसे आजकल भी आप देखते हैं, बहुत से महन्त, पंडे, पुजारी अगर धार्मिक रूप से उनको दान दे दें तो वे जमीन के मालिक बन गये। मैं केवल पुष्टि के लिये कि दान में भी साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा न रखी जाय केवल इस उद्देश्य को लेकर मैंने यह संशोधन रखा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको मान लें।

श्री चरणसिंह—मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री रामहेतसिंह—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गंगाप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (१) के (क) की पंक्ति ४ में "साढ़े १२ एकड़" के स्थान पर "सवा ६ एकड़" रख दिया जाय तथा उपखंड (२) में शब्द "साढ़े १२" के स्थान पर "सवा ६" रख दिये जायं। तथा (३) नया उपखंड (ग) बढ़ा दिया जाय :

(ग) साढ़े चार एकड़ रख दिया जाय।

स्पष्टीकरण— ४।। एकड़ के अतिरिक्त भूमि खेतिहर मजदूरों में वितरित कर दी जाय।"

यह छोटा सा संशोधन है और इसकी महत्ता के लिये मैं चन्द शब्द सदन की सेवा में पेश करना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इसी सदन में सन् ४७ में स्वर्गीय रफीअहमद किदवई साहब ने पेश किया था और उस समय पेश किया था जब देश में एक अराजकता फैली हुई थी और देश के किसान भयभीत हो रहे थे। जब कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तो उन किसानों की बदौलत ही हुई जो कांग्रेस के ८४ फीसदी मेम्बर थे। इसको सब जानते हैं। वे सब किसान आज खेती करते हैं और उनके पास सिवाय खेती करने के और दूसरा जरिया नहीं है। खेती के कानून में तब्दीली करने के लिये यह सरकार का आठवां विधेयक इस हाउस में आया है। दूसरी तरफ सरमायेदारों के लिये एक भी कानून नहीं आया। उनके फायदे के लिये ही कई कानून बने हैं।

आज खेतिहर मजदूरों की हालत को देखते हुये मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनकी दयनीय दशा है। मन्त्री जी भी खुद किसान के लड़के हैं। वह भी जब रात को सोते होंगे तो उनको पुरानी याद आती होगी। वह बहुत बड़े खानदान के नहीं हैं। वह जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों के बच्चों की आज क्या हालत है। उनके बच्चे आज पढ़ नहीं सकते हैं।

उनकी औरतें बिना कपड़े के कारण तन को ढांक नहीं सकती हैं। उनके बच्चे किस तरह से अपने दिन व्यतीत करते हैं? किसी दिन उनको खाने को मिलता है और किसी दिन नहीं मिलता है। उधर दूसरी तरफ एक-एक जमींदार सैकड़ों एकड़ और हजारों एकड़ जमीन के मालिक बने हुये हैं और उनके पास बहुत सी जमीन बेकार पड़ी है। इस लिये हमने जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक बन रहा था, कहा था कि भूमि का बटवारा होना चाहिये। उसके लिये हमने कहा था कि ३० एकड़ भूमि से ज्यादा भूमि लेकर खेतिहर मजदूर को दी जाय। आज भी मैं उस चीज को कह रहा हूं। १२॥ एकड़ से कम काम नहीं चलेगा। सन् ६२ के बाद एक दिन आयेगा कि जब हम ६। एकड़ मानेंगे पर आज मैं किसानों के लिये कहता हूं कि ६। एकड़ से अधिक जोत न हो और किसी के पास ४॥ से कम की जोत न हो। इससे कम भूमि किसी के पास नहीं रहनी चाहिये। कहा जाता है कि हमारे लड़के कैसे पढ़ेंगे और इंजीनियर कैसे बनेंगे और संगीतज्ञ कैसे होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी युग में आज महात्मा गांधी के प्रताप से हमारे लड़के इंजीनियर हैं, डी० एस० पी० हैं और इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस शासन ने हमको आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसलिये हम कहते हैं कि ६। एकड़ का बटवारा हो। इस तरह से ४॥ एकड़ हर आदमी के पास जमीन हो। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर सबको जमीन लेकर बांट दी जाय तो वह ४॥ एकड़ तक होगी, तो उसे साढ़े चार एकड़ बांटा जाय। उससे छिपाया क्यों जाय? जब आवदी कांग्रेस में हमने समाजवादी व्यवस्था लाना मान लिया है तो उसको हमें लाना है और हमें एक वर्गविहीन समाज की रचना करनी है। क्या कारण है कि हम इसके लिये आगे न बढ़ें? मेरा विचार है कि बटवारा जरूर किया जाय ताकि देश के गरीबों और भूमि-हीनों का गुजर हो सके।

दूसरी तरफ मेरी दलील यह है कि बड़े-बड़े फार्मों में पैदावार कम होती है। जापान, चीन आदि में कैसे इतनी आबादी बढ़ी है? वहां कहा जाता है कि उद्योग-धंधे हैं। मैं कहता हूं कि यहां भी क्यों न घरेलू उद्योग-धंधे किये जायं। यहां के लोगों को भी उनके लिये उद्योग-धंधों की ट्रेनिंग दी जाय। एक रोजगार से ही सारी समस्या का हल नहीं निकल सकता। अभी हम लोग काशमीर गये थे। वहां भी जमीन की लिमिट १५ कड़ी है और इसी तरीके से जमीन वहां बांट दी गयी है। जो खेती करता है उसको ही जमीन दी गयी है। लेकिन हमारे यहां तो जमीन अफसरों को दी जाती है! मंत्री जी ने अभी कहा कि एक आदमी १०० रुपया पाता है और दूसरा कोई जरिया नहीं, १० रुपया पेंशन पाने के बाद वह क्या खायेगा। यह तो कोई दलील नहीं है। इससे कोई फायदा समाज का नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं कि अब जमाना आ रहा है, महात्मा गांधी और लेनिन जा चुके, लेकिन अब आगे आने वाला जमाना आपको याद करेगा। हमारी पार्टी के लोगों ने केरल में जमींदारी उन्मूलन में देर की तो वहां जमीन को लेकर क्रांति मच गयी। आपने अपने यहां पहले ही जमींदारी एबालीशन कर लिया, नहीं तो यहां भी क्रांति हो जाती। ऐसा करने से यहां के लाखों और सैकड़ों व्यक्ति, जो गरीब किसानों का शोषण करते थे, कत्ल होने से बच गये। यह काम आपने महात्मा गांधी के आदेश पर किया। तो मैं चाहता हूं कि वैसी परिस्थिति फिर न आने दें और समय रहते चेत जायं। आज भुखमरी फैली हुई है और खाद्य की कमी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर विचार करें और कम से कम साढ़े चार एकड़ और ज्यादा से ज्यादा सवा ६ एकड़ स्वीकार कर लें ताकि यहां के गरीबों का फायदा हो और उनको भूमि मिल सके।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गंगा प्रसाद जी की भावनाओं की बहुत कद्र करता हूं और उनके दर्द को खूब समझता हूं। लेकिन आज सूबे की हालत को देख कर १२॥ एकड़ से कम करना ठीक नहीं है। आज ही नहीं, मैं तो भविष्य में भी कभी यह नहीं सोच सकता हूं। लेकिन भविष्य को कौन जाने, पता नहीं हमें अपनी इकानामी में क्या-क्या अन्तर करने पड़ जावें। इसलिये मेरा सुझाव है कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय जब तक यह विधेयक पास हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आज सदन का समय जब तक यह विधेयक पास न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाप्रसाद--जिस ढंग से मंत्री जी ने जवाब दिया है उसे देखते हुए मैं इस संशोधन को वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री शिवराजसिंह यादव**--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (२) के अन्तिम शब्द "और" के उपरान्त निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"खेतिहर मजदूर के अतिरिक्त कोई अन्य भूमिहीन व्यक्ति कोई भूमि कृषि हेतु नहीं खरीद सकेगा और"।

श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि बड़ी बड़ी जोतों के स्वामियों की जमींनें भूमिहीन व अलाभकर जोतों के किसानों को पहुंच सकें। अलाभकर जोतों के किसान गरीब हैं। खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में जो लोग धनवान हैं उनके मुकाबले में गरीब किसान जमीन नहीं खरीद पावेंगे। इसलिये यदि यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो विधेयक के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

दूसरे, आदरणीय माल मंत्री जी की थ्योरी यह है कि जिस जिले या प्रदेश या देश में खेती करने वालों की संख्या ज्यादा होती है वहां उतनी ही ज्यादा गरीबी होती है। हमारे प्रदेश में काफी बड़ी प्रतिशत में लोग खेती में लगे हुये हैं और प्रदेशीय सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि यह प्रतिशत जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। यदि यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि न मिलेगी और बजाय इनके धनाढ्यों को अथवा जो और दूसरे काम करने वाले हैं उनको यह जमीन मिल जायगी। क्योंकि यह संशोधन माननीय मंत्री जी की थ्योरी के तहत है, इसलिये आशा है कि वह इसको स्वीकार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि हमारी योजना अन्डरफाईनेन्स्ड है, उसको पब्लिक सेक्टर से पूरा करना संभव नहीं है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाकर हम उसको देश के प्रोडक्टिव भाग में लगायें। क्या अच्छा हो कि धनाढ्य लोग जमीनों को न खरीद कर धन को देश की दूसरी इंडस्ट्रीज में लगायें!

इसलिये मैं समझता हूं कि उपरोक्त तीन बातों के तहत, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है, मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि ऐग्रीकल्चरल लेबरर के अतिरिक्त जमीन कोई और न ले तो जो आदमी आज खेती नहीं करते हैं, लैंडलेस हैं वे भी भविष्य में जमीन नहीं खरीद सकेंगे। आज मान लीजिये, कोई ५० रुपये का टीचर है और वह किसी प्रकार से रुपये बचा कर जमीन खरीदना चाहता है या किसी कारखाने में काम करने वाला मजदूर है, जो गांव का रहने वाला है, अगर वह जमीन खरीदना चाहता है तो वह भी जमीन नहीं खरीद सकेगा। वह जो बात कहना चाहते हैं. उन्होंने उसको साफ-साफ नहीं कहा। उनके कहने का मतलब यह है कि ट्रेडर या जो भी मालदार आदमी हैं वे उन जमीनों को न खरीद सकें; और इस प्रतिबंध से उनका मतलब यही मालूम होता है कि कहीं उनके हाथ में जमीन न चली जाय। लेकिन जमीन जो खरीदेगा उसको खेती करनी होगी और वह किसान होगा। यानी नान-एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में जमीन रह ही नहीं सकती। इसलिय मैं आशा करता हूं कि माननीय शिवराज सिंह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवराजसिंह यादव---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--- अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १६५ की धारा (२) के खंड (ख) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं ---

"साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि जिस परिवार के पास हो या हो जावे, वह भूमि सरकार भूमिहीन मजदूरों को वितरित कर दे।"

श्रीमन्, इसका आशय यह है कि साढ़े बारह एकड़ जमीन की सीमा चूंकि इस बिल द्वारा नियत की गयी है यानी जिसके पास पहले ३० एकड़ थी उसके पास साढ़े बारह एकड़ तक की सीमा हो जायगी। अब बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुये अगर उस बढ़ी हुयी भूमि के वितरण की व्यवस्था न हुई तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक की जो मंशा है वह पूरी न होगी। आज गांव के जो मजदूर हैं उनकी हालत खराब है, उनके लिये स्वास्थ्यप्रद मकान नहीं हैं, न उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था है और न उनके लिये कोई और अच्छा इन्तजाम है। वे लोग ज्यादातर खेतों में मजदूरी करते हैं। अगर उनको खेती मिल जाय तो परिश्रम करके खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसलिये इस संशोधन के द्वारा जो मूल संशोधन है उसको सहायता मिलती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कल से आज तक न समझा सका तो अब न समझा पाऊंगा चाहे घंटों बोलूं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील--- मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री माता प्रसाद---आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ३७ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय---

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि .....

श्री अध्यक्ष---मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि एक इसी तरह का संशोधन यहीं १०० रुपये के संबंध में नामंजूर हुआ था। तो १०० रुपये और १५० रुपये में कोई अन्तर नहीं रहता। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

३८-(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १६७ उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दी जाय। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १६७ का संशोधन।

(२) उपयुक्त प्रकार से पुनः परिगणित उपधारा (१) में शब्द "गांव सभा या गांव सभा की ओर से कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जायं।

(३) उपर्युक्त प्रकार से पुनः परिगणित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :---

"(२) उपधारा (१) के अधीन बेदखली की डिक्री में किसी सीरदार या असामी को पूरे खाते से अथवा उसके भाग से बेदखली का आदेश हो सकता है, मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, जैसा भी न्यायालय आदेश दे।"

श्री नागेश्वर प्रसाद—मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता लेकिन आपका ध्यान इस तरफ जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस धारा में कुछ शाब्दिक त्रुटि-सी है। आप इसको देख लें और अगर त्रुटि हो तो उसे ठीक कर दें।

श्री अध्यक्ष—"मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १६७ उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दी जाय", इसमें 'के' की जगह 'में' होना चाहिये, माननीय वित्त मन्त्री।

श्री चरणसिंह—अब आप उसको जैसा चाहें कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप उसमें 'के' का कोई फोर्स समझते हैं तो मैं नहीं करूंगा।

श्री चरणसिंह—नहीं, वह दूसरा 'के' तो बेकार है। लेकिन वह तो चाहते हैं कि परिणत किया जाय। लफ्ज है रीनम्बर। परिगणित होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो 'के' की जगह 'में' कर दिया जाय।

श्री नागेश्वर प्रसाद—फिर 'पुनः' की क्या जरूरत रह जाती है?

श्री चरणसिंह—हां, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष—तो 'के' की जगह 'में' और पुनः निकाल दिया जाय, यह शाब्दिक है, मैं इसे कर दूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १६८ का संशोधन।

३९—मूल अधिनियम की धारा १६८ में शब्द "खाते में" के पश्चात् शब्द "या उसके भाग में" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—४०

यू०पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७१ का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा १७१ में —

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(क) पुत्र, पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में (in equal shares *per stirpes*);

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी के हों, यह अंश उत्तराधिकारी को मिलेगा जो मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि पहले प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए, पूर्व मृत पुंजातीय वंशज का अंश उसकी विधवा को मिलेगा यदि उसने पुनः विवाह न किया हो, और

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि पुत्र पौत्रादिक क्रम में कोई पुंजातीय वंशज जीवित नहीं है, तो उत्तराधिकार खंड (ख) द्वारा शासित होगा।"

(२) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(ख) विधवा और विधवा माता तथा पुत्र पौत्रादिक क्रम में किसी पुंजातीय वंशज की विधवा यदि उन्होंने पुनः विवाह न किया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सह-विधवायें (co-widows) मिलकर एक ही अंश की भागी होंगे ; और दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि एक ही शाखा की निकटतर वंशज की विधवा दूरतर वंशज की विधवा को वर्जित कर देगी ।"

(३) खंड (ग) तथा (ङ) निकाल दिये जायं ।

(४) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ङङ) क रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(ङङ) अविवाहित पुत्री,"

(५) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (चच) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(चच) अविवाहिता बहिन,"

(६) खंड (छ) में शब्द "पुत्री" के स्थान पर "विवाहिता पुत्री" रख दिये जायं ।

(७) खंड (ड) में शब्द "बहिन" के स्थान पर शब्द "विवाहिता बहिन" रख दिये जायं ।

(८) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (णण) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(णण) सौतेली बहिन का पुत्र, यदि वह बहिन मृतक के पिता की ही पुत्री हो ।"

श्री अध्यक्ष—यह माननीय रामलखन मिश्र जी ने पूरे के पूरे खंड को एक दूसरे रूप में उपस्थित करने की अनुमति मांगी है । यदि माननीय वित्त मन्त्री जी इसे स्वीकार कर रहे हों, तो मैं उसकी इजाजत दूं नहीं तो व्यर्थ सदन के समय के अपव्यय के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री चरणसिंह—जी हां, मुझे वह स्वीकार है । वह केवल रीड्राफ्ट है ।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४० के उपखंड (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, यह प्रस्ताव करता हूं—

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

(क) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में (in equal shares *per stirpes*) ।

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र को, वह चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि पहले प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए, पूर्वमृत पुंजातीय वंशज का अंश उसकी विधवा को मिलेगा, यदि उसने पुनः विवाह न किया हो; और

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि पुत्र पौत्रादिक क्रम में कोई पुंजातीय वंशज जीवित न हो तो उत्तराधिकार खंड (ख) द्वारा शासित होगा.

[श्री रामलखन मिश्र]

(२) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(ख) विधवा और विधवा माता तथा पुत्र पौत्रादिक क्रम में किसी पुंजातीय वंशज की विधवा, यदि उन्होंने पुनः विवाह न किया हो;

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि सह-विधवायें (co-widows) मिलकर एक ही अंश की भागिनी होंगी, और दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि एक ही शाखा में निकटतर वंशज की विधवा दूरतर वंशज की विधवा को वर्जित कर देगी ।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे संशोधनों के अन्दर एक प्राण-सा है और यह युगान्तर लाने वाला है तथा युगधर्म के अनुरूप है । जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है, मुझे आशा है कि वह इसे पूर्णतः स्वीकार करेंगे ।

श्री चरणसिंह—मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—अब दूसरे बाकी जितने संशोधन हैं वे सब खत्म से हो जाते हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि पंडित जी के संशोधन के अनुसार हम लोगों का संशोधन खत्म नहीं होना चाहिये । हम लोगों ने जो संशोधन दिया था वह विधेयक के अनुसार ही दिया था । पहले से हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गयी थी और अब अन्तिम वक्त में इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है । तो हम लोगों को अपने संशोधन को पेश करने का अधिकार मिलना चाहिये । नं० ५६, ५७ पर मैंने संशोधन दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष—वे तो आपके दोनों हैं ही, कोई नयी चीज नहीं है । अगर आप उसको दूसरे शक्ल में रखना चाहते हैं तो उसको पेश कर दें ।

श्री गंगा प्रसाद—मैं नं० ५७ को पढ़ देता हूं, नं० ५६ वाला तो बहुत लम्बा है । पंडित जी ने जो संशोधन रखा है अगर उसमें हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें तो बड़ी खुशी की बात होगी । मेरा संशोधन यह है :—

मूल अधिनियम की धारा १७१ के अन्त में खंड (नन) निम्न रूप से रख दिया जाय :—

"(नन) १—रखैली या बैठायी हुई स्त्री के लड़के, लड़की"

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि समाज में कुछ उच्चकुल या कुछ पूंजीपति या सामन्त वर्ग के लोग थे, उनके पास जमींदारी थी, पैसे थे और हैं तो उनमें एक प्रचलन था कि बहुत से लोग गरीब लड़कियों को जबरदस्ती अपने घरों में डाल लेते थे और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होते थे उनका उनकी जायदाद में कोई अधिकार नहीं होता था । आज जबकि भारत स्वतंत्र हो गया है और हिन्दू कोड बिल द्वारा उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया है तो उसका कुछ भी जिक्र माननीय मन्त्री जी यहां नहीं करते । जब वह सब को सारा अधिकार दे रहे हैं तो उन बेचारियों के बच्चों को जिन्हें अपने बाप का नाम भी मालूम है सम्पत्ति तथा भूमि भी है लेकिन उनको उससे फायदा नहीं उठाने दिया जाता । जब उनके बाप के पास सम्पत्ति है तो उन बेचारे बच्चों को उसमें हिस्सा लेने से क्यों अलग रखा जाता है ? जब हमारे संविधान में संशोधन हो गया है तो संविधान के अनुसार, उत्तराधिकार कानून के अनुसार उनको गुजारा मिलना चाहिये । इसके क्या माने हैं कि जबकि उत्तराधिकार कानून के अनुसार सबका गुजारे से निस्तार होता है तो उनको हक न दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में तीन आपत्तियां हैं । पहली बात तो यह है कि ऐसे राजे और बड़े आदमी जो रखैलियों को रख लिया करते थे, अब आगे को रहे नहीं जो इस लग्जरी को एफोर्ड कर सकें । जो रख चुके वे रख चुके,

अब आगे कोई रखैली नहीं रख सकता । दूसरी बात यह है कि अगर इसकी इजाजत दे दी जाय तो फिर बड़ी मुकदमेबाजी होगी । बहुत से लोग बड़े आदमियों के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और धन की लालच से कहेंगे कि मेरी मां इनकी रखैली थी । मामूली शादी का तो कोई सबूत भी होता है लेकिन हिस्से के लिये कोई कह सकता है कि मेरी मां रखैली थी मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिये । तीसरी बात यह है कि जो हिन्दू मेरिज एक्ट है और जो पास हुआ है उसमें पोलीगेमी मना है । कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता और अगर करता है तो उसके बच्चे स्वयं ही डिसइनहेरिट हो जायंगे, उन को वैसे ही कोई हक नहीं मिलेगा । अगर वह रखैल कहकर हक दिलाना चाहते हैं तो जो उस कानून की मन्शा है कि रखैल के बच्चों को हक नहीं मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा । फिर सौत के होते हुए दूसरी कोई शादी भी नहीं करेगी । इसलिये यह तो बिलकुल विपरीत जाता है और इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री गंगाप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज को मन्त्री महोदय ने बातों में टाल दिया । यह ठीक है कि अब राजा महाराजा नहीं रहे लेकिन सरमायेदार तो आज भी नौजवान लड़कियों को रख रखे हैं और यह प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है । आज भी देहातों में और शहरों में यह प्रथा जारी है और ऐसी रखेल स्त्रियों का और उनकी औलादों का कहीं भी सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष---आप वापस नहीं ले रहे हैं ?

श्री गंगाप्रसाद---मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम की धारा १७१ के अन्त में खंड (नन) निम्नरूप में रख दिया जाय ।

"(नन) १---रखैली या बैठायी हुई स्त्री के लड़के, लड़की ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में (in equal shares *per stirpes*)

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुये पुत्र के पुत्र को, वह चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि पहले प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये पूर्ववत् पुंजातीय वंशज का अंश उसकी विधवा को मिलेगा, यदि उसने पुनः विवाह न किया हो; और

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि पुत्र पौत्रादिक क्रम में कोई पुंजातीय वंशज जीवित न हो तो उत्तराधिकार खंड (ख) द्वारा शासित होगा"

(२) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) विधवा और विधवा माता तथा पुत्र पौत्रादिक क्रम में किसी पुंजातीय वंशज की विधवा, यदि उन्होंने पुनः विवाह न किया हो;

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि सह-विधवायें (co-widows) मिलकर एक ही अंश की भागिनी होंगी; और

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि एक ही शाखा में निकटतर वंशज की विधवा दूरतर वंशज की विधवा को वर्जित कर देगी;"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४१

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७२ का संशोधन ।

४१--मूल अधिनियम की धारा १७२ की उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द 'वह' और शब्द 'मर जाय' के बीच में शब्द "विवाह कर ले अथवा" बढ़ा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४१ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४२-५२

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७४ का संशोधन ।

४२--मूल अधिनियम की धारा १७४ में--

(१) वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(क) पुत्र, पौत्र, प्रापौत्र पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा प्रतिशाखा के अनुसार समान अंशों में (In equal shares *per stirpes*) ।

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि निकटतर उसी शाखा में दूरतर को वर्जित कर देगा,

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि विधवा जिसने पुनर्विवाह कर लिया हो वर्जित कर दी जायगी ।"

(२) खंड (ग) निकाल दिया जाय ।

(३) खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नये खंड जोड़ दिये जायं--

"(ङङ) पिता,

(ङङङ) माता" ।

शब्द "बंटवारा" के स्थान पर शब्द 'विभाजन' का रखा जाना ।

४३--मूल अधिनियम की धारा १७६ के ऊपर वाले शीर्षक में शब्द "बंटवारा" के स्थान पर शब्द "विभाजन" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७६ का संशोधन ।

४४--मूल अधिनियम की धारा १७६ में शब्द "बटवारे" के स्थान पर शब्द "विभाजन" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७७ का संशोधन ।

४५--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१७७--यदि गांव समाज के अतिरिक्त सब फरीक प्रत्येक खाते में अनेक खातों के संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों तो एक से अधिक खातों के विभाजन के लिये विभाजन के लिये एक वाद प्रस्तुत किया जा सकता है: एक वाद ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब खाते विभिन्न गांव समाजों के अधिक्षेत्र में हों तो ऐसे समस्त गांव समाज वाद म फरीक बनाये जायेंगे।"

४६---मूल अधिनियम को धारा १७८ में शब्द "बंटवारे", "बंटने वाल" "बाटने" तथा "बाट"के स्थान पर क्रमशः शब्द "विभाजन", "विभाज्य", "विभाजित करने" तथा "विभाजित" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १७८ का संशोधन।

४७---मूल अधिनियम की धारा १८२-क निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १८२-क का निकाला जाना।

४८---मूल अधिनियम की धारा १८२-ख में--- यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १८२-ख का संशोधन।

(१) शब्द "धारा १७८ से १८२ तक के निदेशों में की गई व्यवस्था को छोड़कर" के स्थान पर शब्द "धारा १७८ से १८२ तक के निदेशों के अधीन रहते हुये" रख दिये जायं;

(२) शब्द "बटवारा" के स्थान पर शब्द "विभाजन" रख दिया जाय; और

(३) शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "न्यायालय" रख दिया जाय।

४९---मूल अधिनियम की धारा १८६ में--- यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १८५ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "गांव सभा या क्षेत्रपति तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि" के स्थान पर शब्द "तहसीलदार गांव समाज या क्षेत्रपति के प्रार्थना-पत्र पर अथवा अन्य किसी प्रकार से तथ्यों की जानकारी होने पर" रख दिये जायं तथा शब्द "नोटिस दिया जाय" के स्थान पर शब्द "नोटिस जारी कर सकता है" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(५) यदि सीरदार या असामी नोटिस का प्रतिवाद करने के लिये उपस्थित हो तो तहसीलदार कार्यवाही त्याग देगा।"

५०---मूल अधिनियम की धारा १८९ में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में जोड़ दिया जाय--- यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १८९ का संशोधन।

"(कक) यदि खाता या उसका कोई भाग इस अधिनियम के निदेशों का उल्लंघन करके संक्रामित किया गया हो अथवा उठा दिया गया हो।"

५१---मूल अधिनियम की धारा १९० में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (गग) के रूप में जोड़ दिया जाय--- यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १९० का संशोधन।

"(गग) जब खाता या उसका कोई भाग इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके संक्रामित कर दिया गया हो अथवा उठा दिया गया हो,"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १९२ का संशोधन।

५२--मूल अधिनियम की धारा १९२ में--

(१) शब्द "पूरे खाते" और शब्द "में" के बीच में शब्द "या उसके किसी भाग" बढ़ा दिये जायं, तथा

(२) शब्द "तो खाते में" के स्थान पर शब्द "तो उस खाते में या भाग में जैसी भी दशा हो" बढ़ा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४२ से ५२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५३

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १९५ का संशोधन।

५३--मूल अधिनियम की धारा १९५ में--

(१) प्रारम्भ में आने वाले शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबंधक समिति" रख दिये जायं;

(२) खंड (ख) में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जायं, तथा

(३) खंड (ग) में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "भूमि-प्रबंधक समिति" रख दिये जायं ।

श्री मुरलीधर कुरील--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५३ में मूल अधिनियम की धारा १९५ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (४) बढ़ा दी जाय :

"(४) खंड (घ) ग्राम समाज के अन्तर्गत निहित खेती योग्य भूमि को ग्राम समाज द्वारा एलाट किये जाने पर या अपवाद पैदा होने पर, अन्तिम स्वीकृति हेतु (जिला स्तर पर एक भूमि प्रबंधक समिति बनाई जावेगी) वे सभी मामले जिला भूमि प्रबंधक समिति के सामने लाये जावेंगे । इस समिति का कार्यकाल चार वर्ष होगा ।

जिला भूमि-प्रबंधक समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :

(१) अतिरिक्त जिलाधीश (ग्रामीण क्षेत्र)--चेयरमैन ।

(२) जिला पंचायत राज अधिकारी--मंत्री,

(३) विधान सभा के हरिजन सदस्य जो जिले के निवासी हों या प्रतिनिधि हों और विधान सभा सदस्य न होने पर दो हरिजन कार्यकर्ता जो जिले से संबंधित हो, सरकार द्वारा घोषित ।

(४) दो प्रतिनिधि विधान सभा के जनरल सदस्यों में से जो ग्रामीण क्षेत्र से चुने गये हों या रहते हों ।

(५) तीन ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता जो भूमि-व्यवस्था की जानकारी रखते हों, जिनमें एक पिछड़ी जाति का होगा, सरकार द्वारा घोषित ।

(६) परगनाधीश, जिस परगने के मामले पर विचार होना हो ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि अभी तक मैंने अपने जिले में यह देखा है कि जो भूमि ग्राम समाज के अन्दर किसी तरह से अगर किसी भूमिहीन को अलाट हो गयी तो उसमें हर तरह के झगड़े खड़े हो गये और किसी न किसी तरह से उसको विवश किया गया कि वह उस भूमि को छोड़ दे। उसके अलावा अगर ग्राम समाज से आगे बढ़ता है तो लेखपाल और कानूनगो वगैरह और तहसील के अधिकारी जिनके द्वारा तसदीक होनी होती है उनके यहां तसदीक करने में झगड़ा होता है। नियम यह है कि अलाटमेंट हो जाने के बाद ३ महीने के अन्दर उस अलाट की हुई भूमि का तहसील के अन्दर तसदीक हो जानी चाहिये। अगर नहीं होती है तो ३ महीने के बाद वह अलाटमेन्ट समाप्त समझा जाता है। इस तरह से अनेक झगड़े उपस्थित कर दिये जाते हैं जिससे घूम फिर करके उनको भूमि को छोड़ने के लिये विवश होना पड़ता है। जबकि ग्राम समाज अधिनियम के नियम १९८ के अनुसार दिया गया है कि जो खेती योग्य भूमि हो वह भूमिहीनों को ही मिलनी चाहिये, लेकिन अब तक यह देखा जा रहा है कि जब से भूमि-व्यवस्था कानून लागू हुआ भूमि अधिकतर ऐसे लोगों को मिलती चली जा रही है जो लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं और जिनके पास भूमि है, खेती कर रहे हैं, उनको जमीन की कमी नहीं है लेकिन जबरन भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी न किसी तरह से अलाट करा लेते हैं, असली लोगों को नहीं मिल पाती है।

एक चीज और देखने में आयी कि जब इस तरह के केसेज परगनाधीश महोदयों के पास गये तो वह भी उन केसेज में कुछ नहीं कर पाये और उस लाचारी में मजदूर बेचारे मारे जाते रहे। यह अक्सर देखने में आता रहा है। तो अगर जिला स्तर पर एक कमेटी बना दी जाय और इस तरह के सारे झंझट उसके अन्दर स्वीकृति के लिये आ जायं तो यह बीच का जो झंझट खड़ा हो जाता है वह सब साफ हो जाय और सही आदमी को जिसको आवश्यकता है, उसको भूमि मिलने में आसानी हो जायगी। इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकूंगा। ये जो छोटी-छोटी लैण्ड मनेजमेंट कमेटियां इतनी सारी फैल रही हैं इन्हीं का इन्तजाम करना मुश्किल हो रहा है, अब आपने जिला स्तर पर रख दिया कि एक और कमेटी बनाई जाय। यह तो बड़ी विचारणीय बात होगी। मैं इसलिये इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री मुरलीधर कुरील---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं समझता था कि यह मंजूर हो जायगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४-५७

५४-मूल अधिनियम की धारा १९७ में-

(१) प्रारम्भ में आने वाले शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबंधक समिति" रख दिये जायं;

(२) खंड (ख) में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जायं ; तथा

(३) खंड (ग) में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द भूमि-प्रबंधक समिति" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १९७ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा १९८ का संशोधन।

५५—मूल अधिनियम की धारा १९८ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "परगना अधिकारी" जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) तथा (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) जब परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर किसी प्रदेशना को निरसित करे तो उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रदेशना ग्रहीता या उसके द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति के तद्धीन प्रदिष्ट भूमि में अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और वह भूमि गांव समाज को लौट जायगी और जो व्यक्ति उस पर कब्जा बनाये रखेगा उसके विषय में यह समझा जायगा कि उसने अनधिकार प्रवेश किया है और वह नियत रीति से बेदखल किया जा सकेगा।

(४) उपधारा (२) के अधीन निरसन की आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है किन्तु वाद के परिणाम के अधीन रहते हुये निरसन की आज्ञा अंतिम होगी।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन।

५६—मूल अधिनियम की धारा २०२ में शब्द "क्षेत्रपति के वाद" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति गांव समाज या क्षेत्रपति के वाद" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २०४ का संशोधन।

५७—मूल अधिनियम की धारा २०४ में शब्द, वर्ण, कोष्ठक और संख्या "धारा २१ के खंड (क), (ख), (ग) या (घ)" के स्थान पर शब्द, वर्ण, कोष्ठक और संख्या "धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) या (ज)" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५४ से ५७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५८

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २०९ का संशोधन।

५८—मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "अथवा कलेक्टर" निकाल दिये जायं।

श्री व्रजगोपाल सक्सेना—मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सेक्शन २०९ में कलेक्टर को अधिकार दिया गया था बेदखली दायर करने का लेकिन अब उसकी यह पावर छीन ली गयी है, अगर मंत्री जी इसका कारण बता दें तो मैं अपना एतराज वापस लिये लेता हूं।

श्री चरणसिंह—अब भूमि-प्रबंधक कमेटी को सरसरी पावर्स दे दी गयी है, इसलिये कलेक्टर से यह पावर हटा दी गयी है।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना--मैं अपना एतराज वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५९-६०

५९--मूल अधिनियम की धारा २१० में--

(१) खंड (२) में शब्द "उसका" तथा "असामी" के बीच में शब्द "वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकार रखने वाला (holding from year to year)" बढ़ा दिये जायं, और

(२) में शब्द "सीरदार या असामी" के स्थान पर शब्द "वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकार रखने वाला असामी या सीरदार" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २१० का संशोधन।

६०--मूल अधिनियम की धारा २११ में शब्द "गांव सभा द्वारा भूमि से बेदखल किया जा सकता है" के स्थान पर शब्द "गांव समाज द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर भूमि से बेदखली का भागी होगा" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २११ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५९ और ६० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६१

६१--मूल अधिनियम की धारा २११ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २११-क के रूप में बढ़ा दिया जाय:

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा २११-क का बढ़ाया जाना।

बिना आगम के भूमि पर अध्यासित व्यक्तियों की बेदखली के निमित्त सरसरी प्रक्रिया।

"२११-क--(१) जब भूमि-प्रबंधक समिति के अध्यक्ष, सदस्य या सेक्रेटरी के प्रार्थना-पत्र पर या अन्य किसी प्रकार तथ्यों की जानकारी होने पर कलेक्टर को संतोष हो जाय कि कोई व्यक्ति जो धारा २१२ से भिन्न प्रकार से गांव समाज द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर भूमि से बेदखली का भागी होने पर भी इस अधिनियम के निदेशों से अनुकूल रूप से भूमि पर कब्जा रक्खे हैं या उसने किसी व्यक्ति को कब्जा संक्रामित कर दिया है, तो कलेक्टर, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उस व्यक्ति को और उसके द्वारा कब्जा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने (कलेक्टर) द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने के लिये और इस बात का कारण बताने के लिये कि उसकी बेदखली की आज्ञा क्यों न दी जाय, नोटिस जारी कर सकता है।

(२) गांव समाज तथा उस भूमि में स्वत्व रखने वाले सब व्यक्ति ऐसी सब कार्यवाहियों में फरीक बनाये जायेंगे।

(३) जब कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में उपस्थित न हो अथवा उपस्थित होकर नोटिस

का प्रतिवाद न करे तो कलेक्टर भूमि से उसको तथा उसके द्वारा कब्जे का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बेदखली की आज्ञा दे सकता है ।

(४) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में वह व्यक्ति उपस्थित हो और आपत्ति प्रस्तुत करे तो कलेक्टर गांव समाज तथा आपत्तिकर्ता की सुनवाई करेगा और ऐसा साक्ष्य लेगा जो वे प्रस्तुत करें ।

(५) जब उक्त सुनवाई करने पर कलेक्टर को संतोष हो जाय कि वह व्यक्ति उक्त प्रकार से बेदखली का भागी है तो वह उस व्यक्ति की तथा उस व्यक्ति के द्वारा कब्जा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बेदखली की आज्ञा देगा ।

(६) जब बेदखली की आज्ञा हो जाय तो वह व्यक्ति जिसकी बेदखली की आज्ञा हुई हो अपना अभियाचित अधिकार प्रमाणित करने के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसे वाद के परिणाम के अधीन रहते हुये उपधारा (३) अथवा (५) के अधीन दी गई आज्ञा अन्तिम होगी ।"

श्री रामलखन मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६१ में प्रस्तावित धारा २११-क की उपधारा (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति" रख दिया जाय ।

हिन्दी भाषा की रक्षा के लिये मैं आपसे अपील करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय, जिससे जो अशुद्धि है वह दूर हो सके ।

श्री चरणसिंह--हिन्दी भाषा की शुद्धि के सिलसिले में राम लखन मिश्र जी ने अपील की है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६१ में प्रस्तावित धारा २११-क की उपधारा (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६२-६४

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २१२-का संशोधन ।

६२--मूल अधिनियम की धारा २१२-क में शब्द तथा अंक "धारा १२१ में उल्लिखित किसी समिति" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २२२ का संशोधन ।

६३--मूल अधिनियम की धारा २२२ की उपधारा (४) में शब्द तथा अंक "धारा ३३२ के निदेशों को बाधित न करते हुये" निकाल दिये जायं ।

६४--मूल अधिनियम की धारा २२५ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २२५-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा २२५-क का बढ़ाया जाना।

"२२५--क--भूमि-प्रबन्धक समिति संकल्प द्वारा तथा ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जायं धारा ११७ के अधीन गांव समाज में निहित किसी भूमि या अन्य संपत्ति के संबंध में लगान, अबवाब या अन्य देयों की बकाया को अंशतः अथवा पूर्णतः बट्टे खाते में डाल सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि तब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कलेक्टर उसका अनुमोदन न कर दे।"

लगान, अबवाब या अन्य देयों की न वसूल होने वाली बकाया की बट्टे खाते में डालने का अधिकार।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६२ से ६४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६५

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २२९-क का संशोधन।

६५--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२९-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"२२९-क--जब कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी खाते या उसके किसी भाग से या गांव समाज में निहित किसी भूमि से बेदखली की डिक्री या आज्ञा इस अधिनियम के या यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन निष्पादित हो चुकी हो, विधि के निदेशों का अनुसरण न करते हुए अथवा उनके अधीन कार्य न करते हुए अथवा उस खाते या भूमि पर पुनः प्रवेश करता है या पुनः प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके संबंध में यह उपधारणा की जायगी कि उसने कब्जे रखने वाले व्यक्ति या भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक आधिकारिकी को, जैसी भी दशा हो, इंडियन पेनल कोड की धारा ४४१ के आशयान्तर्गत अभित्रस्त या क्लेशित करने के आशय से ऐसा किया है।"

यू० पी० ऐक्ट १७, १९३९।

'गांव समाज या स्थानिक आधिकारिकी के खाते या भूमि पर अनधिकार प्रवेश।

ऐक्ट ४५, १८६०।

श्री रामलखन मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६५ में प्रस्तावित धारा २२९-क में:--

(१) शब्द "करते हुये" तथा "उस खाते" के बीच में आने वाला शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय; और

(२) शब्द "आशय से" तथा "किया है" के बीच में कोष्ठक तथा शब्द "(with intent to intimidate or annoy)" बढ़ा दिये जायं।

श्री चरणसिंह--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६५ में प्रस्तावित धारा २२९-क में:

(१) शब्द "करते हुए" तथा "उस खाते" के बीच में आने वाला शब्द "अथवा" निकाल दिया जाय; और

(२) शब्द "आशय से" तथा "किया है" के बीच में कोष्ठक तथा शब्द "(with intent to intimidate or annoy)" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६६–६७

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २२९-ख का संशोधन।

६६––मूल अधिनियम की धारा २२९-ख में––

(१) उपधारा (१) में शब्द "किसी खाते का" निकाल दिये जायं, और

(२) उपधारा (३) में शब्द "सीरदार" के स्थान पर शब्द "भूमिधर या सीरदार, जैसी भी दशा हो" रख दिये जायं।

य० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २३० का संशोधन।

६७––मूल अधिनियम की धारा २३० की उपधारा (२) में खंड (छछ) तथा (छछछ) निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ६६–६७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६८–७०

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २३५ और २३६ का निकाला जाना।

६८––मूल अधिनियम की धारा २३५ तथा २३६ निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २४२ का संशोधन।

६९––(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २५२ उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित कर दी जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत रीति से निर्दिष्ट एहतमाली प्रदेशों तथा कछार क्षेत्रों के विषय में राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के चालीस वर्ष के पहले ही किसी भी नियत समय पर अथवा अन्तर से मालगुजारी के बन्दोबस्त का निर्देश दे सकती है।"

(२) उक्त प्रकार से पुनः परिगणित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(२) जब एहतमाली प्रदेश अथवा कछार क्षेत्र के लिये निश्चित बन्दोबस्त की अवधि समाप्त हो जाय अथवा समाप्त होने को हो तो कलेक्टर ऐसे प्रदेशों और क्षेत्रों का निर्धारण और बन्दोबस्त ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।"

यू० पी० ऐक्ट १, १५१ की धारा २७६ का संशोधन।

७०––मूल अधिनिय की धारा २७६ में शब्द "तत्संबंधी गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "उस" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ६८, ६९ और ७० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७१

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २७७ का संशोधन।

७१––मूल अधिनियम की धारा २७७ में शब्द तथा कोष्ठक "किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत प्रेसिडेन्ट और वाइस प्रेसिडेन्ट भी हैं) या किसी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी हैं, अथवा अधिकारी" रख दिये जायं।

श्री रामलखन मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७१ में शब्द "अन्तर्गत" तथा "भी है" के बीच में आने वाले शब्द "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति तथा उप-सभापति" रख दिये जायं।

श्री रामस्वरूप यादव--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७१ में शब्द "अन्तर्गत" तथा "भी है" के बीच में आने वाले शब्द "अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति तथा उप-सभापति" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७२

७२--मूल अधिनियम की धारा २८१ में वर्तमान द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २८१ का संशोधन।

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी व्यक्ति उस खाते की बकाया के लिये, जिसका वह भूमिधर या सीरदार नहीं है, केवल इसलिये गिरफ्तार और निरुद्ध नहीं हो सकेगा कि धारा २४३ के अधीन मालगुजारी के भुगतान का उसका संयुक्त दायित्व है।"

श्री रामलखन मिश्र--मान्यवर, मेरा संशोधन इस प्रकार साकार होता है कि खंड ७२ में प्रस्तावित धारा २८१ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "गिरफ्तार" तथा "निरुद्ध" के बीच में आने वाले शब्द "और" के स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७२ में प्रस्तावित धारा २८१ के द्वितीय प्रतिबंधात्मक खंड में शब्द "गिरफ्तार" तथा "निरुद्ध" के बीच में आने वाले शब्द "और" के स्थान पर शब्द "या" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७३

७३--मूल अधिनियम की धारा २८३ की उपधारा (२) में शब्द "तत्संबंधी गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "उसका अध्यक्ष" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २८३ का संशोधन।

श्री रामलखन मिश्र--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७३ की दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति" रख दिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७३ की दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सभापति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७४--८०

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २८४ का संशोधन।

७४---मूल अधिनियम की धारा २८४ की उपधारा (१) में---

(१) शब्द "गांव पंचायत" के स्थान पर शब्द "भूमि-प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं ; तथा

(२) शब्द "खाते को" और "ऐसी रीति से" के बीच में शब्द "समस्त भारों से मुक्त" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २९१ का संशोधन।

७५---मूल अधिनियम की धारा २९१ में शब्द "लैंड रिफार्म्स कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "नियत आधिकारिकी" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा २९४ का संशोधन।

७६---मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) में शब्द "गांव-पंचायत" जहां कहीं भी आये हों उनके स्थान पर शब्द "भूमि-प्रबन्धक समिति" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३३१ का संशोधन।

७७---मूल अधिनियम की धारा ३३१ में---

(१) अन्त में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी खाते अथवा उसके भाग के संबंध में धारा १४३ के अधीन प्रख्यापन कर दिया गया हो तो अध्याय ८ के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा कार्यवाहियों से संबद्ध अनुसूची २ के निदेश ऐसे खाते अथवा उसके भाग पर लागू नहीं होंगे ;"

(२) उपधारा (२) में शब्द "किसी आज्ञा" तथा "के विरुद्ध" के बीच में शब्द "या डिक्री" बढ़ा दिये जायं ;

ऐक्ट ५, १९०८

(३) वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(३) स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय द्वारा, स्तम्भ ३ में उल्लिखित कार्यवाहियों में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के आर्डर ४१, रूल १ तथा धारा ४७ या १०४ के अधीन दी गई आज्ञा के या किसी अंतिम आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध अपील उक्त अनुसूची के स्तम्भ ५ में उल्लिखित न्यायालय अथवा आधिकारिकी के पास हो सकेगी" ; और

ऐक्ट ५, १९०८

(४) वर्तमान उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(४) उपधारा (३) के अधीन की गई अपील में दी गई अन्तिम आज्ञा या डिक्री के विरुद्ध दूसरी अपील, अनुसूची के स्तम्भ

६ में उल्लिखित यदि कोई आधिकारिकी हो तो उसके पास कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा १०० में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर की जा सकेगी।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ में नई धारा ३३१-क का बढ़ाया जाना।

७८—मूल अधिनियम की धारा ३३१ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३३१-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

किसी वाद में भूमि के कृषीय प्रयोजन के प्रयोग का तर्क प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रक्रिया।

"३३१-क—(१) जब किसी भूमिधर द्वारा अधिकृत भूमि से सम्बद्ध वाद में जो किसी न्यायालय में निविष्ट हो यह प्रश्न उठे या उठाया जाय कि विचाराधीन भूमि कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य-संवर्धन और कुक्कुट-पालन भी हैं, से संबद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त हो रही है या नहीं, और उस भूमि के सम्बन्ध में धारा १४३ या १४४ के अधीत प्रख्यापन न किया गया हो, तो न्यायालय इस प्रश्न के संबंध में विचारणीय विषय (issue) निश्चित करके परगने के इंजार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पास केवल उसी विचारणीय विषय के निर्णयार्थ अभिलेख भेज देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब वाद परगने के इंजार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय में ही निविष्ट किया गया हो तो वह धारा १४३ अथवा १४४ के निदेशों के, अनुसार, जैसी भी दशा हो, निर्णय करने की कार्यवाही करेगा ;

(२) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर आवश्यकतानुसार विचारणीय विषय को पुनर्निश्चित करने के पश्चात उसकी धारा १४३ अथवा १४४, जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रख्यापन करने के निमित्त नियत रीति के अनुसार निर्णय करेगा तथा अभिलेख को अपनी उपपत्ति सहित उस न्यायालय के पास भेज देगा जिसने उसे अभिदिष्ट किया हो ;

(३) तब न्यायालय परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को अभिदिष्ट विचारणीय विषय पर उसकी उपपत्ति को मानते हुए वाद का निर्णय करेगा ;

(४) उसको अभिदिष्ट विचारणीय विषय पर परगने के इंजार्च असिस्टेंट कलेक्टर की उपपत्ति, अपील के प्रयोजनों के लिये उसी न्यायालय की उपपत्ति का भाग मानी जायगी जिसने उसे अभिदिष्ट किया हो।"

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३३२, ३३२-क और ३३२-ख का निकाला जाना।

७९—मूल अधिनियम की धारा ३३२, ३३२—क और ३३२-ख निकाल दी जायं।

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३३३ का संशोधन।

८०—मूल अधिनियम की धारा ३३३ में शब्द "अनुसूची २ में अभिदिष्ट" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७४ से ८० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८१

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३३७ का का संशोधन।

८१—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में जोड़ दिया जाय—

(कक) नैनीताल जिले के तराई और काशीपुर परगने।"

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८१ में मूल अधिनियम की धारा ३३७ के प्रस्तावित खंड (कक) के पश्चात् (खख) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(खख) नियत रीति से निर्दिष्ट एहतमाली प्रदेश और कछार क्षेत्र।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो मूल अधिनियम में संशोधन है वह इस तरह है कि अपने प्रांत का एक बहुत बड़ा भाग जहां की जमीन खराब है वहां पर इस अधिनियम के लिये एक एकड़ जमीन को २ एकड़ का रूप दिया गया है यानी एक एकड़ जमीन दो एकड़ मानी जायगी। हमारे इस अधिनियम में काशीपुर और नैनीताल जिले शामिल किये जा रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदन का ध्यान कछार इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह क्षेत्र ज्यादातर नदियों के कटान से पैदा होता है जैसे गंगा, घाघरा, जमुना से। इसका नतीजा यह होता है कि इन क्षेत्रों में पानी और बालू भरा होता है। यहां के किसान तबाह होते हैं और १०-२०-५० वर्ष तक किसानों की जमीन पानी और बालू में पड़ी रहती है। वह खाने के लिये मोहताज होते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा जब कि प्रांत के एक बड़े भू-भाग में एक एकड़ की जगह दो एकड़ जमीन मांगी गयी है और पहले से ही इसकी व्यवस्था है तो इस क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने की कृपा करें। जिससे वहां के किसानों को बड़ा लाभ पहुंचेगा ?

***श्री चरणसिंह**---अध्यक्ष महोदय, मुझे संशोधन स्वीकार नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सी पेचीदगियां हो जायंगी। आज कौन एहतमाली जमीन है और कौन नहीं है, इसको तय करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जहां बाढ़ आती है वह एरिया निश्चित नहीं होता है मान लो कि दस साल से एक जगह तक बाढ़ आ रही है, ग्यारहवें साल आधा मील और आगे बढ़ गयी। इसलिये एहतमाली क्षेत्र का निश्चित करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अधिकतर ऐसे केसेज होंगे कि बहुत से लोगों की जमीन ऊपर के हार में भी और खादर में भी होती है। तो ऊपर के हार का एक एकड़ का एकड़ और खादर में दो एकड़ का एक एकड़। वैसे उनकी मंशा से मैं बहुत कुछ सहमत हूं। लेकिन उस मंशा को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयां बहुत हैं। हम एक ऐसी स्कीम पर विचार कर रहे हैं कि अहतमाली जमीन का नकशा बन जाय वह डिमार्केट हो जाय लेकिन केवल विचार विचार है। मैं वादा नहीं करता। अगर वह कार्यरूप में परिणत हो गया तो मुमकिन है कि इस बात पर विचार किया जा सके।

श्री रामनाथ पाठक---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

***श्री महीलाल**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८१ निकाल दिया जाय।

इससे मेरा उद्देश्य यह है, पहली बात तो यह है कि कछार या नैनीताल की तराई बिलकुल मेरे पड़ोस के क्षेत्र हैं।

श्री अध्यक्ष---आपका कोई प्रस्ताव नहीं लिया जायगा। आप केवल विरोध कर रहे हैं।

श्री महीलाल---मैंने निवेदन किया कि मैं यहां की भूमि से परिचित हूं। मैं काशीपुर और नैनीताल तराई की जमीन को अपने यहां की जमीन से कम उपजाऊ नहीं मानता। इसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि नैनीताल की तराई और काशीपुर की भूमि जैसे आपके यहां बुंदेलखंड की भूमि कम उपजाऊ है, उसी के तरीके पर दो एकड़ एक एकड़ के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समान माना जाय। इससे दो हानियां होंगी। एक तो यह हानि होगी कि यहां बड़े-बड़े फार्म हैं उन पर जो टैक्स लगा है वह कम होगा। उसका ख्याल माननीय मंत्री जी को ज्यादा और मुझ को कम होना चाहिये। दूसरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी की बार-बार की नाराजगी, उनका क्रोध और उनका इनकार सुनने के बाद भी मैं अभी निराश नहीं हुआ हूं। मुझे यह आशा है कि एक समय ऐसा अवश्य आयेगा कि इस प्रान्त में उन्हीं के कर कमलों द्वारा सीमा निर्धारित करने वाला विधेयक आयेगा। वह सीमा निर्धारित करेंगे और जो भूमि बचेगी वह भूमिहीनों में अवश्य बांटेंगे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा बटेगी। इस आशा को लेकर मैं यह समझता हूं कि वहां के जो बड़े-बड़े फार्म हैं वहां पचास एकड़ का फार्म पचीस एकड़ का माना जायगा उसमें हानि होगी। जो वहां के भूमिहीन खेतिहर मजदूर होंगे उनके लिये भविष्य में चल कर शुभ काम होगा और अवश्य होगा इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है तो वह आशा रखते हुए (व्यवधान) अगर स्वयं नहीं करेंगे तो कम से कम हमारी प्रार्थना जो बार-बार की है, जो कल से बार-बार सभी माननीय सदस्यों की ओर से आयी है रामेश्वरलाल जी को छोड़ कर, तो एक समय अवश्य ऐसा आयेगा.....

श्री अध्यक्ष—आप दोहराएं नहीं उसी उसी बात को।

श्री महीलाल—मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, तराई और काशीपुर डिवीजन के एरिया को हमने १ एकड़ के स्थान पर २ एकड़ इसलिये माना है कि वहां की जमीन बहुत पुअर है। वह जमीन खराब किस्म की है। यह इससे भी जाहिर है कि वहां का सरकिल रेट २ रुपये से लेकर ३ से ज्यादा नहीं है। वहां की स्वायल की क्वालिटी ऊंची नहीं है जिसके आधार पर सरकिल रेट तय होता है। उसी तरह से बुन्देलखंड का भी औसतन ३ या २।।। रुपये से अधिक सरकिल रेट नहीं है। इसी तरह से वहां की जमीन भी बहुत पुअर है। उसकी फरटिलिटी की लेयर बहुत पतली है। जो आबपाशी के लिये पानी दिया जाता है वह जल्दी बैठ जाता है। इसलिये बुन्देलखंड के साथ जो काशीपुर और मिर्जापुर का इलाका है, उसको मिलना हम मुनासिब समझते हैं।

रही बड़ी होल्डिंग की बात तो वह बुन्देलखंड में भी जमीन कमजोर है। वहां एक आदमी के पास ज्यादा जमीन है। औसतन ८,१० एकड़ है जब कि और जगह सूबे में ४,५ एकड़ से अधिक का औसत नहीं है। इसलिये यहां की होल्डिंग को दूसरे इलाके के लेविल पर कर दिया गया है। सारा सवाल जमीन की क्वालिटी पर रहता है। वहां की जमीन खराब है। इसलिये उसको इस तरह से रखा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८२—८८

८२—मूल अधिनियम की धारा ३४१ में शब्द "के निदेश" तथा "इस अधिनियम" के बीच में शब्द तथा अंक "उसकी धारा ५ को सम्मिलित करते हुये" बढ़ा दिये जायं। — यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की धारा ३४१ का संशोधन।

८३—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में— — यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

(१) क्रम-संख्या ११ के सामने प्रविष्टि में--

(क) स्तम्भ ५ में (तदैव के चिह्न द्वारा व्यक्त) शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जाय ; तथा

(ख) स्तम्भ ६ में शब्द "बोर्ड" निकाल दिया जाय;

(२) क्रम-संख्या १४ में स्तम्भ ४ के सामने प्रविष्टि में शब्द "परगने का इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी" रख दिये जायं ;

(३) क्रम-संख्या १६ के सामने की प्रविष्टि के स्तम्भ ३ में शब्द "सीरदार के खाते के बटवारे का वाद" के स्थान पर शब्द "भूमिधर या सीरदार के खाते के विभाजन का वाद" रख दिये जायं ;

(४) क्रम-संख्या २० की प्रविष्टि के सामने स्तम्भ ३ में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "भूमि प्रबंधक समिति" रख दिये जायं ;

(५) वर्तमान क्रम-संख्या २० की प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित नई प्रविष्टि २०-क के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"२०-क	१९८ (४) उपधारा (१) के अधीन प्रदिष्ट भूमि में अभियाचित अधिकार स्थापित करने का वाद ।	,, ,, ,,

(६) क्रम-संख्या २४ के सामने की प्रविष्टि के स्तम्भ ३ में शब्द "बेदखली" तथा "का वाद" के बीच में शब्द "तथा क्षतिपूर्ति" बढ़ा दिये जायं ;

(७) क्रम-संख्या २८ के सामने की प्रविष्टि में--

(क) स्तम्भ ३ में शब्द "गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव समाज" रख दिये जायं ; तथा

(ख) स्तम्भ ४ में शब्द "परगने का इंजार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जाय ; तथा

(८) क्रम-संख्या २९ और ३० के सामने प्रविष्टि के स्तम्भ ४ में शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ का संशोधन ।

८४--यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जहां इस अधिनियम का प्रसार है, अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयति तक संशोधित हो जायगा ।

यू० पी० ऐक्ट ३१, १९-५२ का संशोधन

८५--(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ की धारा ४ और ५ में जहां कहीं भी शब्द "अधिकार अभिलेख (Record of Rights)" आये हों उनके स्थान पर शब्द "वार्षिक रजिस्टर" रख दिये जायं और सदैव से ही रखे हुये समझे जायं ।

(२) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों के कथित प्रयोग में किया गया कोई कार्य या वस्तु जिसके अन्तर्गत दी गई

कोई आज्ञा, की गई कोई कार्यवाही, प्रयुक्त क्षेत्राधिकार तथा १३५९ फसली के वार्षिक रजिस्टरों में आदिष्ट या किये गये कोई संशोधन भी हैं, विधि के अनुसार ठीक और वैध समझे जायेंगे मानों कि इस अधिनियम के निदेश सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित थे और उन पर केवल इस कारण आपत्ति न की जा सकेगी कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व पूर्वोक्त अधिनियम की धारा ४ में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन की व्यवस्था नहीं थी।

यू० पी० ऐक्ट २०, १९५४ तथा १८, १९, ५६ का संशोधन।

८६--(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (२) में प्रतिबंधात्मक खंड के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय और सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय, अर्थात्--"प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा ७० के निदेश मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (च) के खंड (ख) में उल्लिखित किसी क्षेत्र जिसमें किसी मध्यवर्ती को कोई अधिकार, आगम या स्वत्व प्राप्त न हो, प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभावशील होंगे, मानों कि शब्द 'के निहित होने के दिनांक' के स्थान पर शब्द "में मूल अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक" रख दिये गये हों।"

(२) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा २२ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में रख दिया जाय और सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय, अर्थात्--"प्रतिबन्ध यह भी है कि धारा २२ के निदेश मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ख) में उल्लिखित किसी क्षेत्र में, जहां किसी मध्यवर्ती को कोई अधिकार, आगम या स्वत्व प्राप्त न हो, प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रभावशील होंगे, मानों कि शब्द 'निहित होने के दिनांक' के स्थान पर शब्द 'ऐसे क्षेत्र में मूल अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक' रख दिये गये हों"।

(३) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि--

(क) मूल अधिनियम की धारा २ में निर्दिष्ट स्थानों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ तथा उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६; अथवा

उ० प्र० अधिनियम २०, १९-५४।

उ० प्र० अधिनियम १८, १९ ५६।

(ख) पूर्वोक्त क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पूर्वोक्त अधिनियमों द्वारा यथा संशोधित यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१,

यू० पी० ऐक्ट ३, ३, १९०१।

के निदेशों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा वस्तु जिसके अन्तर्गत दी गयी कोई आज्ञा, की गयी कोई कार्यवाही, अथवा प्रयुक्त कोई क्षेत्राधिकार भी हैं, उसी प्रकार विधि की दृष्टि में ठीक और वैध रहेंगे मानों कि उपधारा (१) तथा (२) के अधीन किये गये संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित थ ।

अपवाद

८७--(१) धारा ८५ तथा ८६ के निदेशों में की गई व्यवस्था को छोड़ कर, इस अधिनियम द्वारा किया गया कोई भी संशोधन पहले से की गई या हुई किसी वस्तु अथवा उपार्जित, स्त्रुत या आरोपित किसी अधिकार, आगम, आभार या दायित्व, अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार की वैधता या उसके प्रभाव या परिणाम पर प्रभाव नहीं डालेगा और इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व किसी न्यायालय अथवा आधिकारिकी के समक्ष निविष्ट या आरब्ध कोई कार्यवाही, यहां किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी उसी न्यायालय अथवा आधिकारिकी द्वारा सुनी जाती तथा निर्णीत होती रहेगी ।

(२) इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या आधिकारिकी के समक्ष निविष्ट या आरब्ध किसी वाद अथवा कार्यवाही में कोई अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण, यहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुये भी उसी न्यायालय अथवा आधिकारिकी के पास होगा जिसके पास वह उक्त आरम्भ के पहले निविष्ट या आरब्ध होने पर होता ।

(३) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी न्यायालय या आधिकारिकी के समक्ष कोई ऐसा वाद या विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो, जिसमें गांव सभा फरीक हो, तो, पहले दी हुई किसी बात के होते हुये भी उस वाद अथवा कार्यवाही में गांव सभा के स्थान पर गांव समाज को फरीक बनाया गया समझा जायगा ।

संक्रमण

८८--(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई के, विशेषतया मूल अधिनियम या यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदेशों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के निदेशों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाई के निवारणार्थ आज्ञा द्वारा निर्देश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम या यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् बारह महीने तक ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा लोपों के रूप में हों, जो किये जायं, और जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष यथासम्भव शीघ्रता से रखी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्य यह है कि खंड ८२ से खंड ८८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

यू० पी० लन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

(धारा ८४ देखिये)

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार अथवा संशोधन
१	२	३
१	२१	वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "21 (1) The Collector may arrange the villages of the district in lekhpal's halkas and may, from time to time, alter the limits of such halkas without effecting any change in the strength of lekhpals. (2) If the change or alteration referred to in sub-section (1) is likely to effect any change in the strength of lekhpals, previous sanction of the State Government shall be obtained for the purpose."
२	३३	शब्द तथा अंक "Panchayat Adalat as constituted under section 42 of the U. P.Panchayat Raj Act, 1947", के स्थान पर शब्द "Kanungo" रख दिया जाय ।
३	३३—ए	धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३३—ए के रूप में बढ़ा दिया जाय : 33-A—Where a person obtains possession of any land by succession, the Kanungo shall make such enquiry as may be prescribed and if the case is not disputed record the same in the annual register". *"Correction of Annual Registers in cases of uncontested succession.*
४	३४	धारा ३४ की वर्तमान उपधारा (१), (२) तथा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "(1) Every person obtaining possession of any land in a village— (*a*) by succession and such succession has not been recorded in the annual register under section 33-A ; or (*b*) by transfer, shall report such succession or transfer to the Tahsildar of the tahsil in which the land is situated. (2) The report under sub-section (1) shall be made— (*a*) in the case of a transfer other than a lease, immediately after such transfer has taken place ; (*b*) in the case of succession, immediately after the person so succeeding learns that the Kanungo has not recorded the succession under section 33-A ; and (*c*) in the case of lease, immediately after the lessee has obtained the possession thereunder".
५	३५	वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "35. (1) On receiving a report of succession under section 34, the Tahsildar shall make such enquiry as appears necessary and in an undisputed case of succession if it appears to have been taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40. (2) On receiving a report of transfer under section 34, the Tahsildar shall, refer the case to the Collector who shall, after making such enquiry, as may be necessary, dispose it off.
६	२२४	शब्द "Assistant Collector of the Second Class" के स्थान पर शब्द "Assistant Collector of the First or Second Class" रख दिये जायें ।
७	२३४	(१) शब्द "clauses (*a*) to (*f*)" के स्थान पर शब्द "clauses (*a*), (*d*), (*e*) and (*f*)" रख दिये जायें, और (२) खंड (c) निकाल दिया जाय ।

श्री रामलखन मिश्र--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची में क्रम-संख्या ७ के सामने स्तम्भ ३ में मद (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) शब्द "clauses (*a*) to (*e*)" के स्थान पर शब्द "clauses (*a*), (*d*), (*e*)" रख दिये जायं, और"

मान्यवर, जैसे शरीर की रचना होने पर नेत्र न बनाये जायं और वह मनुष्य कुरूप दिखाई पड़े उसी तरह से यह संशोधन सदन के सामने मैं स्वीकारार्थ रखता हूं ।

श्री चरणसिंह--यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची में क्रम संख्या ७ के सामने स्तम्भ ३ में मद (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१) शब्द "clauses (*a*) to (*e*)" के स्थान पर शब्द "clauses (*a*), (*d*), (*e*)" रख दिये जायं, और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

विधेयक

१९५० ई० के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और १९५६, तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१, को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करना इष्टकर है ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८" कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ ।

(२) इसका प्रसार, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ७ जुलाई, १९४९ को यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन किसी म्युनिसिपैलिटी या नोटीफाइड एरिया के या कैन्टूनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी कैन्टूनमेंट के, अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अधीन किसी टाउन एरिया के अन्तर्गत थे, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा : यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ । ऐक्ट २, १९२४ । यू० पी० ऐक्ट १, १९१४ ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में निर्दिष्ट क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति के संबंध में, इस अधिनियम के निदेश ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन जिनसे कोई मौलिक अन्तर न पड़ता हो जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निर्दिष्ट करे, प्रभावी होंगे । यू० पी० ऐक्ट १, १९५१ ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा, किन्तु उन क्षेत्रों में जो मूल अधिनियम की धारा २ के अन्तर्गत आते हैं यह, उपधारा (२) के अधीन किये गये अपवादों और परिष्कारों को बाधित न करते हुए, ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक क अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ह और इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और १७ नवम्बर, १९५८ को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर १७ नवम्बर, १९५८ तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ सितम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९२ पर)

बेकारी दूर करने के लिये ३६ नगरों के विद्युतीकरण की योजना

नगरों का नाम	जिला
१—महाराजगंज	कानपुर
२—अकबरपुर	कानपुर
३—पुखरायां	कानपुर
४—गौसगंज	कानपुर
५—फतेहपुर	फतेहपुर
६—बिन्दकी	फतेहपुर
७—खजूहा	फतेहपुर
८—काल्पी	जालौन
९—ओरई	जालौन
१०—जालौन	जालौन
११—हैदरगंज	बाराबंकी
१२—नानपारा	बहराईच
१३—प्रयागपुर	बहराईच
१४—कर्नलगंज	बहराईच
१५—उतरौला	गोंडा
१६—तुलसीपुर	गोंडा
१७—नवाबगंज	गोंडा
१८—मनकापुर	गोंडा
१९—ग्यानपुर	बनारस
२०—भदोही	बनारस
२१—मछलीशहर	जौनपुर
२२—जंघई	जौनपुर
२३—शाहगंज	जौनपुर
२४—बादशाहपुर	जौनपुर
२५—फूलपुर	आजमगढ़
२६—नबाबगंज	बरेली
२७—बहेड़ी	बरेली
२८—सिस्वाबाजार	गोरखपुर
३९—फूलपुर	इलाहाबाद
३०—फरीदपुर	बरेली
३१—रिसिया	हरदोई
३२—गोपीगंज	बहराईच
३३—पुवांया	शाहजहांपुर
३४—जलालाबाद..	शाहजहांपुर
३५—मोहमदी	लखीमपुर
३६—मिसरिख	सीतापुर

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१९७ एल० ए०—१९५८—८४० ।